

अनुक्रम

क	उद्देश्य
ख	प्रयोज्यता
1	प्रस्तावना
1.1	अपने ग्राहक को जानिए/ धन शोधन निवारण/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध/ पीएमएलए, 2002 के तहत बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं के दायित्व
2	परिभाषाएं
3	अपने ग्राहक को जानिए नीति
3.1	ग्राहक स्वीकरण नीति
3.2	ग्राहक पहचान क्रियाविधि
3.2.1	सामान्य
3.2.2	ग्राहक पहचान समुचित सावधानी
3.2.2.1.क	व्यक्तियों के खाते
3.2.2.1.ख	व्यक्तियों के अलावा अन्य खाते
3.2.2.1.ग	हितार्थी स्वामी
3.2.2.1.द	नयी प्रौद्योगिकी का प्रयोग - क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/स्मार्ट कार्ड/ गिफ्ट कार्ड
3.2.2.1.इ	केवाईसी का आवधिक अपडेशन
3.2.2.1.फ	विविध
3.3	लेनदेनों की निगरानी
3.3.1	लगातार निगरानी
3.4	जोखिम प्रबंधन
4	कॉरस्पॉन्डेन्ट बैंकिंग तथा छद्म बैंक
5	वायर अंतरण
6	केवाईसी दस्तावेजों का रखरखाव तथा परिरक्षण अवधि
6.1	लेनदेनों के रिकार्डों का रखरखाव
6.2	रिकार्डों का परिरक्षण
7	आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध
7.1	विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम ,1967 की धारा 51 क के अंतर्गत आस्तियों पर रोक लगाना
7.2	वित्तीय कार्रवाई दल (एफएटीएफ) की सिफारिशों को लागू नहीं करने वाले अथवा अपर्याप्त रूप से लागू करने वाले देश
8	रिपोर्टिंग अपेक्षाएं
9	सामान्य दिशानिर्देश

'अपने ग्राहक को जानिए' मानदंड/धनशोधन निवारण मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध/धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अन्तर्गत बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के दायित्व से संबंधित मास्टर परिपत्र

क. प्रयोजन

बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं (एफआई) से कहा गया है कि वे ग्राहकों के खाते खोलने और संदेहास्पद प्रकृति के लेनदेनों पर नजर रखने के लिए ग्राहकों की पहचान के लिए एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करें ताकि संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट उपयुक्त प्राधिकारियों को दी जा सके। धन शोधन निवारण मानदंडों और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए "फाइनेन्शियल एक्शन टास्क फोर्स" (एफएटीएफ) द्वारा दी गयी सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में इन "अपने ग्राहक को जानिए" (केवाईसी) दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है। एफएटीएफ की सिफारिशों के आधार पर और बैंकिंग पर्यवेक्षण के संबंध में बासेल समिति (बीसीबीएस) द्वारा बैंकों को ग्राहक के संबंध में उचित सावधानी बरतने के मामले में जारी किये गये पेपर के आधार पर, जहां भी आवश्यक समझा गया है वहां सुझावों के साथ, व्यापक दिशानिर्देश जारी किये गये हैं। बैंकों/एफआई को सूचित किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि, "अपने ग्राहक को जानिए" और धन शोधन निवारण उपायों के मामले में अपने निदेशक मंडलों के अनुमोदन से उपयुक्त नीति बनाई और लागू की जाती है।

इस संबंध में समय-समय पर जारी परिपत्रों, जिनको इस मास्टर परिपत्र में समेकित किया गया है, की सूची अनुबंध III में दी गयी है।

ख. प्रयोज्यता

(i) मास्टर परिपत्र में निहित अनुदेश अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं, सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित), स्थानीय क्षेत्र बैंकों/ सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों/ राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंकों पर लागू हैं।

(ii) ये दिशानिर्देश बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35 क तथा धनशोधन निवारण (अभिलेख का रखरखाव) नियमावली 2005 के नियम 9 (14) के अंतर्गत जारी किये गये हैं। इन दिशानिर्देशों का किसी भी रूप में उल्लंघन अथवा अनुपालन न किया जाना बैंककारी विनियमन अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय होगा।

1. प्रस्तावना

अपने ग्राहक को जानिए/ धन शोधन निवारण/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध संबंधी दिशानिर्देशों का उद्देश्य धनशोधन अथवा आतंकवाद के वित्तपोषण से संबंधित गतिविधियों के लिए अपराधी तत्वों द्वारा, जानबूझकर या अनजाने ही, बैंकों/वित्तीय संस्थाओं का इस्तेमाल किए जाने से रोकना है। अपने ग्राहक को जानिए क्रियाविधि से बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को अपने ग्राहकों तथा उनके वित्तीय लेन-देन को बेहतर ढंग से जानने/समझने और अपने जोखिमों का प्रबंधन विवेकपूर्ण तरीके से का अवसर मिलता है ।

2. परिभाषाएं

2.1 ग्राहक

अपने ग्राहक को जानिए मानकों के प्रयोजन हेतु 'ग्राहक' से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो किसी रिपोर्टिंग संस्था के साथ किसी वित्तीय लेन-देन या गतिविधि में शामिल है तथा इसमें ऐसा व्यक्ति भी शामिल है जिसकी ओर से ऐसे लेनदेन अथवा गतिविधि में कोई व्यक्ति भाग ले रहा है।

2.2 पदनामित निदेशक

"अभिहित निदेशक" से अधिनियम के अध्याय 4 और नियमों के अधीन अधिरोपित समस्त बाध्यताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व द्वारा अभिहित व्यक्ति अभिप्रेत है और इनमें निम्नलिखित सम्मिलित है -

- (i) प्रबंध निदेशक या निदेशक बोर्ड द्वारा सम्यक्त रूप से प्राधिकृत पूर्णकालिक निदेशक; यदि रिपोर्ट करने वाली कोई कंपनी है;
- (ii) प्रबंध भागीदार यदि रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व कोई भागीदारी फर्म है;
- (iii) स्वत्वधारी, यदि रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व कोई स्वत्वधारित समुत्थान है;
- (iv) प्रबंध न्यासी यदि रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व कोई न्यास है;
- (v) यथास्थिति कोई व्यक्ति या व्यष्टि जो रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व के कार्यों को नियंत्रित करता है या उनका प्रबंध करता है यदि रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व कोई अनिगमित संगम या व्यष्टियों का निकाय है; और
- (vi) ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जिसे सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए जो यदि रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व उपरोक्त किसी प्रवर्ग में नहीं आता है।

स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजन के लिए 'प्रबंध निदेशक' और 'पूर्णकालिक निदेशक' पदों का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम में दिया गया है।

2.3 'आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज' (ओवीडी)

ओवीडी का अर्थ है पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्थायी अकाउंट नंबर (पैन) कार्ड, भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान कार्ड, राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित नरेगा द्वारा जारी जॉब कार्ड, विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम, पता, आधार संख्या आदि विवरण है या विनियामक के विचार-विमर्श से केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य दस्तावेज या अन्य कोई दस्तावेज।

(i) बशर्ते कि जहां ग्राहकों की पहचान सत्यापित करने के लिए सरलीकृत उपाय लागू होते हैं वहां निम्नलिखित दस्तावेज "ओवीडी" समझे जाएंगे।

क) केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार विभागों, कानूनी, विनियामक प्राधिकरणों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और लोक वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी आवेदक के फोटो के साथ पहचान पत्र;

ख) व्यक्ति की सम्यक रूप से अनुप्रमाणित फोटो के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी पत्र;

(ii) बशर्ते यह भी कि जहां ग्राहकों के पते के प्रमाण के सत्यापन के सीमित उद्देश्य लिए सरलीकृत उपाय लागू किए जाते हैं, वहां निम्नलिखित दस्तावेजों को 'आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज' माना जाएगा :

क) किसी भी सेवा प्रदाता का उपयोग बिल, जो दो महीने से ज्यादा पुराना न हो (बिजली, टेलीफोन, पोस्टपेड मोबाइल फोन, पाईप गैस, पानी का बिल);

ख) संपत्ति या म्युनिसिपल कर की रसीद;

ग) बैंक खाता या डाक घर बचत बैंक खाता विवरण;

घ) सरकारी विभागों या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जारी किए गए पेंशन या परिवार पेंशन आदेश (पीपीओ), यदि उनमें पता दिया गया हो;

ड) राज्य या केंद्र सरकार के विभागों, सांविधिक या विनियामक निकायों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जारी नियोक्ता का आवास आवंटन पत्र। इसीप्रकार, ऐसे नियोक्ता का आधिकारिक आवास आवंटित किए जाने का लीव एवं लाइसेंस करार; तथा

च) विदेशी क्षेत्राधिकारों वाले सरकारी विभागों द्वारा जारी दस्तावेज तथा भारत में स्थित विदेशी दूतावास या मिशन द्वारा जारी किया गया पत्र।

2.4 व्यक्ति

पीएमएल अधिनियम के अनुसार 'व्यक्ति' में निम्नलिखित शामिल हैं:

- (i) कोई व्यक्ति,
- (ii) अविभक्त हिन्दू परिवार,
- (iii) कोई कंपनी

- (iv) फ़र्म
- (v) व्यक्तियों का संघ या वुयक्तियों का निकाय, चाहे निगणित हो अथवा नही,
- (vi) प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जो उपर्युक्त (i से v) व्यक्तियों में से कोई नहीं है, और
- (vii) कोई एजेंसी, कार्यालय या शाखा जो उपर्युक्त (i से vi) व्यक्तियों में से किसी के स्वामित्व या नियंत्रण में है।

2.5 लेनदेन

“लेनदेन” का तात्पर्य है क्रय, विक्रय, ऋण, गिरवी, अंतरण, सुपुर्दगी या उसकी व्यवस्था और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं -

- (i) कोई खाता खोलना;
- (ii) जमा, आहरण, किसी भी करेंसी में निधियों का विनिमय या अंतरण, चाहे नकदी के रूप में या चेक के द्वारा, भुगतान आदेश या अन्य लिखत या इलेक्ट्रानिक या अन्य अभौतिक साधन से

3. अपने ग्राहक को जानिए संबंधी नीति

4. बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को अपने ग्राहक को जानिए संबंधी नीतियां बनाते समय निम्नलिखित चार प्रमुख तत्वों को शामिल करना चाहिए :

- (i) ग्राहक स्वीकरण नीति; (सीएपी)
- (ii) ग्राहक पहचान क्रियाविधि; (सीआईपी)
- (iii) लेनदेनों की मॉनीटरिंग; और
- (iv) जोखिम प्रबंधन

3.1 ग्राहक स्वीकरण नीति (सीएपी)

बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को स्पष्ट ग्राहक स्वीकरण नीतियां और क्रियाविधियाँ विकसित करनी चाहिए जिसमें उस प्रकार के ग्राहकों का ब्योरा भी शामिल करना चाहिए जिनसे बैंक/वित्तीय संस्था को औसत से अधिक जोखिम मिलने की संभावना हो और इसमें बैंक/वित्तीय संस्थाओं में ग्राहक-संबंध के निम्नलिखित पहलुओं को शामिल करना चाहिए।

- (i) अज्ञातनाम / छद्मनाम से या फर्जी /बेनामी नामों से कोई खाता न खोला जाय;

(ii) कारोबार के स्वरूप, ग्राहक के स्थान, भुगतान के तरीके, टर्न ओवर की मात्रा, ग्राहक की सामाजिक और आर्थिक स्थिति इत्यादि के अनुसार जोखिम निर्धारण संबंधी मानदंड स्पष्टतः निश्चित कर दिए जाने चाहिए ताकि बैंक/वित्तीय संस्थाएं ग्राहकों को कम जोखिम, मध्यम जोखिम और उच्च जोखिम श्रेणियों में विभाजित कर सकें।

(iii) संभावित जोखिम के आधार पर और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की अपेक्षाओं तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किये गए दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के ग्राहकों से दस्तावेज तथा अन्य सूचना एकत्र की जाए।

(iv) जिन मामलों में बैंक/वित्तीय संस्था ग्राहकों के संबंध में उचित सावधानी संबंधी उपाय लागू न कर पाये, अर्थात्, जिन मामलों में ग्राहक के असहयोग या बैंक/वित्तीय संस्था को ग्राहक द्वारा उपलब्ध कराये गए दस्तावेजों / सूचना की अविश्वसनीयता के कारण बैंक/वित्तीय संस्था ग्राहक की पहचान/दस्तावेजों का सत्यापन कर सकने में असमर्थ हो, उन मामलों में खाता न खोलना। बैंक ऐसी ही परिस्थितियों के तहत मौजूदा खाते को बंद करने पर भी विचार कर सकते हैं।

(v) जिन परिस्थितियों में किसी ग्राहक को किसी अन्य व्यक्ति / संस्था की ओर से काम करने की अनुमति दी जाए उनके बारे में, स्थापित बैंकिंग विधि और व्यवहार के अनुरूप स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाना चाहिए।

(vi) बैंक/वित्तीय संस्था को उपयुक्त प्रणाली स्थापित करना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी ग्राहक की पहचान किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था से न मिलती-जुलती हो जिसका नाम रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए किसी प्रतिबंधों वाली सूची में प्रकट होता हो।

यह बात ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि ग्राहक स्वीकरण नीति को अपनाना एवं उसका कार्यान्वयन अत्यधिक प्रतिबंधात्मक नहीं होना चाहिए और इसका परिणाम सामान्य जनता, विशेषकर वित्तीय और सामाजिक तौर पर प्रतिकूल परिस्थिति वाले लोगों को बैंकिंग सेवाएं नकारने में नहीं होना चाहिए।

3.2. ग्राहक पहचान क्रियाविधि (सीआईपी)

3.2.1 सामान्य

(क) ग्राहक की पहचान से तात्पर्य खाता आधारित संबंध शुरू करते समय ग्राहक से संबंधित उचित सावधानी उपाय करना जिसमें ग्राहक और किसी एक ओवीडी के आधार पर लाभार्थी स्वामी की पहचान करना और उनका सत्यापन करना शामिल है। बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के लिए यह आवश्यक है कि वे प्रत्येक नये ग्राहक, चाहे वह नियमित हो या कभी कदा आने वाला हो की पहचान अपनी संतुष्टि होने तक करने हेतु पर्याप्त जानकारी और उसके बैंकिंग संबंध के अभिप्रेत स्वरूप के प्रयोजन की जानकारी प्राप्त करें। बैंक/वित्तीय संस्था सक्षम प्राधिकारियों को इस बात से संतुष्ट करा सके कि मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुपालन में ग्राहक के संबंध में जोखिम के स्वरूप पर आधारित उचित सावधानी बरती गई है। इस प्रकार का

जोखिम आधारित दृष्टिकोण बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के अनावश्यक खर्च से बचने तथा ग्राहकों की दृष्टि से बोझिल व्यवस्था को टालने के लिए आवश्यक है।

(ख) बैंक/वित्तीय संस्था नें उनके बोर्ड से अनुमोदित नीति होनी चाहिए जिसमें विभिन्न चरणों में पूरी की जाने वाली ग्राहक पहचान क्रियाविधि को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए अर्थात्,

- (i) बैंकिंग संबंध स्थापित करते समय;
- (ii) वित्तीय लेनदेन करते समय;
- (iii) जब बैंक/वित्तीय संस्था को स्वयं द्वारा प्राप्त किए गए ग्राहक पहचान डाटा की प्रामाणिकता या पर्याप्तता को लेकर कोई संदेह हो;
- (iv) जब बैंक किसी तीसरी पार्टी के उत्पाद एजेंट के रूप में बेच रहे हों;
- (v) स्वयं बैंक के उत्पाद बेचते समय, क्रेडिट कार्ड के बकाया का भुगतान करते समय और प्रीपेड/यात्रा कार्ड का विक्रय और रीलोडिंग तथा 50,000/- रूपए से अधिक के लिए किसी अन्य उत्पाद बेचते समय;
- (vi) गैर खाता आधारित ग्राहक, अर्थात् अकस्मात ग्राहक, के लिए लेनदेन करते समय जिसमें शामिल राशि 50,000/- रूपए या उससे अधिक है, चाहे एकल लेनदेन के रूप में किया गया हो या जुड़ा हुआ प्रतीत होने वाले कई लेनदेनों के रूप में किया गया हो।
- (vii) जब किसी बैंक/वित्तीय संस्था के पास यह विश्वास करने का कारण मौजूद हो कि कोई ग्राहक (खाता आधारित या अकस्मात) किसी लेनदेन को इरादतन 50,000/- रूपए से कम के लेनदेनों की शृंखला में बदल रहा हो।

(ग) खाता खोलते समय या आवधिक अद्यतन करने के दौरान बैंक/वित्तीय संस्थाएं केवाईसी प्रयोजन के लिए 'अनिवार्य' सूचना की मांग सकते हैं जिसे देना ग्राहक के लिए बाध्यकर होगा। ग्राहक के संबंध में अन्य 'वैकल्पिक' ब्यौरे/अतिरिक्त जानकारी, यदि आवश्यक हो तो, खाता खोले जाने के बाद केवल ग्राहक की स्पष्ट सहमति से अलग से प्राप्त की जा सकती है।

3.2.2 I. खाता खोलते समय ग्राहक से संबंधित उचित सावधानी अपेक्षाएं

क. व्यक्तियों के खाते:

(i) व्यक्तियों का खाता खोलने के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को 'आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज' (ओवीडी) की एक प्रमाणित प्रति (ऊपर पैरा 2.3 में यथा उल्लिखित) जिसमें पहचान और पते के ब्यौरे हों, एक नवीनतम फोटो तथा बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा अपेक्षित ग्राहक के कारोबार के स्वरूप और वित्तीय हैसियत से संबंधित ऐसे अन्य दस्तावेज प्राप्त कर लेने चाहिए।

(ii) पीएमएल नियमावली के अंतर्गत केवाईसी सत्यापन की वैध प्रक्रिया के रूप में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की ई-केवाईसी सेवा को भी स्वीकार किया जाए। ई-केवाईसी प्रक्रिया के परिणामस्वरूप यूआईडीएआई से उपलब्ध कराए गए जन सांख्यिकीय

विवरण और फोटोग्राफ वाली सूचना को 'आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज' माना जाए। ई-केवाईसी के अंतर्गत, यूआईडीएआई व्यक्ति से संबंधित सूचना जिसमें उसका नाम, आयु, लिंग, और फोटो दिया गया हो, इलेक्ट्रॉनिक रूप से बैंक/कारोबार प्रतिनिधि/कारोबार सहायक को अंतरित कर देता है जिसे केवाईसी सत्यापन के लिए वैध प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। तथापि, व्यक्तिगत उपयोगकर्ता को यूआईडीएआई को स्पष्ट अनुमति देकर प्राधिकृत करना होगा कि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से बैंक/कारोबार प्रतिनिधि/कारोबार सहायक को उनकी पहचान/उनका पता दे दिया जाए। यदि भावी ग्राहक केवल अपनी आधार संख्या जानता / जानती है, तो बैंक भावी ग्राहक के ई-आधार पत्र को बैंक में ही यूआईडीएआई पोर्टल से सीधे मुद्रित कर सकता है; या उल्लिखित के अनुसार ई-केवाईसी प्रक्रिया अपना सकता है। यदि भावी ग्राहक के पास ई-आधार की कहीं और से डाउनलोड की गयी प्रति है तो बैंक, ई-आधार पत्र को बैंक में ही यूआईडीएआई पोर्टल से सीधे मुद्रित कर सकता है; या उपर्युक्त पैरा (ख) में दिए गए अनुसार ई-केवाईसी प्रक्रिया अपना सकता है; या यूआईडीएआई की सरल प्रमाणीकरण सेवा के माध्यम से निवासी की पहचान और पते की पुष्टि कर सकता है।

(iii) चूंकि पीएमएल अधिनियम और विनियमावली या रिज़र्व बैंक के मौजूदा अनुदेशों के अंतर्गत खाता खोलने के परिचय आवश्यक नहीं है, बैंक/वित्तीय संस्थाएं बैंक खाता खोलने के लिए परिचय का आग्रह न करें।

(iv) पहचान के प्रमाण के लिए सरलीकृत उपाय:

यदि किसी वैयक्तिक ग्राहक के पास उपर्युक्त पैरा 2.3 (i) के अनुसार पहचान के प्रमाण के लिए कोई भी ओवीडी उपलब्ध नहीं है तो बैंक/वित्तीय संस्थान को यह अनुमति है की वे ग्राहक के प्रकार, कारोबार संबंध, लेनदेनों की प्रकृति और मूल्य तथा समग्र धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण संबंधी जोखिमों को ध्यान में रखते हुए 'कम जोखिम' वाले ग्राहकों के संबंध में 'सरलीकृत उपाय' अपना सकते हैं। तदनुसार कम जोखिम वाले ग्राहक के संदर्भ में, जहां 'सरलीकृत उपाय' लागू किए गए हैं, वहां पैरा 2.3 (i) में दिए गए दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज प्राप्त करना पर्याप्त होगा जिसे पहचान के प्रमाण के लिए ओवीडी माना जाएगा।

(v) पते के प्रमाण के लिए सरलीकृत उपाय:

'सरलीकृत उपाय' के अंतर्गत 'अल्प जोखिम' वाले ग्राहकों के लिए उपर्युक्त पैरा 2.3 (ii) में उल्लिखित अतिरिक्त दस्तावेज पते के प्रमाण के सीमित प्रयोजन के लिए तब ओवीडी माने जाएंगे जब उसके लिए ग्राहक कोई ओवीडी प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है।

(vi) छोटे खाते

यदि किसी व्यक्ति ग्राहक के पास कोई भी ओवीडी या (उपर्युक्त पैरा 2.3 में दिये गए ब्योरे के अनुसार) सरलीकृत प्रक्रिया के संबंध में लागू दस्तावेज नहीं हैं तो ऐसे व्यक्ति के लिए 'छोटे खाते' खोले जा सकते हैं। 'छोटे खाते' का तात्पर्य किसी बैंककारी कंपनी में बचत खाते से है जिसमें :

- एक वित्तीय वर्ष के दौरान समग्र जमाराशि (क्रेडिट) एक लाख रुपए से अधिक नहीं होती है;
- किसी एक महीने में सभी आहरणों और अंतरणों की राशि मिलाकर दस हजार रुपये से अधिक नहीं होती है; तथा
- किसी भी समय खाते में शेष पचास हजार रुपये से अधिक नहीं होता है।

'छोटा खाता' स्व-प्रमाणित फोटोग्राफ और हस्ताक्षर करके या अंगूठा निशान लगाए जाने के आधार पर खोला जा सकता है।

ऐसे खातों का खोला जाना तथा परिचालन निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

क) छोटा खाता खोलते समय बैंक का पदनामित अधिकारी हस्ताक्षर करके यह प्रमाणित करेगा कि खाता खोलने वाले व्यक्ति ने उसकी उपस्थिति में, अपने हस्ताक्षर किए हैं या अंगूठे का निशान लगाया है, जो भी स्थिति हो ।

ख) ऐसा छोटा खाता केवल कोर बैंकिंग समाधान से जुड़ी बैंक शाखाओं में या किसी ऐसी शाखा में खोला जाएगा जहां प्रत्यक्ष रूप से निगरानी करना संभव हो और यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी छोटे खाते में विदेशी विप्रेषण जमा न किए जाएं और किसी भी लेनदेन की अनुमति दिए जाने से पूर्व ऐसे खातों में लेनदेनों के लिए निर्धारित मासिक और समग्र वार्षिक सीमा तथा शेष का उल्लंघन न हो;

ग) प्रारंभ में छोटा खाता बारह माह की अवधि के लिए परिचालनीय रहेगा और यदि उक्त खाते को खोलने के बारह मास के भीतर ऐसे खाते का धारक उस बैंककारी कंपनी के समक्ष ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत कर देता है कि उसने आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों में से किसी के लिए आवेदन कर दिया है तो ऐसे खाते की अवधि अगले 12 महीने के लिए और बढ़ायी जा सकती है तथा चौबीस माह की अवधि के बाद उक्त खाते के लिए छूट संबंधी सारे प्रावधानों की समीक्षा की जाएगी।

घ) छोटे खाते पर निगरानी रखी जाएगी और यदि इसमें धनशोधन अथवा आतंकवाद का वित्तपोषण या अन्य उच्च जोखिम परिदृश्य का संदेह हो तो ग्राहक की पहचान 'आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों' को प्रस्तुत करके साबित की जाएगी; और

ड) किसी छोटे खाते में विदेशी विप्रेषण को तब तक जमा किए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि "आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों" को प्रस्तुत करके ग्राहक की पहचान पूरी तरह साबित नहीं कर ली जाती।

(viii) केवाईसी प्रक्रिया के भाग के रूप में किसी ग्राहक से पहचान के प्रमाण और पते के प्रमाण दोनों के लिए कोई एक ही ओवीडी प्रस्तुत करना अपेक्षित है। यदि पहचान के प्रमाण के

लिए प्रस्तुत ओवीडी पर पते का प्रमाण नहीं है (उदाहरण के लिए जैसे पैन कार्ड), तो ग्राहक से पते के प्रमाण लिए कोई अन्य ओवीडी प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

(viii) इसी प्रकार केवाईसी के प्रयोजन से किसी ग्राहक से पते (या तो वर्तमान या स्थायी) के प्रमाण के रूप कोई एक ही ओवीडी प्रस्तुत करना अपेक्षित है। यदि ग्राहक द्वारा दिया गया पते का प्रमाण स्थानीय पता या वह पता नहीं है जहां ग्राहक अभी निवास कर रहा है तो बैंक ऐसे स्थानीय पते के लिए एक घोषणा ले सकता है जिस पर बैंक द्वारा ग्राहक के साथ समस्त पत्राचार किया जा सके। पत्राचार/स्थानीय पते के रूप में दिए गए ऐसे किसी पते के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। बैंक द्वारा इस पते का सत्यापन 'सकारात्मक पुष्टि' जैसे कि पत्र, चेक बुक, एटीएम कार्ड के प्राप्त होने की पावती; टेलीफोन पर बातचीत मुआयना आदि द्वारा किया जा सकता है। स्थान परिवर्तन या किसी अन्य कारण से इस पते में परिवर्तन होने की दशा में ग्राहकों द्वारा बैंक को पत्र व्यवहार किए जाने हेतु नए पते की सूचना इस परिवर्तन के दो सप्ताह के भीतर देनी होगी।

(ix) यदि 'पते के प्रमाण' में दिए गए पते में कोई परिवर्तन होता है तो पते का नया प्रमाण छह माह की अवधि के भीतर बैंक/वित्तीय संस्था को प्रस्तुत किया जाना है।

(x) नजदीकी रिश्तेदारों, जैसे पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री तथा माता-पिता आदि जो पत्नी, पति पिता/माता, पुत्री तथा पुत्र के साथ रहने वाले हैं तथा जिनके पास पते के सत्यापन के लिए आवश्यक ओवीडी नहीं है, के मामलों में बैंक/वित्तीय संस्था को भावी ग्राहक के उस रिश्तेदार से जिसके साथ वह रहता है पहचान और पते के सत्यापन के लिए ओवीडी प्राप्त करना चाहिए तथा उससे इस आशय का एक घोषणा पत्र भी प्राप्त करना चाहिए कि खाता खोलने के लिए इच्छुक उक्त व्यक्ति (भावी ग्राहक) उसका रिश्तेदार है और उसके साथ रहता है।

(xi) ग्राहक द्वारा बैंक से एक ही बैंक की एक शाखा से दूसरी शाखा में अपने खाते को अंतरित करने के लिए संपर्क करने पर बैंको के लिए नए दस्तावेज़ प्राप्त करना अपेक्षित नहीं है। बैंकों को सूचित किया जाता है कि बैंक की किसी एक शाखा द्वारा एक बार की गई केवाईसी बैंक के भीतर खाते के अंतरण के लिए वैध होनी चाहिए यदि संबंधित खाते के लिए पूर्ण केवाईसी प्रक्रिया की गई हो और आवधिक अपडेशन का समय न आया हो। बैंकों को चाहिए कि ग्राहकों से पहचान और पते के नए प्रमाण के लिए आग्रह न करें तथा खाता-धारक से उसके वर्तमान पते की स्वयं-घोषणा के आधार पर बिना किसी प्रतिबंध के एक शाखा से दूसरे शाखा में उनका खाता अंतरित करने की अनुमति दें। साथ ही, यदि कोई मौजूदा ग्राहक जिसका केवाईसी अनुपालन हुआ हो, उसी बैंक में एक और खाता खोलना चाहता हो तो पहचान और/अथवा पते का नया प्रमाण प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

(xii) जहां कम जोखिमपूर्ण के रूप में वर्गीकृत कोई ग्राहक ऐसा कोई कारण बताते हुए दस्तावेज़ीकरण अपेक्षाओं को पूरा करने में अक्षमता व्यक्त करता है जो बैंक को सही प्रतीत होता है, और जहां कारोबार के सामान्य संचालन को बाधित न करना आवश्यक हो, बैंक संबंध

स्थापित करने की तिथि से छः माह की अवधि के भीतर पहचान का सत्यापन पूरा कर सकते हैं।

(xiv) खाता-आधारित संबंध बनने पर ग्राहकों की पहचान को निर्धारित करने और उसको सत्यापित करने के उद्देश्य से बैंक/एफआई निम्नलिखित शर्तों के अधीन तृतीय पक्षकार का अवलंब ले सकेगा -

- 1) बैंक/एफआई तृतीय पक्षकार द्वारा कार्यान्वित ग्राहक समुचित सावधानी से आवश्यक जानकारी शीघ्र अभिप्राप्त कर सकेगा;
- 2) बैंक/एफआई स्वयं को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक उपाय कर सकेगा कि पहचान डाटा और ग्राहक समुचित सावधानी से संबंधित सुसंगत प्रलेखन की प्रतियां तृतीय पक्षकार से अनुरोध करने पर अविलंब उपलब्ध करा दी जाएं ;
- 3) बैंक/एफआई संतुष्ट है कि ऐसे तृतीय पक्षकार को विनियमित, पर्यवेक्षित और मानीटर किया जाता है तथा और धनशोधन निवारण अधिनियम की अपेक्षाओं और बाध्यताओं के अधीन ग्राहक उचित सावधानी और रिकार्ड-कीपिंग अपेक्षाओं के अनुसार उपाय स्थापित किए गए हैं;
- 4) तृतीय पक्षकार उच्च जोखिम के रूप में वर्गीकृत देश या क्षेत्राधिकार में स्थित नहीं है;
- 5) बैंक/एफआई ग्राहक उचित सावधानी के लिए अंततः उत्तरदायी है, और यथालागू संवर्धित ग्राहक उचित सावधानी उपाय कर रहा है।

(xiv) अप्रत्यक्ष ग्राहकों के खाते

फोन और इलैक्ट्रॉनिक बैंकिंग के प्रचलन से बैंकों द्वारा ग्राहकों के लिए अधिकाधिक खाते खोले जा रहे हैं जिसके लिए ग्राहकों के बैंक शाखा में आने की आवश्यकता नहीं होती। अप्रत्यक्ष ग्राहकों के मामले में, ग्राहक की सामान्य पहचान क्रियाविधि लागू करने के अलावा निहित उच्चतर जोखिम को कम करने के उद्देश्य से विशिष्ट और पर्याप्त क्रियाविधियों की आवश्यकता है। सभी प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रमाणीकरण पर जोर दिया जाय और यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त दस्तावेजों की माँग की जाए। ऐसे मामलों में, बैंक ग्राहक के दूसरे बैंक खाते के जरिए पहला भुगतान करने की अपेक्षा भी रख सकते हैं जिसमें 'अपने ग्राहक को जानिए' के समान मानकों का पालन होता है। सीमा पार ग्राहकों के मामले में ग्राहक के दस्तावेजों के साथ मेल मिलाने की अतिरिक्त कठिनाई होती है और ऐसी स्थिति में बैंक के तीसरी पार्टी को प्रमाणीकरण पहचान पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे मामलों में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि तीसरी पार्टी एक विनियमित और पर्यवेक्षित संस्था है और वहां पर 'अपने ग्राहक को जानिए' प्रणाली पर्याप्त रूप में कार्यरत है।

(xv) विदेशी विद्यार्थियों के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया :

बैंकों को भारत में अध्ययनरत विदेशी विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाना चाहिए:

- 1) बैंक विदेशी विद्यार्थी का अनिवासी साधारण (एनआरओ) बैंक खाता उसके पासपोर्ट (वीजा और प्रवजन पृष्ठांकन सहित) के आधार पर खोल सकते हैं जिसमें उसके गृह राष्ट्र में उसकी पहचान तथा पते का प्रमाण दर्ज हो तथा उसके साथ एक फोटो और भारत में शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रवेश दिए जाने संबंधी पत्र होना चाहिए।
- 2) बैंकों को खाता खोलने के 30 दिन की अवधि के भीतर स्थानीय पते के संबंध में घोषणा लेनी चाहिए और स्थानीय पते की जांच करना चाहिए।
- 3) 30 दिन की अवधि के दौरान खाता इस शर्त के अधीन परिचालित किया जाना चाहिए कि पते की जांच हो जाने तक खाते में 1,000 अमेरिकी डालर या उससे अधिक के विदेशी विप्रेषण की अनुमति नहीं होगी तथा 50,000/- रुपए तक का अधिकतम मासिक आहरण ही किया जा सकेगा।
- 4) खाते को सामान्य एनआरओ खाते के रूप में माना जाएगा और उसका परिचालन अनिवासी साधारण रुपया (एनआरओ) खाता पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों तथा [03 मई 2000 की विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम अधिसूचना 5/2000](#) की अनुसूची 3 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।
- 5) पाकिस्तानी और बांग्लादेश की राष्ट्रियता वाले छात्रों को खाता खोलने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमति लेनी होगी।

(xvi) भारत के बाहर रहने वाले पोलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन (पी इ पी) के खाते

- 1) पोलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन वे हैं जो विदेश में प्रमुख सार्वजनिक कार्य करते हैं अथवा ऐसे कार्य उन्हें सौंपे गये हैं, उदाहरण के लिए राज्यों अथवा सरकारों के प्रमुख, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, वरिष्ठ सरकारी/न्यायिक/ सेना अधिकारी, राजकीय स्वामित्व वाले निगमों के वरिष्ठ कार्यपालक महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ता इत्यादि। संबंध स्थापित करने का इरादा रखने वाले इस श्रेणी के किसी व्यक्ति /ग्राहक के मामले में बैंक पर्याप्त जानकारी प्राप्त करें तथा उस व्यक्ति के संबंध में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध समस्त जानकारी की जांच करें। बैंकों को पोलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन को ग्राहक के रूप में स्वीकार करने से पहले उस व्यक्ति की पहचान को सत्यापित करना चाहिए और इन निधियों के स्रोत की जानकारी हासिल करनी चाहिए। पोलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन के लिए खाता खोलने का निर्णय वरिष्ठ स्तर पर लिया जाना चाहिए जिसे ग्राहक स्वीकरण नीति में स्पष्टतः निर्धारित किया जाना चाहिए। बैंकों को चाहिए कि वे ऐसे खातों की निरंतर आधार पर अधिक मॉनीटरिंग करें। इन उपर्युक्त मानदंडों को

पोलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन के परिवार के सदस्यों अथवा नजदीकी रिश्तेदारों के खातों के मामले में भी लागू किया जाना चाहिए।

- 2) किसी विद्यमान खाते का विद्यमान ग्राहक अथवा लाभार्थी स्वामी बाद में पीईपी हो जाए तो बैंकों को उक्त ग्राहक के साथ व्यावसायिक संबंध जारी रखने के लिए वरिष्ठ प्रबंध तंत्र का अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए तथा पीईपी श्रेणी के ग्राहकों पर यथालागू ग्राहक संबंधी समुचित सावधानी उपाय उक्त खाते पर लागू करने चाहिए और खाते की निरंतर आधार पर अधिक मॉनिटरिंग भी करनी चाहिए। ये अनुदेश उन खातों पर भी लागू होते हैं जहां कोई पीईपी अंतिम लाभार्थी स्वामी है।
- 3) साथ ही पीईपी खातों के संबंध में बैंकों के पास पीईपी, ऐसे ग्राहक जो पीईपी के परिवार के सदस्य हैं तथा ऐसे खाते जिनमें पीईपी अंतिम लाभार्थी स्वामी है, को पहचानने तथा उनके संबंध में ग्राहक संबंधी संवर्धित मुचित सावधानी उपाय लागू करने के लिए समुचित और निरंतर जोखिम प्रबंधन प्रणालियां होनी चाहिए।

ख. व्यक्तियों के अलावा अन्य संस्थाओं के खाते:

(i) जहां ग्राहक कोई कंपनी हो, ग्राहक पहचान के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रमाणित प्रति आवश्यक है:

- (क) निगमन का प्रमाणपत्र;
- (ख) संस्था के बहिर्नियम और अंतर्नियम के संबंध में प्रमाणपत्र ;
- (ग) निदेशक बोर्ड का प्रस्ताव और उनकी ओर से लेनदेन करने हेतु अपने प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों को प्रदत्त मुख्तारनामा; और
- (घ) उन प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों, जो उनकी ओर से लेनदेन करने हेतु मुख्तारनामा धारण करते हैं, के संबंध में एक आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज ।

बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को व्यक्तियों द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थाओं में खाते रखने के लिए बिजनेस कंपनियों का एक 'फ्रंट' के रूप में उपयोग करने के मामले में सतर्क रहना आवश्यक है। बैंकों को कंपनी के नियंत्रक ढांचे की जांच करनी होगी, निधियों के स्रोत का पता करना होगा तथा उन नेचुरल व्यक्तियों की पहचान करनी होगी जिनका नियंत्रक हित है और जो प्रबंधतंत्र का एक हिस्सा हैं। इन अपेक्षाओं को जोखिम बोध के अनुसार कम-अधिक किया जा सकता है -उदाहरण के लिए, सार्वजनिक कंपनी के मामले में सभी शेयरधारकों को पहचानना आवश्यक नहीं होगा ।

(ii) जहां ग्राहक कोई भागीदारी फर्म हो, ग्राहक पहचान के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रमाणित प्रति आवश्यक है:

- (क) पंजीकरण प्रमाणपत्र;
- (ख) भागीदारी विलेख और;
- (ग) उस व्यक्ति के संबंध में एक आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज जो इसकी ओर से लेनदेन करने हेतु मुख्तारनामा धारण करता हो।

(iii) जहां ग्राहक कोई न्यास (ट्रस्ट) हो, ग्राहक पहचान के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रमाणित प्रति आवश्यक है:

(क) पंजीकरण प्रमाणपत्र;

(ख) न्यास विलेख; और

(ग) उस व्यक्ति के संबंध में एक आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज जो इसकी ओर से लेनदेन करने हेतु मुख्तारनामा धारण करता हो।

(iv) जहां ग्राहक कोई अनिगमित संघ या व्यक्तियों का निकाय हो, ग्राहक पहचान के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रमाणित प्रति आवश्यक है:

(क) ऐसे अनिगमित संघ या व्यक्तियों के निकाय के प्रबंधन इकाई का संकल्प

(ख) उसकी ओर से लेनदेन करने के लिए प्रदत्त मुख्तारनामा

(ग) उस व्यक्ति के संबंध में एक आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज जो उसकी ओर से लेनदेन करने हेतु मुख्तारनामा धारण करता हो।

(घ) ऐसी सूचना जो ऐसे अनिगमित संघ या व्यक्तियों के निकाय के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए समग्र रूप से बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा अपेक्षित हो।

(v) मालिकाना प्रतिष्ठान

(1) मालिकाना प्रतिष्ठानों के लिए, वैयक्तिक स्वत्वधारी पर लागू ओवीडी के अलावा मालिकाना प्रतिष्ठान के नाम से निम्नलिखित में से कोई दो दस्तावेज जमा किए जाने अपेक्षित हैं:

(क) पंजीकरण प्रमाणपत्र।

(ख) दुकान और स्थापना अधिनियम के अंतर्गत नगरपालिका प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाणपत्र।

(ग) बिक्री और आयकर रिटर्न।

(घ) सीएसटी/वीएटी प्रमाणपत्र।

(ङ) बिक्री कर/सेवा कर/व्यावसायिक कर प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाणपत्र।

(च) किसी संविधि के अंतर्गत निगमित किसी प्रोफेशनल निकाय द्वारा मालिकाना प्रतिष्ठान के नाम पर जारी किया गया लाईसेंसिंग/ कारोबार चलाने का दस्तावेज।

(छ) एकल स्वामी के नाम में पूर्ण आयकर विवरणी (न कि सिर्फ पावती), जिसमें फर्म की आय दर्शाई गई हो और जो आय कर के प्राधिकारियों द्वारा विधिवत् प्रमाणित/स्वीकृत हो।

(ज) बिजली, पानी और लैंडलाइन टेलीफोन बिल जैसे उपयोगिता सेवा बिल।

(2) यद्यपि सामान्य नियम यह है कि मालिकाना प्रतिष्ठान द्वारा कारोबार करने के प्रमाण लिए उल्लिखित कोई दो दस्तावेज दिये जाने चाहिए, जिन मामलों में बैंक संतुष्ट हैं कि ऐसे

दो दस्तावेज़ प्रस्तुत करना संभव नहीं है, उन्हें यह विवेकाधिकार होगा कि कारोबार करने के प्रमाण के रूप में उनमें से केवल एक ही दस्तावेज़ को स्वीकार करें। तथापि ऐसे मामलों में बैंकों को जाकर संपर्क के पते की जांच करनी होगी तथा ऐसी सूचना एकत्र करनी होगी जो ऐसे कंपनी के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक हो तथा उन्हें यह स्पष्ट, साफ और पुष्ट करना होगा कि कारोबार होने का सत्यापन मालिकाना प्रतिष्ठान के पते पर जाकर किया गया है।

(vi) विदेशी संविभाग निवेशकों (एफपीआई) के लिए सरलीकृत केवाईसी मानदंड

पीएमएल नियमावली के नियम 9 (14) (i) के अनुसार ऐसे एफपीआई के लिए सरलीकृत मानदंड निर्धारित किए गए हैं जो सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार विधिवत पंजीकृत हैं तथा सेबी द्वारा विनियमित अभिरक्षक/मध्यस्थ के माध्यम से जिनका सेबी द्वारा निर्धारित अपेक्षित केवाईसी उचित सावधानी/सत्यापन किया जा चुका है। ऐसे पात्र/पंजीकृत एफपीआई संविभाग निवेश योजना (पीआईएस) के अंतर्गत निवेश करने के प्रयोजन से बैंक खाता खोलने के लिए किसी बैंक से संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित केवाईसी दस्तावेज (3 अप्रैल 2014 के परिपत्र बैंपविवि. एएमएल.बीसी. सं. 103/14.01.0001/2013-14 के अनुबंध-11 में दिए गए ब्यौरे के अनुसार) आवश्यक होंगे। इस प्रयोजन से बैंक/वित्तीय संस्था पीएमएल नियमावली के नियम 9(2) [(क) से (ड) तक] में दी गई शर्तों के अधीन किसी तीसरे पक्ष (अर्थात् अभिरक्षक/सेबी द्वारा विनियमित मध्यस्थ) द्वारा किए गए केवाईसी सत्यापन पर निर्भर रह सकते हैं।

(viii) जब ग्राहकों के खाते व्यावसायिक मध्यवर्तियों द्वारा खोले जाते हैं:

जब बैंक को यह पता है अथवा ऐसा विश्वास करने का कारण है कि व्यावसायिक मध्यवर्ती द्वारा खोला गया ग्राहक खाता किसी एकल ग्राहक के लिए है तो उस ग्राहक की पहचान कर ली जानी चाहिए। बैंकों के पास म्युच्युअल निधियों, पेन्शन निधियों अथवा अन्य प्रकार की निधियों जैसी संस्थाओं की ओर से व्यावसायिक मध्यवर्तियों द्वारा प्रबंधित 'समूहित' खाते हो सकते हैं। तथापि, बैंकों को ऐसे व्यावसायिक मध्यवर्तियों के खाते नहीं खोलने चाहिए जो ग्राहक गोपनीयता की किसी व्यावसायिक बाध्यता के कारण ग्राहक के ब्यौरे बैंक को प्रकट नहीं कर सकते हैं। जहां मध्यवर्तियों द्वारा धारित निधियां बैंक में एक साथ मिश्रित नहीं होती हैं और बैंक में 'उप-खाते' भी हैं, जिनमें से प्रत्येक किसी एक हितार्थी स्वामी का खाता हो, वहां सभी हितार्थी स्वामियों की पहचान करनी होगी। जहां ऐसी निधियों को बैंक में एक साथ मिश्रित किया गया है, वहां भी बैंक को हितार्थी स्वामियों की पहचान करनी चाहिए। जहां बैंक, किसी मध्यवर्ती द्वारा की गयी 'ग्राहक संबंधी उचित सतर्कता' पर निर्भर हैं वहां उन्हें अपने को इस बात से संतुष्ट करना होगा कि मध्यवर्ती नियंत्रित तथा पर्यवेक्षित है और उसने अपने यहां "अपने ग्राहक को जानिए" अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर ली है। यह स्पष्ट किया जाता है कि ग्राहक को जानने का अंतिम दायित्व बैंक का है।

उन दस्तावेजों की एक सूची अनुबंध I में प्रस्तुत है जो विभिन्न श्रेणियों के लिए पहचान और पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार की जा सकती हैं।

ग. फायदाग्राही स्वामित्व

जब कोई बैंक/वित्तीय संस्था खाता खोलने के लिए किसी ग्राहक की पहचान करता है तो उसे फायदाग्राही स्वामी की पहचान करनी चाहिए और पीएमएल नियमावली के नियम 9(3) के अनुसार उसके पहचान का सत्यापन करने के लिए, नीचे दिये गए दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए:

(क) जहां ग्राहक कोई कंपनी है वहां फायदाग्राही स्वामी प्रकृत व्यक्ति है जो चाहे अकेले या साथ में एक या इससे अधिक विधिक व्यक्ति के साथ कार्य कर रहा है, उसका नियंत्रण वाला स्वामित्व हित है या जो अन्य साधनों के माध्यम से नियंत्रण का प्रयोग करता है।

स्पष्टीकरण: इस उपखंड के प्रयोजन के लिए -

1. "नियंत्रक स्वामित्व हित " से शेयरों के पच्चीस प्रतिशत से अधिक या कंपनी के पूंजी या लाभ में पच्चीस प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या हकदारी अभिप्रेत है;
2. "नियंत्रण" में बहुसंख्यक निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार या नीति उनके शेयर धारण या प्रबंधन अधिकारों या शेयर धारकों के करार या मतदान के करारों के आधार सहित प्रबंधन नीति विनिश्चयों का नियंत्रित करना सम्मिलित है।

(ख) जहां ग्राहक भागीदारी फर्म है, वहां फायदाग्राही स्वामी प्रकृत व्यक्ति है, जो चाहे अकेले या साथ में या एक या अधिक विधिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य कर रहा है, वहां उसके पास भागीदारी की पूंजी या लाभ का पंद्रह प्रतिशत से अधिक हकदारी है;

(ग) जहां ग्राहक अनिगमित संगम या व्यष्टियों का निकाय है, वहां फायदाग्राही व्यक्ति प्रकृत व्यक्ति है जो चाहे अकेले या साथ में या एक या एक से अधिक विधिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य कर रहा है, वहां उसके पास ऐसे संगम या व्यष्टियों के निकाय की संपत्ति या पूंजी या लाभ का पंद्रह प्रतिशत से अधिक स्वामित्व या हकदारी है;

(घ) जहां प्रकृत व्यक्ति की उपरोक्त (क), (ख) या (ग) के अधीन पहचान नहीं की गई है वहां फायदाग्राही स्वामी सुसंगत प्रकृत व्यक्ति है जो वरिष्ठ प्रबंध पदधारी की प्रास्थिति धारण करता है;

(ङ.) जहां ग्राहक कोई न्यास है वहां फायदाग्राही स्वामी की पहचान में न्यास के लेखक, न्यासी, न्यास में पंद्रह प्रतिशत या अधिक के हित वाला फायदाग्राही और कोई अन्य प्रकृत व्यक्ति जो नियंत्रण या स्वामित्व की श्रृंखला के माध्यम से न्यास पर अंततः प्रभाव नियंत्रण का प्रयोग करनेवाला कोई अन्य प्रकृत व्यक्ति सम्मिलित होगा;

(च) जहां नियंत्रण हित का ग्राहक या स्वामी स्टाक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध कोई कंपनी या ऐसी कंपनी का समनुषंगी हैं वहां ऐसी कंपनियों के किसी शेयर धारक या फायदाग्राही स्वामी की पहचान करना और पहचान को सत्यापित करना आवश्यक नहीं है।

यह संभावना हो सकती है कि न्यास/नामिती अथवा न्यासी खातों का, ग्राहक पहचान क्रियाविधियों से बचने के लिए उपयोग किया जा सकता है। बैंकों को यह निश्चित कर लेना चाहिए कि क्या ग्राहक न्यासी /नामिती अथवा किसी अन्य मध्यवर्ती के रूप में किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कार्य कर रहा है यदि ऐसा है तो बैंक को उन ग्राहकों से, जिनकी ओर से वे काम कर रहे हैं, उन मध्यवर्तियों अथवा व्यक्तियों की पहचान का संतोषजनक साक्ष्य प्राप्त करने पर जोर देना चाहिए तथा न्यास के स्वरूप तथा अन्य निर्धारित व्यवस्थाओं के ब्यौरे भी प्राप्त करना चाहिए। किसी न्यास के लिए खाता खोलते समय, बैंकों को न्यासियों तथा न्यास के अवस्थापकों (जिनमें न्यास में आस्तियां लगाने वाला कोई व्यक्ति शामिल है), अनुदान देनेवालों, संरक्षकों, हिताधिकारियों तथा - हस्ताक्षरकर्ताओं की पहचान को सत्यापित करने की उचित सावधानी बरतनी चाहिए। हिताधिकारियों को जब भी परिभाषित किया गया हो तब उनकी पहचान कर ली जानी चाहिए। फाउंडेशन के मामले में, संस्थापक प्रबंधकों /निदेशकों तथा हिताधिकारियों को जब भी परिभाषित किया गया हो तब उनका सत्यापन करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

II. नयी प्रौद्योगिकी का प्रयोग - क्रेडिट कार्ड /डेबिट कार्ड /स्मार्ट कार्ड /गिफ्ट कार्ड

बैंकों को नयी अथवा विकासशील प्रौद्योगिकियों जिनमें इंटरनेट बैंकिंग शामिल है, जिसके कारण धन के स्रोत का पता नहीं चलता, इनसे उभरने वाले धन शोधन से संबंधित जोखिमों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो धन शोधन के प्रयोजन से उनके उपयोग को रोकने के उपाय करने चाहिए। अधिकांश बैंक विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जारी करने के व्यवसाय में लगे हैं। ग्राहक इन कार्डों का माल तथा सेवाएं खरीदने, ए टी एम में से नकद आहरित करने के लिए प्रयोग करते हैं, साथ ही निधियों के इलेक्ट्रॉनिक अंतरण के लिए भी इनका उपयोग हो सकता है। बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राहकों को कार्ड जारी करने से पहले समुचित केवाईसी प्रक्रियाओं को विधिवत लागू किया जाता है। बैंकों से यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि अतिरिक्त / पूरक कार्डधारकों के मामले में भी "अपने ग्राहक को जानिए"/ धन शोधन निवारण/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध संबंधी समय-समय पर जारी सभी दिशानिर्देशों का पूरा अनुपालन किया जाता है। इसके अलावा, सामान्यतः एजेंट की सेवाओं के माध्यम से क्रेडिट कार्डों की मार्केटिंग की जाती है। बैंकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राहकों को कार्ड जारी करने से पूर्व 'अपने ग्राहक को जानिए' क्रियाविधियों को उचित रूप में लागू किया जाता है। यह भी वांछनीय है कि एजेंट पर भी उचित सावधानी तथा 'अपने ग्राहक को जानिए' उपाय लागू किये जाते हैं।

iii. केवाईसी को आवधिक रूप से अद्यतन करना

क. आवधिक रूप से अद्यतन करने के लिए सीडीडी अपेक्षाएँ: बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को प्रत्येक ग्राहक की केवाईसी सूचना को आवधिक रूप से अद्यतन करते रहना चाहिए, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) उच्च जोखिम वाले ग्राहकों के लिए कम-से-कम प्रत्येक दो वर्षों में, मध्यम जोखिम वाले ग्राहकों के लिए कम-से-कम प्रत्येक आठ वर्ष में तथा कम जोखिम वाले ग्राहकों के लिए कम-से-कम प्रत्येक दस वर्षों में पूरी केवाईसी की प्रक्रिया दुहराई जानी चाहिए। पूरी केवाईसी में पहचान और पते की पुष्टि के सभी उपाय तथा ग्राहक के जोखिम प्रोफाइल को देखते हुए बैंक/एफआई द्वारा उचित एवं जरूरी समझे जाने वाले ग्राहक के अन्य ब्यौरे शामिल होंगे और इसमें यह भी ध्यान रखा जाएगा अंतिम बार ग्राहक उचित सावधानी उपाय कब किए गए थे और प्राप्त की गई जानकारी कितनी पर्याप्त है।

(ii) 'कम जोखिम' के रूप में वर्गीकृत ग्राहकों की पहचान और पते में यदि कोई परिवर्तन न हो तो, बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को आवधिक अद्यतनीकरण के समय उनसे पहचान और पते के नए प्रमाण मांगने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मामलों में ग्राहक द्वारा इस संबंध में स्वप्रमाणन ही पर्याप्त होगा। ऐसे 'कम जोखिम वाले' ग्राहकों के पते में परिवर्तन होने पर वे केवल दस्तावेज (पते का प्रमाण) की सत्यापित प्रति मेल/डाक इत्यादि से भिजवा सकते हैं। बैंक आवधिक अद्यतनीकरण के समय ऐसे 'कम जोखिम वाले' ग्राहकों के व्यक्तिगत: उपस्थित होने पर जोर न दें। उपर्युक्त (i) में प्रयुक्त समय-सीमाएं खाता खोलने/केवाईसी के पिछले सत्यापन की तिथि से लागू होंगी।

(iii) नाबालिक ग्राहक के वयस्क हो जाने पर उससे नवीन फोटोग्राफ प्राप्त किए जाने चाहिए।

ख. खातों को फ्रीज़ करना तथा बंद करना

- (i) बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा बार-बार स्मरण कराए जाने के बावजूद केवाईसी अपेक्षाओं का अनुपालन न करने वाला ग्राहकों के मामले में बैंक/वित्तीय संस्था केवाईसी अपेक्षाओं का अनुपालन न करने वाले ऐसे खातों के लिए चरणबद्ध रूप में 'आंशिक फ्रीजिंग' लागू करें।
- (ii) 'आंशिक फ्रीजिंग' के इसी बीच, खाताधारक प्रभावी अनुदेशों के अनुसार केवाईसी दस्तावेज प्रस्तुत करके खाते को पुनः चालू करा सकता है।
- (iii) आंशिक फ्रीजिंग लागू करते समय बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को यह यह सुनिश्चित करना है कि 'आंशिक फ्रीजिंग' के विकल्प का प्रयोग करने से पूर्व केवाईसी अपेक्षाएं पूरी करने हेतु ग्राहक को शुरुआत में तीन माह का अपेक्षित नोटिस दिया गया है और इसके बाद स्मरण पत्र जारी करके तीन माह का और समय दिया गया है।

- (iv) इसके पश्चात बैंक/वित्तीय संस्था खाता बंद करने की स्वतंत्रता के साथ ही, सभी क्रेडिट लेनदेनों की अनुमति तथा डेबिट लेनदेनों की मनाही करते हुए 'आंशिक फ्रीजिंग' लागू कर सकते हैं।
- (v) यदि शुरुआती 'आंशिक फ्रीजिंग' लागू किए जाने के बाद भी खाते में छह माह तक केवाईसी अनुपालन नहीं होता है तो बैंक/वित्तीय संस्था इसे अपरिचालित मानते हुए खाते से सभी नामे और जमा लेनदेनों हेतु मनाही कर सकते हैं।
- (vi) इसके अलावा बैंक/वित्तीय संस्था के पास ऐसे ग्राहकों के खाते को बंद करने का विकल्प सदा खुला रहेगा।

जब किसी बैंक/वित्तीय संस्था के पास यह विश्वास करने की परिस्थितियाँ हों कि वह किसी ग्राहक की वास्तविक पहचान से संतुष्ट नहीं रह सकता तो वह बैंक/वित्तीय संस्था राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्य कर रही वित्तीय आसूचना एकक - भारत (एफ़आईयू-आईएनडी) में एक संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) फाइल करेगा।

IV. विविध

क. सहकारी बैंकों द्वारा ली जाने सममूल्य पर चेक जारी करने की सुविधा

कुछ वाणिज्यिक बैंकों ने सहकारी बैंकों के साथ यह व्यवस्था की है, जिसमें सहकारी बैंक वाणिज्यिक बैंकों में चालू खाता खोलते हैं और अपने घटकों और अकस्मात (वाँक-इन) ग्राहकों के विप्रेषण और भुगतानों की सुविधा हेतु सममूल्य पर चेक जारी करने के लिए चेक बुक सुविधा का इस्तेमाल करते हैं। चूंकि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सहकारी बैंकों को प्रस्तावित सममूल्य पर सुविधा प्रतिनिधि बैंकिंग व्यवस्था के प्रकार की है, इसलिए बैंकों को ऋण जोखिम और प्रतिष्ठा जोखिम सहित इससे उत्पन्न होने वाले जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए ऐसी व्यवस्था की निगरानी और समीक्षा करनी चाहिए। इस प्रयोजन से केवाईसी और एएमएल संबंधी विद्यमान अनुदेशों का अनुपालन करने हेतु बैंकों को ऐसी व्यवस्थाओं के अंतर्गत अपने ग्राहक सहकारी बैंकों/ समितियों द्वारा रखे गए अभिलेखों का सत्यापन करने का अधिकार अपने पास रखना चाहिए।

इस संबंध में, शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे 'सममूल्य' चेक सुविधा का उपयोग मात्र निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए करें:

- (i) उनके अपने उपयोग के लिए
- (ii) केवाईसी अनुपालन पूरा करने वाले खाताधारकों के लिए, बशर्ते कि 50,000.00 रुपये या उससे अधिक राशि के सभी लेन-देनों को अनिवार्य रूप से ग्राहक के खाते में नामे डालकर ही पूरा किया जाए।
- (iii) जहां तक आकस्मिक (वाक-इन) ग्राहकों का संबंध है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए 50,000.00 रुपये से कम राशि पर यह सुविधा दी जाए।

उपर्युक्त तरीके से 'सममूल्य' चेक सुविधा का उपयोग करने के लिए शहरी सहकारी बैंक निम्नलिखित मर्दों का अभिलेख बनाए रखें:

i. 'सममूल्य' चेक सुविधा जारी करने से संबंधित अभिलेख, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आवेदक का नाम, खाता सं., लाभार्थी के ब्योरे, सममूल्य चेक जारी करने की तारीख शामिल की जाए।

ii. ऐसी सुविधा प्रदान करने वाले वाणिज्यज बैंक के साथ पर्याप्त शेष राशि/आहरण की व्यवस्था हो ताकि इस प्रकार के लिखतों का भुगतान किया जा सके।

शहरी सहकारी बैंक यह भी सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा जारी सभी 'सममूल्य' चेकों पर रेखांकित करके 'केवल आदाता के खाते में' का उल्लेख किया जाना चाहिए, चाहे राशि कुछ भी हो।

ख. बैंक खातों का परिचालन तथा धनशोधन का माध्यम बने व्यक्ति

अपराधियों द्वारा धोखाधड़ी वाली योजनाओं (उदाहरणार्थ फिशिंग तथा पहचान की चोरी) से होने वाली आय का शोधन करने के लिए 'धनशोधन के माध्यम' के रूप में कार्य करने वाले कुछ व्यक्तियों का इस्तेमाल किया जा सकता है जो धनशोधन का माध्यम बना दिये गए ऐसे तीसरे पक्षकारों को भर्ती कर जमा खातों तक अवैध रूप से पहुँच बना लेते हैं। ऐसे 'धनशोधन के माध्यम' के रूप में कार्य करने वाले खातों के परिचालन को न्यूनतम करने के लिए बैंकों को चाहिए कि वे खाता खोलने तथा लेनदेनों की निगरानी से संबंधित दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करें।

ग. स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए सरलीकृत मानदंड

एसएचजी का बचत बैंक खाता खोलते समय एसएचजी के सभी सदस्यों का सत्यापन करना आवश्यक नहीं है तथा सभी पदधारियों का सत्यापन करना पर्याप्त होगा। जहां तक एसएचजी का क्रेडिट लिंकिंग करते समय केवाईसी सत्यापन करने का सवाल है, तो सदस्यों या पदधारियों का अलग से सत्यापन करने की जरूरत नहीं है।

घ. वॉक-इन ग्राहक

गैर-खाता आधारित ग्राहक अर्थात् वॉक-इन ग्राहक के लेनदेन के मामले में यदि लेनदेन की राशि पचास हजार रुपये या उससे अधिक हो, चाहे वह एकल लेनदेन हो या आपस में जुड़े प्रतीत होनेवाले कई लेनदेन हों, तो ग्राहक की पहचान तथा पते का सत्यापन किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, यदि बैंक के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई ग्राहक अपना लेनदेन जानबूझकर 50,000/- रुपये की उच्चतम सीमा से कम के लेनदेनों की श्रृंखला में कर रहा है,

तो बैंक को उस ग्राहक की पहचान तथा पते का सत्यापन करना चाहिए तथा वित्तीय आसूचना एकक - भारत (एफआईयू-आईएनडी) के पास एक संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) फाइल करने पर भी विचार करना चाहिए।

धनशोधन निवारण नियमावली, 2005 के नियम 9 के उप-नियम (1) खण्ड (ख) (ii) के अनुसार बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा सभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा अंतरण परिचालनों के लिए ग्राहक की पहचान का सत्यापन किया जाना आवश्यक है।

ड) 50,000/- रुपये और उससे अधिक राशि के मांग ड्राफ्ट इत्यादि जारी करना

बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पचास हजार रुपये या उससे अधिक मूल्य के मांग ड्राफ्ट /तार अंतरण या किसी अन्य प्रकार से निधियों का विप्रेषण और यात्री चेक जारी करना, ग्राहक के खाते में डेबिट करके या चेक के आधार पर किया जाता है, नकद भुगतान के आधार पर नहीं।

बैंकों को चेकों/ड्राफ्टों/भुगतान आदेशों/बैंकर चेकों का भुगतान उनके जारी होने की तारीख से तीन महीने के बाद प्रस्तुत किए जाने पर नहीं करना चाहिए।

च) विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड

विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी) से ग्राहकों की पहचान करने, उनके द्वारा ली गई सुविधाओं का पता लगाने और समग्र रूप में वित्तीय लेनदेन की निगरानी रखने में बैंकों को मदद मिलेगी तथा ग्राहकों का जोखिम प्रोफाइल तैयार करने के लिए बैंक बेहतर दृष्टिकोण अपना सकेंगे। बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपने सभी मौजूदा ग्राहकों को यूसीआईसी आबंटित करने के लिए कदम उठाएँ, और इसका आरंभ ग्राहकों के साथ किसी भी नये संबंध की शुरुआत करते समय करें।

3.3 लेनदेनों की निगरानी

3.3.1 निरंतर निगरानी

निरंतर निगरानी कारगर केवाईसी/एएमएल क्रियाविधियों का अनिवार्य तत्व है।

बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को प्रत्येक ग्राहक के संबंध में निरंतर उचित सावधानी बरतनी चाहिए और लेनदेन की कड़ाई से जांच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे ग्राहक के प्रोफाइल तथा उसके निधियों के स्रोत से सुसंगत हैं।

(क) निगरानी किस सीमा तक होगी वह उस खाते के जोखिम वर्गीकरण पर निर्भर होगा। उच्च जोखिम वाले खातों की सघन निगरानी की जाएगी।

(ख) बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को निम्नलिखित प्रकार के खातों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए:

- (i) जटिल, असामान्य रूप से बड़े लेनदेनों और सभी ऐसी असामान्य बातें, जिनका कोई सुस्पष्ट आर्थिक अथवा दृश्य वैध प्रयोजन न हो,
- (ii) किसी विशिष्ट श्रेणी के खातों की लिए निर्धारित सीमाओं को लांघने वाले लेनदेन
- (iii) बड़ी नकद राशि वाले लेनदेन, जो संबंधित ग्राहक की सामान्य और अपेक्षित गतिविधि के अनुरूप नहीं हैं,
- (iv) रखी गयी शेष राशि के आकार के अनुरूप न होने वाले बहुत बड़े लेनदेन

(ग) बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को खातों के जोखिम वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा की एक प्रणाली आरंभ करनी चाहिए और इस संबंध में उचित सावधानी के और अधिक उपाय लागू करने की भी आवश्यकता है। ग्राहकों के जोखिम संवर्गीकरण की ऐसी समीक्षा छह महीने में कम से कम एक बार की जानी चाहिए।

(घ) बैंकों को मार्केटिंग कंपनियों, विशेषकर बहु-स्तरीय मार्केटिंग कंपनियों (एमएलएम), के खातों पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। बैंकों को उन मामलों में जानकारी/आंकड़ों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना चाहिए जहां कंपनी द्वारा बड़ी संख्या में चेक बुकों की मांग की गई हो, एक ही बैंक खाते में देश भर में बहुत सारी छोटी-छोटी जमा राशियां जमा की गयी हों (सामान्यतः नकद रूप में) और जहां बड़ी संख्या में एक समान राशियों/तिथियों के चेक जारी किए जाते हों। जहां बैंक को ऐसे लक्षण दिखाई दें और यदि उन्हें खातों में असाधारण परिचालन मिलते हैं तो मामले को रिजर्व बैंक और अन्य उचित प्राधिकारियों जैसे कि एफआईयू-आईएनडी को तत्काल रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

3.4 जोखिम प्रबंधन

3.4.1 बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को प्रत्येक ग्राहक के साथ कारोबारी रिश्ते के संबंध में निरंतर उचित सावधानी बरतनी चाहिए और लेनदेनों की कड़ाई से जांच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे ग्राहकों, उनके कारोबार, जोखिम प्रोफाइल तथा जहां आवश्यक हो निधियों के स्रोत से सुसंगत हैं।

बैंक के निदेशक बोर्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि योग्य क्रियाविधियों को स्थापित करके तथा उनका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करके, एक प्रभावी 'अपने ग्राहक को जानिए' कार्यक्रम सुस्थापित है। इसमें उचित प्रबंधन निरीक्षण, प्रणालियां तथा नियंत्रण, कार्यों का पृथक्करण, प्रशिक्षण तथा अन्य संबंधित मामले शामिल होने चाहिए। इसके अतिरिक्त एएमएल /सीएफटी अपेक्षाओं को कारगर ढंग से लागू करने के लिए निम्नलिखित को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

- (i) विविध एएमएल /सीएफटी जोखिमों का प्रबंधन करने तथा उन्हें कम करने के लिए जोखिम आधारित दृष्टिकोण का प्रयोग करना
- (ii) बैंक की नीतियों तथा क्रियाविधियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायित्व का विनियोजन
- (iii) अनुपालन कार्य में बैंक/वित्तीय संस्था की अपनी नीतियों तथा क्रियाविधियों का स्वतंत्र मूल्यांकन, जिनमें विधिक तथा विनियामक अपेक्षाएं शामिल हैं,
- (iv) समवर्ती /आंतरिक लेखा-परीक्षकों द्वारा केवाईसी/ एएमएल नीतियों और क्रियाविधियों के अनुपालन की जांच करना
- (v) ऐसे लेखा-परीक्षा पर समेकित नोट प्रस्तुत करना तथा बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति के समक्ष तिमाही अंतरालों पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

3.4.2 (क) बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को जोखिम की श्रेणी का ध्यान रखते हुए प्रत्येक नये ग्राहक के लिए एक प्रोफाइल तैयार करना चाहिए। ग्राहक की प्रोफाइल में ग्राहक की पहचान, उसकी सामाजिक /आर्थिक हैसियत, उसके कारोबार का स्वरूप, उसके ग्राहकों के कारोबार तथा स्थान से संबंधित सूचना शामिल की जानी चाहिए। उचित सावधानी का स्वरूप और उसकी सीमा बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा अनुमानित जोखिम पर निर्भर होगी।

(ख) बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को अपने ग्राहकों को मूल्यांकन और जोखिम ग्रहणबोध के आधार पर अल्प, मध्यम और उच्च जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत करना चाहिए और यह वर्गीकरण, गतिविधि के नियमित ढर्रे से हटकर किए गए लेनदेनों की पहचान करते हुए, केवल इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि वे ग्राहक किसी समूह या वर्ग से संबंधित हैं। बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि वे जोखिम वर्गीकरण के लिए बोर्ड के अनुमोदन से नीतियां स्थापित करें और यह सुनिश्चित करें कि उनका कड़ाई से पालन किया जाता है ताकि धनशोधन संबंधी गतिविधियों का कारगर धन से प्रतिरोध किया जा सके। उचित सावधानी किस तरह से बरती जाएगी और उसकी सीमा क्या होगी उसका निर्धारण निम्नलिखित सिद्धांतों पर किया जा सकता है:

- (i) व्यक्ति (उच्च निवल मालियत वालों को छोड़कर) और संस्थाएं जिनकी पहचान और आय का स्रोत आसानी से निर्धारित की जा सकती है तथा ग्राहक जिनके खातों में किए गए लेनदेन ज्ञात प्रोफाइल से सुसंगत हों, उन्हें कम जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया जाए। उदाहरण के लिए वेतनभोगी और पेंशनधारक, निम्न आर्थिक स्तर वाले लोग, सरकारी विभाग तथा सरकारी स्वामित्व की कंपनियां, विनियामक और सांविधिक निकाय, संयुक्त राष्ट्र संघ या इसकी एजेंसियों द्वारा प्रवर्तित गैर-लाभकारी संगठन/गैर-सरकारी संस्थान तथा नामी अंतर्राष्ट्रीय/बहुराष्ट्रीय संस्थाएं भी कम जोखिम वाले ग्राहक के रूप में वर्गीकृत की जा सकती हैं।
- (ii) जो ग्राहक औसत से अधिक जोखिम प्रस्तुत करने की संभावना रखते हों उन्हें उनकी पृष्ठभूमि, मूल राष्ट्रीयता, कार्य का प्रकार और स्थान, निधियों के स्रोत, ग्राहक प्रोफाइल

इत्यादि को ध्यान में रखते हुए मध्यम या उच्च जोखिम श्रेणी में वर्गीकृत करना चाहिए। जिन ग्राहकों के लिए बहुत उच्च स्तर की निगरानी की आवश्यकता हो अर्थात्, जो नकदी प्रधान कारोबारों में लगे हों, विदेशी मूल के पोलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन (पीईपी), को जरूरी समझे जाने पर उच्च जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

जोखिम वर्गीकरण के लिए उपर्युक्त दिशानिर्देश सांकेतिक हैं तथा बैंक/वित्तीय संस्थाएं प्रत्येक खाते के लिए वर्गीकरण निर्धारित करते समय अपने स्वयं के मूल्यांकन तथा ग्राहक के लिए जोखिम ग्रहणबोध के आधार पर, इस आधार पर नहीं कि वे ग्राहक किसी समूह या वर्ग से संबंधित हैं, अपनी निर्णय क्षमता का प्रयोग करें।

4. संपर्ककर्ता (कॉरस्पॉण्डेंट) बैंकिंग और शैल बैंक

क) संपर्ककर्ता बैंकिंग में एक बैंक (संपर्ककर्ता बैंक) से दूसरे बैंक (रिस्पॉन्डेंट बैंक) में बैंकिंग सेवा का प्रावधान रहता है। इन सेवाओं में नकद /निधियों का प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय तार अंतरण, मांग ड्राफ्ट आहरण और डाक अंतरण व्यवस्था, खातों के जरिए देय व्यवस्था, चेक समाशोधन आदि का समावेश रहता है। बैंकों को संपर्ककर्ता बैंकिंग के लिए संबंध शुरू करते समय निम्नलिखित सावधानियाँ बरतनी हैं:

(क) बैंक के कामकाज का स्वरूप पूर्णतः समझने के लिए पर्याप्त जानकारी प्राप्त करनी चाहिए जिसमें प्रबंधन, प्रमुख कारोबारी गतिविधियाँ, एएमएल /सीएफटी अनुपालन का स्तर, खाता खोलने का उद्देश्य किसी तीसरे व्यक्ति की पहचान जो संपर्ककर्ता बैंक /रिस्पॉन्डेंट बैंक का उपयोग करेगा और संपर्ककर्ता /रिस्पॉन्डेंट के देश में विनियामक/पर्यवेक्षण ढाँचे के संबंध में जानकारी शामिल है।

(ख) ऐसे संबंध केवल बोर्ड के अनुमोदन से ही स्थापित किए जाएं, या ऐसे संबंध अनुमोदित करने के लिए स्पष्ट मानदंडों को निर्धारित करते हुए बैंकों के अध्यक्ष /सीइओ के नेतृत्व वाली समिति के अनुमोदन से स्थापित किए जाएं समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों को अनिवार्यतः बोर्ड के कार्यान्वयन अनुमोदन हेतु अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(ग) प्रत्येक बैंक की जिम्मेदारियों को जिनके साथ संपर्ककर्ता बैंकिंग संबंध स्थापित किये गये हैं स्पष्ट रूप में प्रलेखित किया जाना चाहिए।

(घ) खाते के जरिए देय मामलों में संपर्ककर्ता बैंक को सुनिश्चित करना चाहिए कि रिस्पॉन्डेंट बैंक ने उन ग्राहकों की पहचान का सत्यापन कर लिया है जिनकी खातों में सीधी पहुँच है और उनके संबंध में निरंतर 'उचित सावधानी' बरती जा रही है।

(ङ) संपर्ककर्ता बैंक को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि रिस्पॉन्डेंट बैंक ग्राहक पहचान संबंधी जानकारी अनुरोध करने पर तुरंत देने में सक्षम हैं।

- (च) बैंकों को उन रिस्पॉन्डेंट बैंकों के साथ संबंध बनाए रखने में सतर्कता बरतनी चाहिए जो ऐसे देशों में स्थित हैं जहां 'अपने ग्राहक को जानिए' मानक कमजोर हैं और जिनमें कार्यनीतिक खामियाँ हैं और जिन्होंने एफएटीएफ की सिफारिशों को लागू करने में प्रयाप्त प्रगति नहीं दिखाई है।
- (छ) बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके रिस्पॉन्डेंट बैंकों के पास सुस्थापित अपने ग्राहक को जानिए/धन शोधन निवारण नीति और क्रियाविधि है और वे संपर्ककर्ता खातों के जरिए किए गए लेनदेनों के संबंध में निरंतर 'उचित सावधानी' क्रियाविधि लागू करते हैं।
- (ज) बैंक को किसी 'शेल बैंक' (अर्थात् ऐसा बैंक जो किसी देश में निगमित है जहां उसका अपना अस्तित्व नहीं है और वह किसी विनियमित वित्तीय समूह से संबंधित नहीं है) के साथ संपर्ककर्ता संबंध नहीं स्थापित करना चाहिए।
- (झ) कॉरिस्पॉन्डेंट बैंक को अपने खातों का उपयोग शेल बैंकों को नहीं करने देना चाहिए।

5. वायर अंतरण

बैंक खातों के बीच निधियों के शीघ्र अंतरण की प्रणाली के रूप में बैंक/वित्तीय संस्था वायर अंतरणों (वायर ट्रांसफर) का उपयोग करते हैं। वायर अंतरण में एक देश की राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर होनेवाले अथवा एक देश से दूसरे देश को किये जानेवाले लेनदेन शामिल हैं। चूंकि वायर अंतरणों में मुद्रा की वास्तविक आवाजाही शामिल नहीं है, अतः वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूल्य अंतरण के लिए त्वरित और सुरक्षित प्रणाली समझे जाते हैं।

क) वायर अंतरण लेनदेन की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं:

- (i) वायर अंतरण एक ऐसा लेनदेन है जिसके द्वारा प्रवर्तक व्यक्ति (नैसर्गिक और कानूनी दोनों) की ओर से बैंक के जरिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से धन राशि किसी बैंक के किसी लाभार्थी को उपलब्ध करायी जाती है। प्रवर्तक और लाभार्थी एक ही व्यक्ति हो सकता है।
- (ii) देशी वायर अंतरण का अर्थ है ऐसा वायर अंतरण जहां प्रवर्तक और प्राप्तकर्ता एक ही देश में स्थित हैं। इसमें वायर अंतरणों की ऐसी श्रृंखला भी शामिल हो सकती है जो पूरी तरह एक ही देश की सीमाओं के भीतर होते हों भले ही वायर अंतरण करने के लिए प्रयुक्त प्रणाली किसी दूसरे देश में स्थित हो।
- (iii) सीमा पार अंतरण का अर्थ है ऐसा वायर अंतरण जहां प्रवर्तक और लाभार्थी बैंक या वित्तीय संस्था भिन्न देशों में स्थित हैं। इसमें वायर अंतरणों की ऐसी श्रृंखला शामिल हो सकती है जिसमें कम-से-कम एक सीमा पार अंतरण किया गया हो।
- (iv) प्रवर्तक खाता धारक या जहां कोई खाता नहीं है वहां ऐसा व्यक्ति (नैसर्गिक और कानूनी) होता है जो बैंक को वायर अंतरण करने का आदेश देता है।

ख) वायर अंतरण दुनिया भर में निधियों के अंतरण के लिए तात्कालिक और पसंद किया जानेवाला माध्यम है और इसलिए इस बात की ज़रूरत है कि आतंकवादियों और अन्य अपराधियों की अपनी निधियों को लाने-ले जाने के लिए वायर अंतरणों तक मुक्त पहुंच को रोका जाए तथा जब भी इसका दुरुपयोग होता है तो उसका पता लगाया जाए। ऐसा तभी किया जा सकता है यदि वायर अंतरणों के प्रवर्तक के संबंध में बुनियादी जानकारी उपयुक्त कानून प्रवर्तन तथा/या अभियोजनकर्ता प्राधिकारियों को तुरंत उपलब्ध करायी जाए ताकि आतंकवादियों या अन्य अपराधियों का पता लगाने, जांच-पड़ताल करने, मुकदमा चलाने में उन्हें सहायता दी जा सके और उनकी परिसंपत्तियों का पता लगाया जा सके। उक्त सूचना का उपयोग फाइनेंश्ल इंटेलिजेंस यूनिट- इंडिया (एफआईयू-आइएनडी) द्वारा संदिग्ध या असामान्य गतिविधि का विश्लेषण करने और उसे प्रचारित करने के लिए किया जा सकता है। लाभार्थी बैंक द्वारा प्रवर्तक संबंधी सूचना का उपयोग संदिग्ध लेनदेनों की पहचान करने तथा उसकी सूचना एफआईयू-आइएनडी को देने के लिए भी किया जा सकता है। छोटे वायर अंतरणों द्वारा संभावित आतंकवादी वित्तपोषण के खतरे को देखते हुए उद्देश्य यह है कि न्यूनतम प्रारंभिक सीमाओं के सभी वायर अंतरणों का पता लगाने की स्थिति में रहा जाए। तदनुसार, हम यह सूचित करते हैं कि बैंक/वित्तीय संस्थाएं यह सुनिश्चित करें कि सभी वायर अंतरणों के साथ निम्नलिखित सूचना हो :

1. सीमा पार वायर अंतरण

- i) सभी सीमा पार (क्रॉस बॉर्डर) वायर अंतरणों के साथ सटीक और सार्थक प्रवर्तक संबंधी सूचना हो ।
- ii) सीमा पार वायर अंतरणों के साथ दी जानेवाली सूचना में प्रवर्तक का नाम और पता तथा जहां कहीं खाता हो, उस खाते का नंबर दिया जाना चाहिए । खाता न होने की स्थिति में एक विशिष्ट संदर्भ संख्या अवश्य दी जानी चाहिए जो संबंधित देश में प्रचलित हो ।
- iii) जहां किसी एकल प्रवर्तक से कई अलग-अलग अंतरण एक बैच फाइल में इकट्ठे कर दूसरे देश में लाभार्थियों को प्रेषित किये जाते हैं, वहां उन्हें पूर्ण प्रवर्तक संबंधी सूचना शामिल करने से छूट दी जा सकती है, बशर्ते उनमें उक्त (ii) के अनुसार प्रवर्तक की खाता संख्या या विशिष्ट संदर्भ संख्या शामिल हो ।

2. देशी वायर अंतरण

- i) रु. 50,000/- (पचास हजार रुपये) और उससे अधिक के सभी देशी वायर अंतरणों के साथ दी जानेवाली सूचना में प्रवर्तक संबंधी पूर्ण सूचना अर्थात् नाम, पता और खाता संख्या आदि शामिल की जानी चाहिए, केवल उन स्थितियों को छोड़कर जब लाभार्थी बैंक को अन्य माध्यमों से प्रवर्तक संबंधी पूर्ण सूचना उपलब्ध करायी जा सकती हो।

- ii) यदि किसी बैंक के पास यह मानने का कोई कारण हो कि ग्राहक जानबूझकर सूचना देने या निगरानी से बचने के उद्देश्य से रु. 50,000/- (पचास हजार रुपये) से कम के विभिन्न लाभार्थियों को वायर अंतरण कर रहा है तो बैंक को उक्त अंतरण करने के पहले ग्राहक की पूरी पहचान पर अवश्य जोर देना चाहिए। ग्राहक द्वारा सहयोग न किये जाने के मामले में उसकी पहचान का पता लगाना चाहिए तथा एफआईयू - आइएनडी को संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) दी जानी चाहिए।
- iii) जब धन के अंतरण के लिए क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है तब संदेश में उक्त (i) के अनुसार आवश्यक सूचना शामिल की जानी चाहिए।

ग) छूट

जहां प्रवर्तक और लाभार्थी दोनों बैंक या वित्तीय संस्थाएं हों वहां अंतर बैंक अंतरणों और निपटानों को उपर्युक्त अपेक्षाओं से छूट होगी।

घ) आदेशकर्ता, मध्यवर्ती और लाभार्थी बैंकों की भूमिका

i) आदेशकर्ता बैंक

आदेशकर्ता बैंक वह है जो अपने ग्राहक द्वारा दिये गये आदेश के अनुसार वायर अंतरण का प्रवर्तन करता है। आदेशकर्ता बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संबंधित वायर अंतरणों में प्रवर्तक संबंधी पूर्ण सूचना हो। बैंक को भी सूचना का सत्यापन करना चाहिए तथा उसे कम-से-कम पांच वर्ष की अवधि के लिए परिरक्षित रखना चाहिए।

ii) मध्यवर्ती बैंक

सीमा पार तथा देशी वायर अंतरणों दोनों के लिए वायर अंतरणों की श्रृंखला के मध्यवर्ती तत्व की प्रोसेसिंग करनेवाले बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वायर अंतरण के साथ दी गयी समस्त प्रवर्तक सूचना अंतरण के साथ बनाये रखी जाती है। जहां तकनीकी सीमाओं के कारण सीमा पार के वायर अंतरण के साथ दी गयी पूर्ण प्रवर्तक सूचना संबंधित देशी वायर अंतरण के साथ बनायी रखी नहीं जा सकती, वहां प्रवर्तक बैंक से प्राप्त सभी सूचना का प्राप्तकर्ता मध्यवर्ती बैंक द्वारा कम-से-कम पांच वर्ष (जैसा कि धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अपेक्षित है) के लिए रिकार्ड रखा जाना चाहिए।

iii) लाभार्थी बैंक

लाभार्थी बैंक में कारगर जोखिम आधारित क्रियाविधियां होनी चाहिए जिनसे पूर्ण प्रवर्तक सूचना रहित वायर अंतरणों का पता लगाया जा सके। पूर्ण प्रवर्तक सूचना के अभाव को कोई वायर अंतरण या संबंधित लेनदेन संदिग्ध है या नहीं तथा उसकी सूचना फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया को दी जानी चाहिए या नहीं इसका निर्धारण करने के तत्व के रूप में समझा जाना

चाहिए। यदि लेनदेन के साथ निधियों के प्रेषक की विस्तृत सूचना नहीं दी गयी है तो लाभार्थी बैंक को आदेशकर्ता बैंक के साथ भी मामले को उठाना चाहिए। यदि आदेशकर्ता बैंक प्रेषक के संबंध में सूचना नहीं देता तो लाभार्थी बैंक को चाहिए कि वह आदेशकर्ता बैंक के साथ अपने कारोबारी संबंध को सीमित या समाप्त कर देने तक पर विचार करे।

6. केवाईसी दस्तावेजों का रखरखाव तथा परिरक्षण अवधि

धनशोधन निवारण अधिनियम और नियमावली के अंतर्गत ग्राहक खाता सूचना की रिपोर्टिंग, परिरक्षण और रखरखाव के संबंध में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं पर कतिपय बाध्यताएं हैं। अतएव बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि वे धनशोधन निवारण अधिनियम 2002 और उसके अंतर्गत अधिसूचित नियमावली के प्रावधानों का अध्ययन करें और उक्त अधिनियम और नियमावली की अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएँ।

6.1 लेनदेनों के रिकार्डों का रखरखाव

बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को चाहिए कि वे धनशोधन निवारण (रिकार्डों का रखरखाव) नियमावली, 2005 (धनशोधन निवारण नियमावली, 2005) के नियम 3 के अंतर्गत निर्धारित लेनदेनों का उचित रिकार्ड रखने के संबंध में एक प्रणाली की शुरुआत करें :

- (i) विदेशी मुद्रा में दस लाख रुपये से अधिक मूल्य वाले अथवा उसके समकक्ष मूल्य के सभी नकद लेनदेन;
- (ii) समग्र रूप में एक दूसरे से संबद्ध नकद लेनदेनों की सभी शृंखलाएँ जिनका मूल्यांकन विदेशी मुद्रा में दस लाख रुपये से कम अथवा उसके समकक्ष किया गया है जहाँ ऐसे लेनदेन एक महीने के भीतर घटित हुए हैं और ऐसे लेनदेनों का कुल मूल्य दस लाख रुपये से अधिक हो जाता है; स्पष्ट किया जाता है कि 'आपस में जुड़े नकद लेनदेन' का निर्धारण करने के लिए एक ही ग्राहक के सभी खातों को ध्यान में रखना चाहिए।
- (iii) गैर-लाभकारी संगठनों के दस लाख रुपये अथवा विदेशी मुद्रा में उसकी समतुल्य राशि से अधिक मूल्य की प्राप्तियों वाले सभी लेनदेन [संदर्भ: 12 नवंबर 2009 की भारत सरकार की अधिसूचना -धनशोधन निवारण नियमावली के नियम 3, उप-नियम(1) खंड(बीए)]।
- (iv) ऐसे सभी नकद लेनदेन जहाँ नकली और जाली करेंसी नोटों या बैंक नोटों का प्रयोग असली नोटों के रूप में किया गया है तथा जहाँ किसी मूल्यवान प्रतिभूति की जालसाजी की गई है, तथा
- (v) सभी संदिग्ध लेनदेन चाहे नकदी में किये गये हैं या नहीं तथा उक्त नियमों के अंतर्गत उल्लिखित रूप में किये गये हैं।

बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से अपेक्षित है कि वे पीएमएल नियम 3 में उल्लिखित लेनदेनों के संबंध में, निम्नलिखित सूचना सहित सभी जरूरी सूचना का परिरक्षण करें ताकि अलग-अलग लेनदेनों के लिए पुनर्चना की जा सके:

- (i) लेनदेनों का स्वरूप;
- (ii) लेनदेन की राशि और वह मुद्रा जिसमें उसे अंकित किया गया;
- (iii) वह तारीख जब वह लेनदेन संचालित किया गया; तथा
- (iv) लेनदेन के पक्षकार ।

6.2 रिकार्डों का परिरक्षण

बैंक/वित्तीय संस्थाएं, खाता संबंधी सूचना के उचित रखरखाव और परिरक्षण की ऐसी प्रणाली विकसित करें ताकि आवश्यकता पड़ने पर या जब भी सक्षम प्राधिकारियों द्वारा इनके लिए अनुरोध किया जाए तब आसानी से और तुरंत आँकड़े पुनः प्राप्त हो सकें।

- (i) पीएमएल संशोधन अधिनियम 2012 के अनुसार बैंक/वित्तीय संस्थाएं ग्राहक और उनके बीच लेनदेन के बंद होने की तारीख से कम से कम पांच वर्षों तक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के लेनदेनों के सभी आवश्यक रिकार्डों का अनुरक्षण करें, जिससे अलग-अलग लेनदेनों के पुनर्निर्माण (शामिल राशि तथा यदि कोई विदेशी मुद्रा हो तो उसके प्रकार सहित) में मदद मिलेगी ताकि यदि जरूरत पड़े तो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों के अभियोजन के लिए साक्ष्य प्रदान किया जा सके।
- (ii) बैंक/वित्तीय संस्थाएं यह सुनिश्चित करें कि ग्राहकों द्वारा खाता खोलते समय तथा कारोबारी संबंध बने रहने के दौरान उनकी पहचान और पते के संबंध में प्राप्त अभिलेख (जैसे पासपोर्टों, पहचान पत्रों, ड्राइविंग लाइसेंसों, पैन, उपभोक्ता बिलों जैसे दस्तावेजों आदि की प्रतिलिपियाँ) उक्त नियमावली के नियम 10 में कि गई अपेक्षानुसार कारोबारी संबंध के समाप्त हो जाने के बाद कम से कम पांच वर्ष तक उचित रूप में सुरक्षित रखे जाएँ। सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुरोध किए जाने पर पहचान के रिकार्ड और लेनदेन के आँकड़े उन्हें उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
- (iii) बैंक/वित्तीय संस्थाएं अपने ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों तथा नियम 3 में उल्लिखित लेनदेनों से संबंधित अभिलेखों का रखरखाव हार्ड या सॉफ्ट फ़ारमैट में करें।
- (iv) बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से अपेक्षित है कि वे इस मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 3.31 (i) में उल्लिखित के अनुसार सभी जटिल, असामान्य रूप से बड़े लेनदेन और लेनदेन के ऐसे असामान्य स्वरूप की ओर विशेष ध्यान दें जिनका कोई सुस्पष्ट आर्थिक अथवा विधि सम्मत प्रयोजन न हो। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जहां तक संभव हो ऐसे लेनदेन से संबंधित सभी दस्तावेज / कार्यालयीन अभिलेख / ज्ञापन सहित उसकी पृष्ठभूमि तथा उसके प्रयोजन की जांच की जाए तथा शाखा तथा प्रधान अधिकारी दोनों स्तर पर प्राप्त निष्कर्षों को उचित रूप से रिकार्ड किया जाए। लेनदेन की संवीक्षा

करने में लेखा परीक्षकों की सहायता के लिए तथा रिज़र्व बैंक/अन्य संबंधित प्राधिकारियों को भी ऐसे रिकार्ड तथा संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराये जाएँ। धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की अपेक्षा के अनुसार इन अभिलेखों को पांच वर्ष की अवधि के लिए परिरक्षित किया जाना है।

7. आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध

संयुक्त राष्ट्र आतंकवादी संबंध की आशंका वाले, तथा अपने सुरक्षा परिषद द्वारा यथानुमोदित, व्यक्तियों तथा संस्थाओं की निम्नलिखित दो सूचियों को आवधिक रूप से परिचालित करता है।

(क) **"अल-कायदा प्रतिबंध सूची"** इस सूची में अल-कायदा से संबद्ध व्यक्तियों, तथा संगठनों के नाम शामिल हैं। अल-कायदा प्रतिबंधों की अद्यतन सूची http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml पर उपलब्ध है।

(ख) **"1988 प्रतिबंध सूची"** तालिबान से संबद्ध व्यक्तियों (समेकित सूची का खंड क) तथा संगठनों (खंड ख) को शामिल किया गया है जो <http://www.un.org/sc/committees/1988/list.shtml> पर उपलब्ध है।

भारत सरकार से प्राप्त संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विभिन्न संकल्पों (यूएनएससीआर) को रिज़र्व बैंक सभी बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं में परिचालित करता है। बैंकों /वित्तीय संस्थाओं से अपेक्षित है कि वे सूचियों को अद्यतन करें और विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51-ए के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए ध्यान में रखें। बैंक/वित्तीय संस्थाएं यह सुनिश्चित करें कि उक्त सूचियों में शामिल व्यक्तियों/संगठनों के नाम से कोई खाता नहीं है। सूची में शामिल किसी भी व्यक्ति /संस्था से किसी भी प्रकार की समानता होने वाले खातों के संपूर्ण ब्यौरे एफआईयू-आइएनडी को सूचित किए जाने चाहिए।

7.1 विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51क

के अंतर्गत आस्तियों पर रोक लगाना

(क) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 (यूएपीए) को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अधिनियम, 2008 द्वारा संशोधित किया गया है। सरकार ने 27 अगस्त 2009 को एक आदेश (इस परिपत्र का अनुबंध II) जारी किया है जिसमें आतंकवादी गतिविधियों के निवारण तथा उनका प्रतिरोध करने के लिए विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51क को लागू करने की प्रक्रिया के ब्यौरे दिये गये हैं। धारा 51क के अनुसार उपर्युक्त आदेश की अनुसूची

में सूचीबद्ध व्यक्तियों या संस्थाओं अथवा आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न अथवा संदिग्ध रूप से संलग्न किसी अन्य व्यक्ति की ओर से या उनके कहने पर रखी गयी निधियों और अन्य वित्तीय आस्तियों या आर्थिक संसाधनों पर रोक लगाने, जब्ती या कुर्की करने के लिए तथा आदेश की अनुसूची में सूचीबद्ध व्यक्तियों या संस्थाओं अथवा आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न या संदिग्ध रूप से संलग्न किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए कोई निधि, वित्तीय आस्ति या आर्थिक संसाधन या उससे जुड़ी सेवाएँ उपलब्ध कराने से किसी व्यक्ति या संस्था को प्रतिबंधित करने के लिए केन्द्र सरकार को शक्ति प्रदान की गयी है।

(ख) बैंकों /वित्तीय संस्थाओं से अपेक्षित है कि वे 27 अगस्त 2009 के यूएपीए आदेश (इस मास्टर परिपत्र का अनुबंध II) में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करें तथा सरकार के आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।

7.2 वित्तीय कार्रवाई दल (एफएटीएफ) की सिफारिशों को लागू नहीं करने वाले अथवा अपर्याप्त रूप से लागू करने वाले देश

(क) बैंकों /वित्तीय संस्थाओं से अपेक्षित है कि वे एफएटीएफ वक्तव्य में शामिल किए गए क्षेत्रों में धनशोधन निवारण /आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध संबंधी मानदंडों में कमियों के कारण होने वाले जोखिम को ध्यान में रखें। बैंकों /वित्तीय संस्थाओं को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर परिचालित किए जाने वाले एफएटीएफ वक्तव्यों के साथ-साथ एफएटीएफ सिफारिशों को लागू न करने वाले अथवा अपर्याप्त रूप से लागू करने वाले देशों की पहचान करने के लिए सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध सूचना पर भी विचार करना चाहिए। यह स्पष्ट किया जाता है कि बैंकों को एफएटीएफ सिफारिशों को लागू न करने वाले अथवा अपर्याप्त रूप से लागू करने वाले देशों तथा एफएटीएफ वक्तव्यों में शामिल किए गए क्षेत्रों की हस्तियों (विधिक हस्तियों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं सहित) के साथ कारोबारी संबंधों तथा लेनदेनों पर विशेष ध्यान भी देना चाहिए।

(ख) बैंकों को एफएटीएफ वक्तव्यों में शामिल किए गए क्षेत्रों तथा एफएटीएफ की सिफारिशों को लागू न करने वाले अथवा अपर्याप्त रूप से लागू करने वाले देशों की हस्तियों (विधिक हस्ति तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं सहित) के साथ लेनदेन की पृष्ठभूमि तथा प्रयोजन की जांच करनी चाहिए। साथ ही, यदि लेनदेन का कोई प्रकट आर्थिक अथवा विधिक प्रयोजन नहीं है तो ऐसे लेनदेन की पृष्ठभूमि तथा प्रयोजन की जहां तक संभव हो, जांच की जानी चाहिए तथा इसके निष्कर्ष को लिखित रूप में सभी दस्तावेजों सहित रखा जाए और अनुरोध प्राप्त होने पर उन्हें रिज़र्व बैंक/अन्य संबंधित प्राधिकारियों को उपलब्ध कराया जाए।

8. रिपोर्टिंग अपेक्षाएं

क) वित्तीय आसूचना इकाई - भारत को रिपोर्टिंग:

(i) पीएमएलए (अभिलेखों का रख-रखाव) नियमावली नियम 3 के अनुसार लेनदेनों के संबंध में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से अपेक्षित है कि वे नकदी लेनदेनों, अखंडनीय रूप से परस्पर सम्बद्ध नकदी लेनदेनों गैर-लाभकारी संगठनों (गैर-लाभकारी संगठन का अर्थ है कोई भी संस्था या संगठन जो कि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 अथवा किसी समान राज्य कानून के अंतर्गत न्यास अथवा सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है अथवा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 (पूर्ववर्ती कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25) के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी द्वारा प्राप्तियों के संबंध में सभी लेनदेनों, और नकदी लेनदेनों जिनमें फ़र्जी या नकली करेंसी नोट या बैंक नोट का प्रयोग असली के रूप में किया गया है, सीमा पार वायर अंतरण इत्यादि की सूचना निदेशक, वित्तीय आसूचना इकाई -भारत (एफआईयू -आइएनडी) को निम्नांकित पते पर प्रस्तुत करें:

निदेशक, एफआईयू - आईएनडी,
फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट - इंडिया,
6ठी मंजिल, होटल सम्राट,
चाणक्यपुरी, नई दिल्ली - 110 021
वेबसाइट- <http://fiuindia.gov.in/>

(ii) एफआईयू- आईएनडी ने एफआईयू- आईएनडी को निर्धारित रिपोर्टों की विशिष्टताओं का वर्णन करने हेतु एक विस्तृत रिपोर्टिंग फॉर्मेट गाइड जारी किया है। एफआईयू- आईएनडी ने निर्धारित रिपोर्टें तैयार करने में रिपोर्टिंग संस्थाओं की सहायता के लिए एक रिपोर्ट जेनेरेशन यूटिलिटी तथा रिपोर्ट वैलिडेशन यूटिलिटी विकसित की है। एफआईयू द्वारा फिननेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत रिपोर्टिंग फॉर्मेट पर जारी दिनांक 31 मार्च 2011 का कार्यालयीन ज्ञापन, जिसमें सभी संबंधित ब्योरा निहित है, एफआईयू की वेबसाइट पर उपलब्ध है। बैंक एफआईयू-आईएनडी द्वारा निर्धारित सभी रिपोर्टिंग फॉर्मेटों को ध्यान से पढ़ें।

(iii) एफआईयू-आईएनडी ने अपनी वेबसाइट पर एडिटेबल इलेक्ट्रॉनिक यूटिलिटीज डाली है ताकि ऐसे बैंक/वित्तीय संस्थाएं नकद लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर)/ संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) को इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल करें जो अपने लेनदेन के सामान्य आँकड़ों से सीटीआर/एसटीआर बनाने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी साधन स्थापित नहीं कर पाये हैं। अतः यह सूचित किया जाता है कि उन बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के मामले में जहां सभी शाखाएं अभी तक पूर्णतः कंप्यूटरीकृत नहीं हुई हैं, बैंक/वित्तीय संस्था के प्रधान अधिकारी को चाहिए कि वे कंप्यूटरीकृत नहीं हुई शाखाओं से लेनदेन के ब्यौरों को छांटकर, उन्हें एफआईयू-आईएनडी द्वारा अपनी वेबसाइट <http://fiuindia.gov.in> पर उपलब्ध कराई गयी

सीटीआर/एसटीआर की एडिटेबल इलेक्ट्रॉनिक यूटिलिटीज की सहायता से एक इलेक्ट्रॉनिक फाइल में डालने की उपयुक्त व्यवस्था करें।

(iv) नियम 8 के अनुसार निदेशक, एफआईयू-आईएनडी को सूचना देते समय, नियम में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के परे, किसी लेनदेन को न रिपोर्ट करने के प्रत्येक दिन के विलंब या गलत रूप से दर्शाये गए किसी लेनदेन को न सुधारने के प्रत्येक दिन के विलंब को अलग से एक उल्लंघन माना जाएगा। बैंक/वित्तीय संस्थाएं रिपोर्टिंग अपेक्षाओं की समयसीमाओं को ध्यान में रखें।

इस मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 3.4(ख) में निहित अनुदेशों के अनुसार बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को जोखिम वर्गीकरण के आधार पर प्रत्येक ग्राहक का एक प्रोफाइल तैयार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त पैराग्राफ 3.2 (III) के अनुसार जोखिम वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। अतः, इस बात को दोहराया जाता है कि बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को अपनी लेनदेन निगरानी व्यवस्था के एक भाग के रूप में एक ऐसा उपयुक्त सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन स्थापित करना चाहिए जो ग्राहक के अद्यतन प्रोफाइल तथा जोखिम वर्गीकरण से असंगत लेनदेन होने पर सतर्कता का संकेत दे। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सतर्कता के संकेत देने वाला एक सक्षम सॉफ्टवेयर संदिग्ध लेनदेन की प्रभावी पहचान तथा रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक है।

ख) एफआईयू - आइएनडी को प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्टें

1. नकदी लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर)

सभी प्रकार की रिपोर्टें फाइल करने के अनुदेश संबंधित फॉर्मेट के अनुदेश वाले हिस्से में दिये गये हैं। बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को निम्नलिखित का कड़ाई से अनुपालन करना चाहिए:

- (i) प्रत्येक माह की सीटीआर अगले महीने की 15 तारीख तक एफआईयू - आइएनडी को प्रस्तुत कर देनी चाहिए। अतः शाखाओं को अपने नियंत्रक कार्यालयों को नकद लेनदेन की सूचना अनिवार्य रूप से मासिक आधार पर भेजनी चाहिए तथा बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सीटीआर प्रत्येक माह एफआईयू-एनडी को निर्धारित समय में भेज दी जाती है।
- (ii) जहां जाली अथवा नकली भारतीय मुद्रा नोटों का असली के रूप में उपयोग किया गया हो, वहां ऐसे सभी नकद लेनदेनों की सूचना बैंक के प्रधान अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट फॉर्मेट (जाली मुद्रा रिपोर्ट- सीसीआर) में एफआईयू-आइएनडी को अगले माह के 15वें दिन तक भेजना चाहिए। इन नकद लेनदेनों में ऐसे लेनदेन भी शामिल होने चाहिए जहां मूल्यवान प्रतिभूति अथवा दस्तावेजों की जालसाजी की गई है। यह सूचना एफआईयू-आइएनडी को प्लेन टेक्स्ट के रूप में भेजी जानी चाहिए।

- (iii) सीटीआर फाइल करते समय, पचास हजार रुपये से कम राशि के अलग-अलग लेनदेनों को शामिल न किया जाए।
- (iv) सीटीआर में केवल वही लेनदेन होने चाहिए जो बैंक ने अपने ग्राहकों की ओर से किए हैं। बैंक के आंतरिक खातों के बीच किए गए लेनदेन इसमें शामिल नहीं होंगे।
- (v) बैंक के प्रधान अधिकारी द्वारा प्रति माह समग्र रूप में बैंक के समूचे नकदी लेनदेनों की रिपोर्ट का सारांश विनिर्दिष्ट फार्मेट के अनुसार भौतिक रूप में संकलित किया जाना चाहिए। इस सारांश पर प्रधान अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए तथा इसे एफआईयू को भेजा जाना चाहिए। बैंकों द्वारा कोर बैंकिंग सोल्यूशन वाली शाखाओं के संबंध में केंद्रीय आंकड़ा केंद्र पर केंद्रीकृत रूप से संकलित की जानेवाली सीटीआर के मामले में बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन वाली शाखाओं से संबंधित केंद्रीकृत सीटीआर एक स्थल पर तैयार कर सकते हैं और एफआईयू-आइएनडी को भेज सकते हैं, बशर्ते सीटीआर एफआईयू-आइएनडी द्वारा निर्धारित फार्मेट में जेनरेट की जाती हो;
- (vi) शाखाओं की ओर से एफआईयू-इंडिया को दी गयी मासिक सीटीआर की एक प्रतिलिपि शाखाओं में उपलब्ध रहनी चाहिए ताकि लेखा परीक्षक/निरीक्षकों के मांगने पर उसे प्रस्तुत किया जा सके; और
- (vii) इस मास्टर परिपत्र के पैरा क्रमशः 6.1 और 6.2 में निहित "लेनदेन के रिकार्ड का रख-रखाव" तथा "रिकार्डों का परिरक्षण" संबंधी अनुदेशों का शाखा द्वारा कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।
- (viii) तथापि, जो शाखाएं सीबीएस के अंतर्गत नहीं हैं, उनके संबंध में मासिक नकदी लेनदेन रिपोर्ट का शाखा द्वारा संकलन तथा उसे प्रधान अधिकारी को भेजा जाना जारी करना चाहिए ताकि वे आगे एफआईयू-आइएनडी को उक्त रिपोर्ट भेज सकें।

2. संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर)

- (i) संदिग्ध लेनदेन का निर्धारण करते समय बैंक/वित्तीय संस्थाएं समय समय पर संशोधित धन शोधन निवारण नियमावली में दिए गए अनुसार 'संदिग्ध लेनदेन' की परिभाषा को ध्यान में रखें।
- (ii) यह संभव है कि कुछ मामलों में ग्राहकों को कुछ ब्योरे देने अथवा दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहे जाने पर ग्राहक अपने लेनदेन का परित्याग करे अथवा उसे बीच में ही रोक दे। यह स्पष्ट किया जाता है कि बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को राशि पर ध्यान न देते हुए, लेनदेन के ऐसे सभी प्रयासों के संबंध में एसटीआर में सूचना देनी चाहिए, भले ही ग्राहकों ने इन लेनदेनों को अधूरा छोड़ दिया हो।
- (iii) बैंक/वित्तीय संस्था लेनदेन की राशि पर तथा /अथवा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की अनुसूची के भाग - ख में निरूपित अपराधों के लिए परिकल्पित न्यूनतम सीमा पर ध्यान दिए बिना एसटीआर तब बनाए जब उनके

पास यह विश्वास करने के लिए उचित आधार है कि लेनदेन में अपराध से प्राप्त राशि सम्मिलित है।

- (iv) कोई भी लेनदेन चाहे नकदी हो या नकदी से इतर या लेनदेनों की एक श्रृंखला जो समग्रतः आपस में जुड़े हों, संदिग्ध स्वरूप के हैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचने के 7 दिनों के भीतर संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) प्रस्तुत कर देनी चाहिए। प्रधान अधिकारी को वे कारण रिकार्ड करने चाहिए जिससे किसी लेनदेन या लेनदेनों की श्रृंखला को संदिग्ध माना गया है। यह सुनिश्चित किया जाए कि एक बार किसी शाखा या अन्य कार्यालय से संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ऐसे किसी निर्णय पर पहुँचने में अनावश्यक देरी नहीं होती है। ऐसी रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारियों के अनुरोध पर उन्हें उपलब्ध करायी जाए।
- (v) स्टाफ को अपने ग्राहक को जानिए / धन शोधन निवारण के संबंध में जागरूक बनाने के लिए तथा संदिग्ध लेनदेन के लिए सतर्कता संकेत तैयार करने के लिए बैंक बैंकों के लिए आइबीए के मार्गदर्शी नोट, जनवरी 2012' में निहित संदिग्ध गतिविधियों की निदर्शी सूची देखें।
- (vi) बैंक/वित्तीय संस्थाएं उन खातों के परिचालनों पर कोई प्रतिबंध न लगाएं जहां एसटीआर रिपोर्ट भेजी गई है। बैंकों/वित्तीय संस्थाओं और उनके कर्मचारियों को एसटीआर प्रस्तुत करने के तथ्य को पूर्णतः गोपनीय रखना चाहिए, जैसाकि पीएमएल नियमों के अधीन अपेक्षित है। तथापि यह सुनिश्चित किया जाए कि ग्राहक को किसी भी स्तर से गुप्त रूप से सचेत (टिपिंग ऑफ़) नहीं किया जाए।

3. गैर-लाभकारी संगठन

प्रत्येक माह गैर-लाभकारी संगठनों के दस लाख रुपये अथवा विदेशी मुद्रा में उसकी समतुल्य राशि से अधिक मूल्य की प्राप्तियों वाले सभी लेनदेन की रिपोर्ट निर्धारित फॉर्मेट में अगले महीने की 15 तारीख तक निदेशक, एफआईयू - आइएनडी को प्रस्तुत कर देनी चाहिए।

4. सीमापार (क्रॉस बार्डर) वायर अंतरण

जहां निधि का मूल अथवा लक्ष्य भारत में हैं वहां 5 लाख या समतुल्य विदेशी मुद्रा के सभी क्रॉस बार्डर वायर अंतरणों (सीडबल्यूटीआर) की सूचना अगले माह की 15 तारीख तक एफआईयू-आइएनडी में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

9. सामान्य दिशानिर्देश

(i) ग्राहक सूचना की गोपनीयता:

खाता खोलने के प्रयोजन से ग्राहकों से एकत्रित की गई गई सूचना को गोपनीय माना जाए और प्रति-विक्रय इत्यादि के प्रयोजन से उसके ब्योरे प्रकट नहीं किए जाने चाहिए। ग्राहक से मांगी गई सूचना अनुमानित जोखिम से प्रासंगिक होनी चाहिए और अतिक्रमणकारी नहीं होनी चाहिए। ग्राहक से मांगी गई कोई अन्य सूचना अलग से केवल खाता खोले जाने के बाद मंगाई जानी चाहिए और उसकी स्पष्ट सहमति से, तथा आवेदन फॉर्म से पृथक अन्य फॉर्म में मंगाई

जानी चाहिए। ग्राहक को यह स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि ऐसी सूचना उपलब्ध कराना वैकल्पिक है।

(ii) ग्राहकों को कठिनाई से बचाना:

शाखाओं को परिचालन संबंधी जारी करते समय बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों की भावना को ध्यान में रखना चाहिए ताकि ऐसे व्यक्तियों को कठिनाई में पड़ने से बचाया जा सके जिन्हें अन्यथा कम जोखिम वाले ग्राहक के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(iii) ग्राहकों को जागरूक बनाना:

एएमएल/सीएफटी नीति के कार्यान्वयन के ग्राहकों से वैयक्तिक स्वरूप की कुछ ऐसी जानकारी मांगनी पड़ सकती है जो पहले न मांगी गयी हो। ग्राहक ऐसी जानकारी इकट्ठी करने के प्रयोजन पर प्रश्नचिन्ह लगा सकता है और इसके कारण परिहार्य शिकायतें और मुकदमे बन सकते हैं। अतः बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को चाहिए कि वे ग्राहक को उन एएमएल/सीएफटी अपेक्षाओं के उद्देश्य के बारे में जागरूक बनाने के लिए विशिष्ट साहित्य/प्रचार-पुस्तिका आदि तैयार करें जिनके लिए ग्राहक के सहयोग की अपेक्षा है।

(iv) कर्मचारियों की भर्ती:

यह ध्यान में रखा जाए कि अपने ग्राहक को जानिए मानक/धनशोधन निवारण मानदंड/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध उपाय यह सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित किए गए हैं ताकि अपराधी बैंकिंग चैनल का दुरुपयोग न कर सकें। अतः बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के लिए यह आवश्यक है कि वे कार्मिकों की युक्ति/नियोजन की अपनी प्रक्रिया के एक अविभाज्य भाग के रूप में समुचित स्क्रीनिंग प्रणाली स्थापित करें।

(v) कर्मचारियों का प्रशिक्षण:

बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को लगातार कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने चाहिए ताकि स्टाफ-सदस्य धनशोधन निवारण/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध नीति में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हो सकें। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में फ्रंटलाइन स्टाफ, अनुपालन स्टाफ तथा नये ग्राहक के साथ कारोबार करने वाले स्टाफ को दिये जाने वाले प्रशिक्षण के केंद्र बिंदु अलग-अलग होने चाहिए। फ्रंट डेस्क स्टाफ के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें ग्राहक शिक्षा के अभाव में उत्पन्न होने वाले मुद्दों को संभालने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित हो। लेखापरीक्षा कार्य के लिए बैंक की एएमएल/सीएफटी नीतियों, विनियमन और संबंधित विषयों में प्रशिक्षित और पारंगत समुचित स्टाफ तैनात करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(vi) एफसीआरए के प्रावधान:

बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम 2010 के प्रावधानों का, जहां भी लागू हों, कड़ाई से पालन किया जाता है।

(vii) विदेश स्थित शाखाओं/सहायक कंपनियों पर प्रयोज्यता

इस परिपत्र में दिए गए दिशानिर्देश बहुलांश रूप से स्वामित्व वाली विदेश स्थित शाखाओं तथा सहायक कंपनियों पर उस सीमा तक लागू होते हैं जिसकी अनुमति मेजबान देश के

स्थानीय कानून देते हों। जब स्थानीय रूप से लागू नियम और विनियम इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन का निषेध करते हों तो इसे भारतीय रिज़र्व बैंक के ध्यान में लाया जाना चाहिए। यदि रिज़र्व बैंक और मेजबान देश के विनियामकों द्वारा विनिर्धारित केवाईसी/एएमएल मानदंडों में कोई विषमता हो तो बैंकों की शाखाओं /विदेश स्थित सहायक कंपनियों से अपेक्षित है कि वे दोनों में से अधिक कड़े विनियम को अपनाएं।

(viii) प्रौद्योगिकी आपेक्षाएं:

बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले एएमएल सॉफ्टवेयर इतने व्यापक और सशक्त होने चाहिए कि वे आकस्मिक ग्राहकों, स्वर्ण/रजत/प्लेटिनम के विक्रय, क्रेडिट कार्ड के बकायों के भुगतान/ प्रिपेड/यात्रा कार्ड की रिलोडिंग, तृतीय पक्ष उत्पादों, और बैंकों के आंतरिक खातों वाले लेनदेनों को कैप्चर कर सकें।

(ix) पदनामित निदेशक

धनशोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियमावली, 2005 (नियमावली) के प्रावधानों के अनुसार बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से अपेक्षित है कि वे अधिनियम और नियमों के अंतर्गत दायित्वों का समग्र अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपने बोर्ड में एक निदेशक को "पदनामित निदेशक" के रूप में नामित करें। पदनामित निदेशक का नाम, पदनाम और पता निदेशक, वित्तीय आसूचना इकाई - भारत (एफआईडी-एफआईयू) को सूचित किया जाना है। शहरी सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ केंद्रीय सहकारी बैंक उस व्यक्ति को भी पदनामित कर सकते हैं जो वरिष्ठ प्रबंधन या "पदनामित निदेशक" के समतुल्य पद धारण करता हो। तथापि, किसी भी मामले में प्रधान अधिकारी को "पदनामित निदेशक" के रूप में पदनामित नहीं किया जाना चाहिए।

(x) प्रधान अधिकारी:

बैंक/वित्तीय संस्था किसी वरिष्ठ अधिकारी को प्रधान अधिकारी के रूप में नियुक्त करें। प्रधान अधिकारी स्वतंत्र होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जो वरिष्ठ प्रबंधन या निदेशक बोर्ड को रिपोर्ट करता हो। प्रधान अधिकारी अनुपालन सुनिश्चित करने, लेन-देनों की निगरानी करने तथा कानून के अंतर्गत अपेक्षित जानकारी के आदान-प्रदान तथा रिपोर्टिंग का दायित्व होगा। प्रधान अधिकारी के नाम, पदनाम, और पते की सूचना एफआईयू-आईएनडी को दी जाए।

	<p>‘आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज’ माना जाएगा :</p> <p>(i) किसी भी सेवा प्रदाता का उपयोग बिल, जो दो महीने से ज्यादा पुराना न हो (बिजली, टेलीफोन, पोस्टपेड मोबाइल फोन, पाईप गैस, पानी का बिल);</p> <p>(iii) संपत्ति या म्युनिसिपल कर की रसीद;</p> <p>(iv) बैंक खाता या डाक घर बचत बैंक खाता विवरण;</p> <p>(v) सरकारी विभागों या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जारी किए गए पेंशन या परिवार पेंशन आदेश (पीपीओ), यदि उनमें पता दिया गया हो;</p> <p>vi) राज्य या केंद्र सरकार के विभागों, सांविधिक या विनियामक निकायों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जारी नियोक्ता का आवास आवंटन पत्र। इसीप्रकार, ऐसे नियोक्ता का आधिकारिक आवास आवंटित किए जाने का लीव एवं लाईसेंस करार; तथा</p> <p>च) विदेशी क्षेत्राधिकारों वाले सरकारी विभागों द्वारा जारी दस्तावेज तथा भारत में स्थित विदेशी दूतावास या मिशन द्वारा जारी किया गया पत्र।</p>
<p>कंपनियों के खाते</p>	<p>(क) निगमन का प्रमाणपत्र;</p> <p>(ख) संस्था के बहिर्नियम और अंतर्नियम के संबंध में प्रमाणपत्र ;</p> <p>(ग) निदेशक बोर्ड का प्रस्ताव और उनकी ओर से लेनदेन करने हेतु अपने प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों को प्रदत्त मुख्तारनामा; और</p> <p>उन प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों, जो उनकी ओर से लेनदेन करने हेतु मुख्तारनामा धारण करते हैं, के संबंध में एक आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज।</p>
<p>भागीदारी फर्म के खाते</p>	<p>पंजीकरण प्रमाणपत्र;</p> <p>(ख) भागीदारी विलेख और;</p> <p>(ग) उस व्यक्ति के संबंध में एक आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज जो इसकी ओर से लेनदेन</p>

	करने हेतु मुख्तारनामा धारण करता हो।
न्यासों के खाते	(क) पंजीकरण प्रमाणपत्र; (ख) न्यास विलेख; और (ग) उस व्यक्ति के संबंध में एक आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज जो इसकी ओर से लेनदेन करने हेतु मुख्तारनामा धारण करता हो।
अनिगमित संघ या व्यक्तियों के निकाय के खाते	(क) ऐसे अनिगमित संघ या व्यक्तियों के निकाय के प्रबंधन इकाई का संकल्प (ख) उसकी ओर से लेनदेन करने के लिए प्रदत्त मुख्तारनामा (ग) उस व्यक्ति के संबंध में एक आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज जो उसकी ओर से लेनदेन करने हेतु मुख्तारनामा धारण करता हो। (घ) ऐसी सूचना जो ऐसे अनिगमित संघ या व्यक्तियों के निकाय के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए समग्र रूप से बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा अपेक्षित हो।
मालिकाना प्रतिष्ठान के खाते संस्था के नाम, पता और किए जाने वाले कार्य का प्रमाण	स्वत्वधारी पर लागू ओवीडी के अलावा मालिकाना प्रतिष्ठान के नाम से निम्नलिखित में से कोई दो दस्तावेज पर्याप्त हैं: <ul style="list-style-type: none"> • पंजीकरण प्रमाणपत्र। • दुकान और स्थापना अधिनियम के अंतर्गत नगरपालिका प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाणपत्र। • बिक्री और आयकर रिटर्न। • सीएसटी/वीएटी प्रमाणपत्र। • बिक्री कर/सेवा कर/व्यावसायिक कर प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाणपत्र। • किसी संविधि के अंतर्गत निगमित किसी प्रोफेशनल निकाय द्वारा मालिकाना प्रतिष्ठान के नाम पर जारी किया गया लाईसेंसिंग/ कारोबार

	<p>चलाने का दस्तावेज।</p> <ul style="list-style-type: none"> • एकल स्वामी के नाम में पूर्ण आयकर विवरणी (न कि सिर्फ पावती), जिसमें फर्म की आय दर्शाई गई हो और जो आय कर के प्राधिकारियों द्वारा विधिवत् प्रमाणित/ स्वीकृत हो। बिजली, पानी और लैंडलाइन टेलीफोन बिल जैसे उपयोगिता सेवा बिल। <p>जिन मामलों में बैंक संतुष्ट हैं कि ऐसे दो दस्तावेज प्रस्तुत करना संभव नहीं है, उन्हें यह विवेकाधिकार होगा कि कारोबार करने के प्रमाण के रूप में उनमें से केवल एक ही दस्तावेज को स्वीकार करें। तथापि ऐसे मामलों में बैंकों को जाकर संपर्क के पते की जांच करनी होगी तथा ऐसी सूचना एकत्र करनी होगी जो ऐसे कंपनी के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक हो तथा उन्हें यह स्पष्ट, साफ और पुष्ट करना होगा कि कारोबार होने का सत्यापन मालिकाना प्रतिष्ठान के पते पर जाकर किया गया है।</p>
--	---

अनुबंध II**File No.17015/10/2002-IS-VI****Government of India****Ministry of Home Affairs****Internal Security-I Division***********

New Delhi, dated 27th August, 2009

ORDER

Subject : Procedure for implementation of Section 51A of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967

The Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (UAPA) has been amended and notified on 31.12.2008, which, inter-alia, inserted Section 51A to the Act. Section 51A reads as under:-

"51A. For the prevention of, and for coping with terrorist activities, the Central Government shall have power to -

(a) freeze, seize or attach funds and other financial assets or economic resources held by, on behalf of or at the direction of the individuals or entities Listed in the Schedule to the Order, or any other person engaged in or suspected to be engaged in terrorism;

(b) prohibit any individual or entity from making any funds, financial assets or economic resources or related services available for the benefit of the individuals or entities Listed in the Schedule to the Order or any other person engaged in or suspected to be engaged in terrorism;

(c) prevent the entry into or the transit through India of individuals Listed in the Schedule to the Order or any other person engaged in or suspected to be engaged in terrorism",

The Unlawful Activities (Prevention) Act define "Order" as under:-

"Order" means the Prevention and Suppression of Terrorism (Implementation of Security Council Resolutions) Order, 2007, as may be amended from time to time.

In order to expeditiously and effectively implement the provisions of Section 51A, the following procedures shall be followed:-

Appointment and Communication of details of UAPA nodal officers

2. As regards appointment and communication of details of UAPA nodal officers -

(i) The UAPA nodal officer for IS-I division would be the Joint Secretary (IS.I), Ministry of Home Affairs. His contact details are 011-23092736(Tel), 011-23092569(Fax) and ([e-mail ID](#)).

(ii) The Ministry of External Affairs, Department of Economic Affairs, Foreigners Division of MHA, FIU-IND; and RBI, SEBI, IRDA (hereinafter referred to as Regulators) shall appoint a UAPA nodal officer and communicate the name and contact details to the IS-I Division in MHA.

(iii) The States and UTs should appoint a UAPA nodal officer preferably of the rank of the Principal Secretary/Secretary, Home Department and communicate the name and contact details to the IS-I Division in MHA.

(iv) The IS-I Division in MHA would maintain the consolidated list of all UAPA nodal officers and forward the list to all other UAPA nodal officers.

(v) The RBI, SEBI, IRDA should forward the consolidated list of UAPA nodal officers to the banks, stock exchanges/depositories, intermediaries regulated by SEBI and insurance companies respectively.

(vi) The consolidated list of the UAPA nodal officers should be circulated to the nodal officer of IS-I Division of MHA in July every year and on every change. Joint Secretary(IS-I), being the nodal officer of IS-I Division of MHA, shall cause the amended list of UAPA nodal officers to be circulated to the nodal officers of Ministry of

External Affairs, Department of Economic Affairs, Foreigners Division of MHA, RBI, SEBI, IRDA and FIU-IND.

Communication of the list of designated individuals/entities

3. As regards communication of the list of designated individuals/entities-

(i) The Ministry of External Affairs shall update the list of individuals and entities subject to UN sanction measures on a regular basis. On any revision, the Ministry of External Affairs would electronically forward this list to the Nodal Officers in Regulators, FIU-IND, IS-I Division and Foreigners' Division in MHA.

(ii) The Regulators would forward the list mentioned in (i) above (referred to as designated lists) to the banks, stock exchanges/depositories, intermediaries regulated by SEBI and insurance companies respectively.

(iii) The IS-I Division of MHA would forward the designated lists to the UAPA nodal officer of all States and UTs.

(iv) The Foreigners Division of MHA would forward the designated lists to the immigration authorities and security agencies.

Regarding funds, financial assets or economic resources or related services held in the form of bank accounts, stocks or insurance policies etc.

4. As regards funds, financial assets or economic resources or related services held in the form of bank accounts, stocks or insurance policies etc., the Regulators would forward the designated lists to the banks, stock exchanges/depositories, intermediaries regulated by SEBI and insurance companies respectively. The RBI, SEBI and IRDA would issue necessary guidelines to banks, stock exchanges/depositories, intermediaries regulated by SEBI and insurance companies requiring them to -

(i) Maintain updated designated lists in electronic form and run a check on the given parameters on a regular basis to verify whether individuals or entities listed in the schedule to the Order (referred to as

designated individuals/entities) are holding any funds, financial assets or economic resources or related services held in the form of bank accounts, stocks or insurance policies etc. with them.

(ii) In case, the particulars of any of their customers match with the particulars of designated individuals/entities, the banks, stock exchanges/ depositories, intermediaries regulated by SEBI and insurance companies shall immediately, not later than 24 hours from the time of finding out such customer, inform full particulars of the funds, financial assets or economic resources or related services held in the form of bank accounts, stocks or insurance policies etc. held by such customer on their books to the Joint Secretary (IS.I), Ministry of Home Affairs, at Fax No.011-23092569 and also convey over telephone on 011-23092736. The particulars apart from being sent by post should necessarily be conveyed on [e-mail id](#).

(iii) The banks, stock exchanges/ depositories, intermediaries regulated by SEBI and insurance companies shall also send by post a copy of the communication mentioned in (ii) above to the UAPA nodal officer of the state/ UT where the account is held and Regulators and FIU0IND, as the case may be.

(iv) In case, the match of any of the customers with the particulars of designated individuals/entities is beyond doubt, the banks stock exchanges / depositories, intermediaries regulated by SEBI and insurance companies would prevent designated persons from conducting financial transactions, under intimation to Joint Secretary (IS.I), Ministry of Home Affairs, at Fax No. 011-23092569 and also convey over telephone on 011-23092736. The particulars apart from being sent by post should necessarily be conveyed on [e-mail id](#).

(v) The banks, stock exchanges/depositories, intermediaries regulated by SEBI and insurance companies shall file a Suspicious Transaction Report (STR) with FIU-IND covering all transactions in the accounts covered by paragraph (ii) above , carried through or attempted, as per the prescribed format.

5. On receipt of the particulars referred to in paragraph 3(ii) above, IS-I Division of MHA would cause a verification to be conducted by the State Police and/or the Central Agencies so as to ensure that the individuals/entities identified by the banks, stock exchanges/depositories, intermediaries regulated by SEBI and Insurance Companies are the ones listed as designated individuals/entities and the funds, financial assets or economic resources or related services, reported by banks, stock exchanges/depositories, intermediaries regulated by SEBI and insurance companies are held by the designated individuals/entities. This verification would be completed within a period not exceeding 5 working days from the date of receipt of such particulars.

6. In case, the results of the verification indicate that the properties are owned by or held for the benefit of the designated individuals/entities, an order to freeze these assets under section 51A of the UAPA would be issued within 24 hours of such verification and conveyed electronically to the concerned bank branch, depository, branch of insurance company branch under intimation to respective Regulators and FIU-IND. The UAPA nodal officer of IS-I Division of MHA shall also forward a copy thereof to all the Principal Secretary/Secretary, Home Department of the States or UTs, so that any individual or entity may be prohibited from making any funds, financial assets or economic assets or economic resources or related services available for the benefit of the designated individuals/entities or any other person engaged in or suspected to be engaged in terrorism. The UAPA nodal officer of IS-I Division of MHA shall also forward a copy of the order under Section 51A, to all Directors General of Police/Commissioners of Police of all states/UTs for initiating action under the provisions of Unlawful Activities (Prevention) Act.

The order shall take place without prior notice to the designated individuals/entities.

Regarding financial assets or economic resources of the nature of immovable properties.

7. IS-I Division of MHA would electronically forward the designated lists to the UAPA nodal officer of all States and UTs with the request to have the

names of the designated individuals/entities, on the given parameters, verified from the records of the office of the Registrar performing the work of registration of immovable properties in their respective jurisdiction.

8. In case, the designated individuals/entities are holding financial assets or economic resources of the nature of immovable property and if any match with the designated individuals/entities is found, the UAPA nodal officer of the State/UT would cause communication of the complete particulars of such individual/entity along with complete details of the financial assets or economic resources of the nature of immovable property to the Joint Secretary (IS.I), Ministry of Home Affairs, immediately within 24 hours at Fax No.011-23092569 and also convey over telephone on 011-23092736. The particulars apart from being sent by post should necessarily be conveyed on [e-mail id](#).

9. The UAPA nodal officer of the State/UT may cause such inquiry to be conducted by the State Police so as to ensure that the particulars sent by the Registrar performing the work of registering immovable properties are indeed of these designated individuals/entities. This verification would be completed within a maximum of 5 working days and should be conveyed within 24 hours of the verification, if it matches with the particulars of the designated individual/entity to Joint Secretary(IS-I), Ministry of Home Affairs at the Fax telephone numbers and also on the e-mail id given below.

10. A copy of this reference should be sent to the Joint Secretary (IS.I), Ministry of Home Affairs, at Fax No.011-23092569 and also convey over telephone on 011-23092736. The particulars apart from being sent by post would necessarily be conveyed on [e-mail id](#). MHA may have the verification also conducted by the Central Agencies. This verification would be completed within a maximum of 5 working days.

11. In case, the results of the verification indicate that the particulars match with those of designated individuals/entities, an order under Section 51A of the UAPA would be issued within 24 hours, by the nodal officer of IS-I Division of MHA and conveyed to the concerned Registrar performing the work of registering immovable properties and to FIU-IND under intimation to the concerned UAPA nodal officer of the State/UT.

The order shall take place without prior notice, to the designated individuals/entities.

12. Further, the UAPA nodal officer of the State/UT shall cause to monitor the transactions/accounts of the designated individual/entity so as to prohibit any individual or entity from making any funds, financial assets or economic resources or related services available for the benefit of the individuals or entities listed in the schedule to the order or any other person engaged in or suspected to be engaged in terrorism. The UAPA nodal officer of the State/UT shall upon coming to his notice, transactions and attempts by third party immediately bring to the notice of the DGP/Commissioner of Police of the State/UT for also initiating action under the provisions of Unlawful Activities (Prevention) Act.

Implementation of requests received from foreign countries under U.N. Security Council Resolution 1373 of 2001.

13. U.N. Security Council Resolution 1373 obligates countries to freeze without delay the funds or other assets of persons who commit, or attempt to commit, terrorist acts or participate in or facilitate the commission of terrorist acts; of entities owned or controlled directly or indirectly by such persons; and of persons and entities acting on behalf of, or at the direction of such persons and entities, including funds or other assets derived or generated from property owned or controlled, directly or indirectly, by such persons and associated persons and entities. Each individual country has the authority to designate the persons and entities that should have their funds or other assets frozen. Additionally, to ensure that effective cooperation is developed among countries, countries should examine and give effect to, if appropriate, the actions initiated under the freezing mechanisms of other countries.

14. To give effect to the requests of foreign countries under U.N. Security Council Resolution 1373, the Ministry of External Affairs shall examine the requests made by the foreign countries and forward it electronically, with their comments, to the UAPA nodal officer for IS-I Division for freezing of funds or other assets.

15. The UAPA nodal officer of IS-I Division of MHA, shall cause the request to be examined, within 5 working days so as to satisfy itself that on the basis of applicable legal principles, the requested designation is supported by reasonable grounds, or a reasonable basis, to suspect or believe that the proposed designee is a terrorist, one who finances terrorism or a terrorist organization, and upon his satisfaction, request would be electronically forwarded to the nodal officers in Regulators. FIU-IND and to the nodal officers of the States/UTs. The proposed designee, as mentioned above would be treated as designated individuals/entities.

16. Upon receipt of the requests by these nodal officers from the UAPA nodal officer of IS-I Division, the procedure as enumerated at paragraphs 4 to 12 above shall be followed.

The freezing orders shall take place without prior notice to the designated persons involved.

Procedure for unfreezing of funds, financial assets or economic resources or related services of individuals/entities inadvertently affected by the freezing mechanism upon verification that the person or entity is not a designated person

17. Any individual or entity, if it has evidence to prove that the freezing of funds, financial assets or economic resources or related services, owned/held by them has been inadvertently frozen, they shall move an application giving the requisite evidence, in writing, to the concerned bank, stock exchanges/depositories, intermediaries regulated by SEBI, insurance companies, Registrar of Immovable Properties and the State/UT nodal officers.

18. The banks stock exchanges/depositories, intermediaries regulated by SEBI, insurance companies, Registrar of Immovable Properties and the State/UT nodal officers shall inform and forward a copy of the application together with full details of the asset frozen given by any individual or entity informing of the funds, financial assets or economic resources or related services have been frozen inadvertently, to the nodal officer of IS-I Division of MHA as per the contact details given in paragraph 4(ii) above within two working days.

19. The Joint Secretary (IS-I), MHA, being the nodal officer for (IS-I) Division of MHA, shall cause such verification as may be required on the basis of the evidence furnished by the individual/entity and if he is satisfied, he shall pass an order, within 15 working days, unfreezing the funds, financial assets or economic resources or related services, owned/held by such applicant under intimation to the concerned bank, stock exchanges/depositories, intermediaries regulated by SEBI, insurance company and the nodal officers of States/UTs. However, if it is not possible for any reason to pass an order unfreezing the assets within fifteen working days, the nodal officer of IS-I Division shall inform the applicant.

Communication of Orders under section 51A of Unlawful Activities (Prevention) Act.

20. All Orders under section 51A of Unlawful Activities (Prevention) Act, relating to funds, financial assets or economic resources or related services, would be communicated to all banks, depositories/stock exchanges, intermediaries regulated by SEBI, insurance companies through respective Regulators, and to all the Registrars performing the work of registering immovable properties, through the State/UT nodal officer by IS-I Division of MHA.

Regarding prevention of entry into or transit through India

21. As regards prevention of entry into or transit through India of the designated individuals, the Foreigners Division of MHA, shall forward the designated lists to the immigration authorities and security agencies with a request to prevent the entry into or the transit through India. The order shall take place without prior notice to the designated individuals/entities.

22. The immigration authorities shall ensure strict compliance of the Orders and also communicate the details of entry or transit through India of the designated individuals as prevented by them to the Foreigners' Division of MHA.

Procedure for communication of compliance of action taken under Section 51A.

23. The nodal officers of IS-I Division and Foreigners Division of MHA shall furnish the details of funds, financial assets or economic resources or related services of designated individuals/entities frozen by an order, and details of the individuals whose entry into India or transit through India was prevented, respectively, to the Ministry of External Affairs for onward communication to the United Nations.

24. All concerned are requested to ensure strict compliance of this order.

(D .Diptivilasa)

Joint Secretary to Government of India

अनुबंध - III

('अपने ग्राहक को जानिए' तथा लेनदेनों की निगरानी से संबंधित परिपत्रों की सूची जिन्हें मास्टर परिपत्र में समेकित किया गया है।)

क्र. सं.	परिपत्र सं. और तारीख	विषय	अनुदेशों का सार
1	बैंपविवि. बीपी. बीसी. 92/ सी.469- 76 दिनांक 12 अगस्त 1976	5000/- रुपये से अधिक राशि के डिमांड ड्राफ्ट /टी टी जारी करना	10,000/- रुपये से अधिक राशि के डीडी/ एमटी / टीटी/ यात्री चेकों के आवदकों (चाहे ग्राहक हों अथवा नहीं) को आवेदन पत्र में स्थायी आयकर संख्या देना
2	बैंपविवि. जीएस. बीसी. 62/सी.408 (ए)/87 दिनांक 11 नवंबर 1987	बैंकों में धोखाधड़ी - नये खाते खोलना	आयात के लिए भुगतान उसी बैंक या किसी अन्य बैंक के खाते में नामे कर लिया जाना चाहिए तथा किसी भी परिस्थिति में आयात बिल छुड़ाने के लिए नकदी स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। परिचयकर्ता द्वारा अपना खाता खोलने और किसी अन्य भावी खातेदार के संबंध में बैंक में परिचय देने के बीच समुचित अंतराल, होना चाहिए। खाते के परिचय के खाता खोलनेवाले व्यक्ति की उचित पहचान संभव होनी चाहिए, ताकि यदि खाते का दुरुपयोग तो उस व्यक्ति की खोज की जा सके।
3	बैंपविवि. बीपी. बीसी. 11/सी.469 (81)- 91 दिनांक 19 अप्रैल 1991	राजकोषीय कानूनों के उल्लंघन और करवचन के लिए बैंकिंग सरणी का दुरुपयोग - 50,000 रुपये और उससे अधिक राशि के डिमांड ड्राफ्ट का निर्गम और भुगतान	बैंक 50,000/- रुपये और उससे अधिक राशि के यात्री चेक, डिमांड ड्राफ्ट, मेल ट्रांसफर और तार अंतरण ग्राहकों के खातों में नामे डालकर अथवा चेक के बदले जारी करेंगे, नकद के बदले नहीं।
4	बैंपविवि. बीसी. 20/17.001/92 दिनांक	बैंकों में धोखाधड़ी और कुप्रथाओं से संबंधित	बैंकों को सूचित किया गया कि खाता खोलते समय निर्धारित

	25 अगस्त 1992	विभिन्न पहलुओं की जाँच करने के लिए समिति	मानदंडों और सुरक्षा उपाय का अनुपालन करें।
5.	बैंपविवि. बीपी. बीसी. 60/ 21.01.023/92 दिनांक 21 दिसंबर 1992	कार्यशील पूंजी निधि का विपथन	बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि नकदी ऋण / ओवरड्राफ्ट खातों से निकासी केवल उसी प्रयोजन के लिए की जाती है जिसके लिए उन्होंने ऋण सीमा की मंजूरी दी है। स्थायी आस्तियों के अभिग्रहण, सहयोगी कंपनियों /सहायक कंपनियों में निवेश तथा शेयरों, डिबेंचरों, यूटीआई और अन्य म्युचुअल फंडों की यूनिटों के अभिग्रहण और पूंजी बाजार में अन्य निवेश के लिए कार्यशील पूंजी वित्त का कोई विपथन नहीं होना चाहिए।
6	बैंपविवि. एफएमसी. सं. 153/27.01.003/93-94 दिनांक 1 सितंबर 1993	निधि प्रवाह की निगरानी	बैंकों को सतर्क रहकर बैंक निधि के उचित उद्दिष्ट उपयोग /निधि प्रवाह की निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए। बैंकों को खाता धारकों द्वारा उनकी सामान्य व्यापार कारोबार आवश्यकताओं से असंगत अत्यधिक नकदी आहरणों तथा असामान्य प्रवृत्तियों के मामलों पर नजर रखनी चाहिए। संदिग्ध मामलों को बैंपविवि, क्षेत्रीय कार्यालय को रिपोर्ट किया जाए।
7	बैंपविवि. जीसी.बीसी.1/ 17.04.001/ 93 दिनांक 18 नवंबर 1993	बैंकों में धोखाधड़ी - ब्याज / लाभांश वारंट, धनवापसी आदेश आदि का नकदीकरण	बैंकों को उचित पहचान के बिना नए खाते नहीं खोलने, काल्पनिक नाम तथा पते वाले नए खाते नहीं खोलने के लिए सतर्कता बरतनी चाहिए। बैंकों को खाते खोलने तथा उनके परिचालन पर जारी किए गए अनुदेशों का कड़ाई से पालन

			करने के लिए अनुदेश दिए गए।
8.	बैंपविवि. जीसी.बीसी.02/ 17.04.001/ 93 दिनांक 6 दिसंबर 1993	बैंकों में धोखाधड़ी तथा कुप्रथाओं से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए गठित समिति	खाता खोलते समय ग्राहक की पहचान जिसमें खाता खोलते समय ग्राहकों के फोटोग्राफ प्राप्त करना शामिल है।
9.	बैंपविवि. जीसी. बीसी. 46/ 17.04.001 दिनांक 22 अप्रैल 1994	बैंकों में धोखाधड़ी तथा कुप्रथाओं से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए गठित समिति	1.1.1994 से नए खाते परिचालित करने के लिए प्राधिकृत जमाकर्ताओं/ खाता धारकों के फोटोग्राफ प्राप्त करने के संबंध में बैंकों को दिए गए स्पष्टीकरण। फोटोग्राफ प्राप्त करने संबंधित अनुदेश निवासी तथा अनिवासी तथा मीयादी / आवर्ती/संचयी जमा खातों सहित जमाराशियों की सभी श्रेणियों तथा खाते परिचालित करने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों पर भी लागू होंगे।
10	बैंपविवि. बीपी. बीसी. 10/ 21.01.001/ 94 दिनांक 23 सितंबर 1994	जमा खातों में कपटपूर्ण परिचालन - खाते खोलना तथा चेक / पे ऑर्डर आदि का संग्रहण	बैंकों को संयुक्त खाते खोलने के प्रत्येक अनुरोध की जांच करनी चाहिए। उनका प्रयोजन, कारोबार, खाता धारकों की वित्तीय स्थिति तथा क्या खाता धारकों की संख्या अत्यधिक है पर ध्यान देना चाहिए। सामान्यतः 'रेखित (क्रॉसड)' तथा 'आदेश' पर देय चेक, आदाता के उचित पृष्ठांकन पर ही संग्रहीत किए जाने चाहिए। बैंकों को बड़ी रकम वाले चेक के संग्रहण में सावधानी बरतनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि बेनामी लेनदेन के लिए संयुक्त खातों का उपयोग नहीं किया जाता है।
11	बैंपविवि. बीपी. बीसी. 57/ 21.01.001/ 95	बैंकों में धोखाधड़ी - जमाखातों की निगरानी	बैंक नए जमा खातों की कड़ी निगरानी तथा जमाखातों नकद

	दिनांक 4 मई 1995		ऋण तथा ओवरड्राफ्ट खातों में 10 लाख रुपये के नकद आहरणों तथा जमा की निगरानी की प्रणाली प्रारंभ करेंगे। बैंक इन बड़े नकद लेनदेन के ब्यौरों का रिकार्ड अलग रजिस्टर में रखेंगे।
12	बैंपविवि. बीपी. बीसी. 10/ 21.01.001/95 दिनांक 20 सितंबर 1995	जमा खातों की निगरानी	बैंक की शाखाएं पाक्षिक विवरणों में अपने नियंत्रक कार्यालयों को 10 लाख रुपये तथा उससे अधिक के सभी नकद जमा तथा आहरणों का संपूर्ण ब्यौरों सहित रिपोर्ट करेंगे। संदिग्ध लेनदेन के बारे में मुख्य कार्यालय को अवगत कराया जाए। भारतीय रिज़र्व बैंक निरीक्षण करते समय इन विवरणों की जांच करेगा।
13.	बैंपविवि. बीपी. बीसी. 42/ 21.01.001/96 दिनांक 6 अप्रैल 1996	जमा /अन्य खातों में 10 लाख रुपये तथा उससे अधिक राशि के नकद जमा तथा आहरणों की निगरानी	बैंकों को 10 लाख रुपये तथा उससे अधिक राशि के बड़े नकद जमा तथा आहरणों की कड़ी निगरानी की प्रणाली के कार्यान्वयन पर अपनी प्रतिसूचना प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।
14	बैंपविवि. बीपी. बीसी. 12/ 21.01.023/98 दिनांक 11 फरवरी 1998	आँकड़े प्रस्तुत करना - गुप्तता संबंधी बाध्यताओं का उल्लंघन	बैंकों को अपने आप को इस बात से संतुष्ट कराना चाहिए कि मांगी गई जानकारी, कानूनी बाध्यता, जनता के प्रति सूचना प्रकट करने के दायित्व, जहां बैंक के हित में प्रकटीकरण आवश्यक है और जहां प्रकटीकरण ग्राहक की स्पष्ट अथवा निहित सम्मति से किया गया है, ऐसे कारणों को छोड़कर बैंकिंग लेनदेन में

			गुप्तता से संबंधित कानूनों का उल्लंघन नहीं करेगी।
15	बैंपविवि. एफजीवी. बीसी. 56/ 23.04.001/ 98 - 99 दिनांक 21 जून 1999	बैंकों में बड़े मूल्य वाली धोखाधड़ी पर अध्ययन दल की रिपोर्ट	बैंकों में बड़े मूल्य वाली धोखाधड़ी पर अध्ययन दल की मुख्य सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए बैंकों को सूचित किया गया।
16	बैंपविवि. सीओएमपी. बीसी 130/07.03.23/2000-01 दिनांक 14 जून 2001	भारत में इंटरनेट बैंकिंग - दिशानिर्देश	इंटरनेट पर बैंकिंग सुविधाएं विद्यमान विनियामक ढांचे के अधीन होंगी। जो बैंक भारत में मौजूदगी हैं केवल उन्हीं बैंकों को भारत के निवासियों को इंटरनेट पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी जाएगी तथा किसी भी प्रकार के सीमापार लेनदेन विद्यमान विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियमों के अधीन होंगे। बैंकों को भावी ग्राहक की पहचान स्थापित करनी होगी और उसकी ईमानदारी तथा प्रतिष्ठा के बारे में भी पूछताछ करनी होगी। ग्राहक की उचित पहचान और उसकी पहचान के वास्तविक सत्यापन के बाद ही इंटरनेट खाते खोले जाने चाहिए।
17	बैंपविवि. बीपी. 52/ 21.01.001/2001-02 दिनांक 5 दिसंबर 2001	आतंकवाद निवारण अध्यादेश, 2001- उसका कार्यान्वयन	बैंकों को अध्यादेश की अनुसूची में सूचीबद्ध किए गए 23 आतंकवादी संगठनों के लेनदेन पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। विद्यमान अधिनियमों अथवा सामान्य बैंकिंग परिचालनों के उल्लंघन के बारे में अध्यादेश के अंतर्गत उचित प्राधिकारियों को रिपोर्ट करना आवश्यक है और उसकी सूचना रिज़र्व बैंक को भी दी जाए। बैंक अपने ग्राहक को

			जानिए' सिद्धांत के संबंध में 'उचित सावधानी' बरतें।
18	बैंपविवि. एएमएल. बीसी. 89/ 14.01.001/2001-02 दिनांक 15 अप्रैल 2002	संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प, 1390 के अनुसरण में निधियों पर रोक लगाना	संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद प्रतिबंध समिति द्वारा सूचित सूचीबद्ध व्यक्तियों तथा संस्थाओं के खातों पर तत्काल रोक लगाया जाना चाहिए। यदि इनमें से किसी भी संस्था से संबंधित कोई लेनदेन पाया जाता है तो बैंक तत्काल आवश्यक कार्रवाई के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट करें।
19	बैंपविवि. एएमएल. बीसी. 102/ 4.01.001/2001-02 दिनांक 10 मई 2002	खातों की निगरानी - अनुदेशों का अनुपालन	बैंक यह सुनिश्चित करें कि प्रतिबंधित संगठनों द्वारा कोई नए खाते खोले नहीं जाते हैं। बैंकों को खाते खोलने तथा उनकी निगरानी से संबंधित विद्यमान दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। बैंकों को इस बात की पुष्टि करनी होगी कि उन्होंने अपनी शाखाओं तथा नियंत्रक कार्यालयों को तत्काल अनुपालन हेतु ये अनुदेश जारी किए हैं।
20	बैंपविवि. एएमएल. बीसी 18/14.01.001/ 2002-03 दिनांक 16 अगस्त 2002	'अपने ग्राहक को जानिए' मानदंडों तथा 'नकद लेनदेन' पर दिशानिर्देश	'अपने ग्राहक को जानिए' पर पहला परिपत्र। ग्राहक पहचान के लिए विद्यमान खाता धारक /ऐसा व्यक्ति जिसे बैंक जानता हो द्वारा प्रारंभिक परिचय अथवा ग्राहक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन किया जाना चाहिए। बैंकों के निदेशक मंडल को ऐसी उपयुक्त नीतियां तैयार करनी चाहिए जो खाता खोलने वाले व्यक्ति/कंपनी की वास्तविक पहचान को सत्यापित करने की

			क्रियाविधियों को स्थापित करती हों। बैंकों की शाखाओं को अपने पाक्षिक विवरणों में अपने नियंत्रक कार्यालयों को 10 लाख रुपये से अधिक राशि के सभी नकद जमा तथा आहरणों तथा संदिग्ध स्वरूप के लेनदेन के बारे में संपूर्ण ब्यौरों सहित रिपोर्ट करना चाहिए।
21	बैंपविवि. एएमएल. बीसी. 58/14.01.001/ 2004-05 दिनांक 29 नवंबर 2004	'अपने ग्राहक को जानिए' (केवाइसी) दिशानिर्देश - धनशोधन निवारक मानक	हमारे दिशानिर्देशों को एफएटीएफ की सिफारिशों तथा सीडीडी पर बासेल समिति की रिपोर्ट के अनुरूप बनाने के लिए उनमें फिर से संशोधन किया गया। बैंकों के लिए ग्राहक स्वीकृति नीति, ग्राहक पहचान क्रियाविधि, लेनदेन की निगरानी तथा जोखिम प्रबंधन पर आधारित चौं तरफा दृष्टिकोण निर्धारित किया गया।
22	बैंपविवि. एएमएल. बीसी. 28/14.01.001/ 20015/06 दिनांक 23 अगस्त 2005	'अपने ग्राहक को जानिए' (केवाइसी) दिशानिर्देश - धनशोधन निवारक मानक	दस्तावेज की आवश्यकता से संबंधित अपने ग्राहक को जानिए दिशानिर्देशों को समाज के वित्तीय रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए शिथिल किया गया। वे परिचयात्मक संदर्भ के आधार पर खाता खोल सकते हैं।
23	बैंपविवि. एएमएल. बीसी. 63/14.01.001/ 2005-06 दिनांक 15 फरवरी 2006	धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 - उसके अंतर्गत अधिसूचित नियमों के अनुसार बैंकों के दायित्व	वित्तीय आसूचना इकाई - भारत (एफआईयू -आइएनडी) को नकद तथा संदिग्ध लेनदेन के बारे में रिपोर्ट करने के लिए बैंकों के लिए रिपोर्टिंग प्रणाली तथा फॉर्मेट निर्धारित किए गए।
24	बैंपविवि.एएमएल. बीसी. 77/14.01.001/2006-07 दिनांक 13 अप्रैल 2007	वायर अंतरण	बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया कि देशी तथा सीमापार निधि अंतरण वाले सभी वायर अंतरणों के

			साथ प्रवर्तक संबंधी संपूर्ण जानकारी भेजी जाए।
25	बैंपविवि. एएमएल. बीसी. 63/14.01.001/2007-08 दिनांक 18 फरवरी 2008	अपने ग्राहक को जानिए मानदंड /धनशोधन निवारण मानक /वित्तीय आतंकवाद का सामना करना	ग्राहक के जोखिम वर्गीकरण की समीक्षा ग्राहक पहचान संबंधी जानकारी को आवधिक रूप से अद्यतन करना तथा कार्मिकों की भर्ती करने की प्रक्रिया की जाँच प्रणाली पर अपने ग्राहक को जानिए /धनशोधन निवारण पर संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए ।
26	बैंपविवि. एएमएल. बीसी. सं. 85/14.01.001/2007-08 दिनांक 22 मई 2008	धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 - उसके अंतर्गत अधिसूचित नियमों के अनुसार बैंकों के दायित्व	बैंकों द्वारा एफआईयू - आइएनडी को भेजे जानेवाले सीटीआर तथा एसटीआर पर संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए।
27	बैंपविवि. एएमएल. बीसी.सं. 12/14.01.001/2008-09 दिनांक 1 जुलाई 2008	'अपने ग्राहक को जानिए' मानदंड/धनशोधन निवारण मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध / धनशोधन निवारण अधिनियम (पी एल एम ए) के अन्तर्गत बैंकों के दायित्व से संबंधित मास्टर परिपत्र	इस मास्टर परिपत्र में 30 जून 2008 तक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 'अपने ग्राहक को जानिए' मानदंड/धनशोधन निवारण मानक/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध पर जारी सभी दिशानिर्देशों का समेकन किया गया है ।
28.	बैंपविवि. एएमएल. बीसी.सं. 2/14.01.001/2009-10 दिनांक 1 जुलाई 2009	'अपने ग्राहक को जानिए' मानदंड/धनशोधन निवारण मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध / धनशोधन निवारण अधिनियम (पी एल एम ए) के अन्तर्गत बैंकों के दायित्व से संबंधित मास्टर परिपत्र	इस मास्टर परिपत्र में 30 जून 2009 तक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 'अपने ग्राहक को जानिए' मानदंड/धनशोधन निवारण मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध पर जारी सभी दिशानिर्देशों का समेकन किया गया है ।
29	बैंपवि.केंका.एफआरएमसी. सं. 2605/23.04.001/2009-10 दिनांक 18 अगस्त 2009	एमएलएम कंपनियों के खाते खोलने और संचालन के समय केवाईसी/एएमएल दिशा-निर्देशों का पालन करना	बैंकों को सूचित किया गया कि विपणन और व्यापार करने वाली फर्मों के खाते खोलते समय सावधानी बरतें तथा ऐसी

			कंपनियों को बड़ी संख्या में चेक बुक जारी करने और खातों में छोटी नकद जमाओं के मामलों पर निगरानी रखें।
30.	बैंपविवि. एएमएल. बीसी.सं. 43/14.01.001/2009-10 दिनांक 11 सितंबर 2009	'अपने ग्राहक को जानिए' मानदंड/धनशोधन निवारण मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध / धनशोधन निवारण अधिनियम (पी एल एम ए) के अन्तर्गत बैंकों के दायित्व	सरकार ने धनशोधन निवारण अधिनियम, 2005 में संशोधन किया और वह सरकार की अधिसूचना के अनुसार 1 जून 2009 से लागू हुआ।
31.	बैंपविवि. एएमएल. बीसी.सं. 44/14.01.001/2009-10 दिनांक 17 सितंबर 2009	आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध - विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 - बैंकों के दायित्व	भारत सरकार, ग्रह मंत्रालय ने 27 अगस्त 2009 को एक आदेश जारी किया है जिसमें विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51क को लागू करने की प्रक्रिया के ब्यौरे दिये गये हैं।
32.	बैंपविवि. एएमएल. बीसी.सं. 68/14.01.001/2009-10 दिनांक 12 जनवरी 2010	धनशोधन निवारण (संशोधन) नियमावली, 2009 - बैंकों / वित्तीय संस्थाओं के दायित्व	भारत सरकार ने 12 नवंबर 2009 की अपनी अधिसूचना द्वारा धनशोधन निवारण (लेनदेन के स्वरूप तथा मूल्य के अभिलेखों का रखरखाव, सूचना प्रस्तुत करने की समयसीमा तथा उसके रखरखाव की क्रियाविधि तथा पद्धति तथा बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं तथा मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन तथा रखरखाव) नियमावली, 2005 में संशोधन किया है ।
33.	बैंपविवि. एएमएल. बीसी.सं. 80/14.01.001/2009-10	अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) दिशानिर्देश - मालिकाना प्रतिष्ठान के खाते	मालिकाना प्रतिष्ठानों के खाते खोलने के लिए निर्धारित ग्राहक की पहचान-प्रक्रिया

	दिनांक 26 मार्च 2010		
34.	बैंपविवि. एएमएल. बीसी.सं. 95/ 14.01.001 / 2009-10 दिनांक 23 अप्रैल 2010	धनशोधन निवारण (लेनदेन के स्वरूप तथा मूल्य के अभिलेखों का रखरखाव, सूचना प्रस्तुत करने की समयसीमा तथा उसके रखरखाव की क्रियाविधि तथा पद्धति तथा बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं तथा मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन तथा रखरखाव) संशोधन नियमावली, 2010 - बैंकों /वित्तीय संस्थाओं के दायित्व	भारत सरकार ने 12 फरवरी 2010 की अपनी अधिसूचना द्वारा धनशोधन निवारण (लेनदेन के स्वरूप तथा मूल्य के अभिलेखों का रखरखाव, सूचना प्रस्तुत करने की समयसीमा तथा उसके रखरखाव की क्रियाविधि तथा पद्धति तथा बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं तथा मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन तथा रखरखाव) नियमावली, 2005 में संशोधन किया है।
35.	बैंपविवि. एएमएल. बीसी.सं. 108 / 14.01.001/2009-10 दिनांक 9 जून 2010	अपने ग्राहक को जानिए मानदंड /धन शोधन निवारण मानक /आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व	धनशोधन अथवा आतंकवादी वित्तपोषण की आशंका; संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट फाइल करने; पोलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन (पीईपी) तथा प्रधान अधिकारी के संबंध में बैंकों को जारी किए गए अतिरिक्त स्पष्टीकरण
36.	बैंपविवि. एएमएल. बीसी.सं. 109/ 14.01.001/2009-10 दिनांक 10 जून 2010	अपने ग्राहक को जानिए मानदंड /धन शोधन निवारण मानक /आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व	व्यावसायिक मध्यवर्तियों द्वारा खोले गए ग्राहक खातों से संबंधित दिशानिर्देशों को दोहराया गया है।
37.	बैंपविवि. एएमएल. बीसी.सं. 111 / 14.01.001 / 2009-10 दिनांक 15 जून 2010	अपने ग्राहक को जानिए मानदंड /धन शोधन निवारण मानक /आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/ धन शोधन	बैंकों को सूचित किया जाता है कि एफएटीएफ वक्तव्य में शामिल किए गए क्षेत्रों में धनशोधन निवारण /आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध

		निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व	संबंधी मानदंडों में कमियों के कारण होने वाले जोखिम को ध्यान में रखें और एफएटीएफ सिफारिशों को लागू न करने वाले अथवा अपर्याप्त रूप से लागू करने वाले देशों की पहचान करने के लिए सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध सूचना / जानकारी पर भी विचार करना। बैंकों को शेल बैंकों के साथ संबंध स्थापित नहीं करने चाहिए
38.	बैंपविवि. एएमएल. बीसी.सं. 113/14.01.001/2009-10 दिनांक 29 जून 2010	धनशोधन निवारण (लेनदेन के स्वरूप और मूल्य के अभिलेखों का रखरखाव, सूचना प्रस्तुत करने की समय सीमा और उसके रखरखाव की क्रियाविधि और पद्धति तथा बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं और मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और रखरखाव) दूसरी संशोधन नियमावली, 2010	भारत सरकार की 16 जून 2010 की अधिसूचना द्वारा धनशोधन निवारण (लेनदेन के स्वरूप तथा मूल्य के अभिलेखों का रखरखाव, सूचना प्रस्तुत करने की समयसीमा तथा उसके रखरखाव की क्रियाविधि तथा पद्धति तथा बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं तथा मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन तथा रखरखाव) नियमावली, 2005 में संशोधन किया है।
39.	बैंपविवि. एएमएल. बीसी.सं. 38/14.01.001/2010-11 दिनांक 31 अगस्त 2010	मालिकाना प्रतिष्ठानों के खाते	मालिकाना प्रतिष्ठान के नाम पर खाता खोलने के लिए जो दस्तावेज स्वीकार किए जा सकते हैं उनकी सूची में कुछ और दस्तावेज जोड़ दिए गए हैं।
40.	बैंपविवि. एएमएल. बीसी. सं. 50/14.01.001/2010-11 दिनांक 26 अक्टूबर 2010	बैंक खाते खोलना-वेतन-भोगी कर्मचारी	बैंकों को केवल प्रतिष्ठित कार्पोरेट और अन्य संस्थाओं द्वारा जारी किये गए प्रमाण पर भरोसा करना चाहिए तथा इस संबंध में सचेत होना चाहिए कि इस प्रकार के प्रमाण पत्र/पत्र जारी करने के लिए संबंधित

			नियोक्ता द्वारा निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी कौन है।नियोक्ता के प्रमाण पत्र के अलावा, बैंक को धनशोधन निवारण नियमावली में दिये गये अधिकृत वैध दस्तावेजों में से कम-से-कम एक की प्रस्तुति पर जोर देना चाहिए
41.	बैंपविवि.एएमएल. बीसी. सं. 65/14.01.001/ 2010-11 दिनांक 7 दिसंबर 2010	बैंक खातों का परिचालन तथा 'धनशोधन के माध्यम बने व्यक्ति'	बैंकों को सूचित किया गया कि यदि बैंक 'अपने ग्राहक को जानिए' मानदंड/धनशोधन निवारण मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध/धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 में निहित दिशानिर्देशों का पालन करें तो धनशोधन के माध्यम बने ऐसे खातों के परिचालन को कम-से-कम किया जा सकता है।
42.	बैंपविवि.एएमएल. बीसी. सं. 70/14.01.001/ 2010-11 दिनांक 30 दिसंबर 2010	बैंकों को बुलियन व्यापारियों (छोटे-व्यापारियों सहित) तथा जौहरियों के खातों का उच्चतर जोखिमवाले खातों के रूप में वर्गीकरण करना चाहिए।	बैंकों को बुलियन व्यापारियों (छोटे-व्यापारियों सहित) तथा जौहरियों के खातों का उच्चतर जोखिमवाले खातों के रूप में वर्गीकरण करना चाहिए जिनके लिए उच्चतर सावधानी बरतने तथा लेनदेन के संबंध में भी कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता होगी। एफआईयू - आइएनडी को संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) भेजते समय संदेहास्पद लेनदेनों की पहचान करने के लिए बैंकों को इन खातों से जुड़े उच्च जोखिम को भी ध्यान में रखना चाहिए।
43.	बैंपविवि.एएमएल. बीसी. सं.77/14.01.001/ 2010-11 दिनांक 27 जनवरी 2011	छोटे खाते खोलना	दिनांक 16 दिसंबर 2010 की भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार धनशोधन निवारण (लेनदेन के स्वरूप और मूल्य के

			अभिलेखों का रखरखाव, सूचना प्रस्तुत करने की समय सीमा और उसके रखरखाव की क्रियाविधि और पद्धति तथा बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं और मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और रखरखाव) नियमावली, 2005 में संशोधन किया गया है और उसमें छोटे खाते की परिभाषा तथा छोटे खाते खोलने की विस्तृत क्रियाविधि शामिल की गई है।
44.	बैपविवि.एएमएल. बीसी. सं.36/14.01.001/2011-12 / दिनांक 28 सितंबर 2011	अपने ग्राहक को जानिए मानदण्ड - भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम, पता एवं आधार सं. के ब्यौरे दिए गए हैं।	यूआईडीएआई द्वारा जारी पत्र को सभी प्रकार के बैंक खाते खोलने के लिए आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज के रूप में मान्यता दी गई है।
45.	बैपविवि.एएमएल. बीसी. सं.47/14.01.001/2011-12/ दिनांक 4 नवंबर 2011	चेकों/ड्राफ्टों/भुगतान आदेशों/बैंकर चेकों का भुगतान	1 अप्रैल 2012 से 1 अप्रैल 2012 को या उसके बाद जारी किए गए चेक / ड्राफ्ट / भुगतान आदेश / बैंकर चेक, जारी करने की तारीख से तीन महीने की अवधि के लिए वैध हैं।
46.	बैपविवि.एएमएल. बीसी. सं.65/14.01.001/2011-12/ दिनांक 19 दिसंबर 2011	अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)मानदंड/धनशोधन निवारण मानक /आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध /धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत दायित्व - जोखिम का मूल्यांकन तथा निगरानी	बैंक को ग्राहकों, देशों तथा भौगोलिक क्षेत्रों और उत्पादों/ सेवाओं/ लेनदेनों / सुपुर्दगी चैनलों में भी अपने धनशोधन /आतंकी वित्तपोषण जोखिमों की पहचान तथा उनका मूल्यांकन करने के लिए कदम उठाने चाहिए। बैंकों में जोखिम आधारित दृष्टिकोण का प्रयोग

			करते हुए कारगर ढंग से अपने जोखिम का प्रबंधन करने तथा उसे कम करने के लिए नीतियां, नियंत्रण तथा क्रियाविधियां स्थापित होनी चाहिए जो उनके बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित हों और उन्हें मध्यम एवं उच्च जोखिम रेटिंग वाले उत्पादों, सेवाओं तथा ग्राहकों के लिए सघन उपाय भी करने चाहिए ।
47.	बैपविवि.एएमएल. बीसी. सं.70/14.01.001/2011-12 / दिनांक 30 दिसंबर 2011	अल-कायदा तथा तालिबान से संबद्ध व्यक्तियों एवं संगठनों की यूएनएससी 1267 समिति की सूची को विभाजित करना	बैंक विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51-ए के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए "अल-कायदा प्रतिबंध सूची" तथा "1988 प्रतिबंध सूची" दोनों पर विचार करें ।
48.	बैपविवि.एएमएल. बीसी. सं.93/14.01.001/2011-12/ दिनांक 17 अप्रैल 2012	अपने ग्राहक को जानिए' संबंधी दिशानिर्देश - स्वामित्व प्रतिष्ठानों के खाते	स्वामित्व प्रतिष्ठान का खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की निर्देशात्मक सूची में अतिरिक्त दस्तावेज शामिल किए गए हैं ।
49.	बैपविवि.एएमएल. बीसी. सं.109/14.01.001/2011-12 /दिनांक 8 जून 2012	अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/धनशोधननिवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) संबंधी दिशानिर्देश- भारत में बैंक ग्राहकों के लिए विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी)	ग्राहकों द्वारा ली गई सुविधाओं का पता लगाने और समग्र रूप में वित्तीय लेनदेन की निगरानी रखने तथा ग्राहकों का जोखिम प्रोफाइल तैयार करने के लिए एक बेहतर दृष्टिकोण हो इसलिए बैंक ग्राहकों के लिए विशिष्ट ग्राहक पहचान प्रणाली का प्रारंभ करेंगे। यह प्रणाली मई 2013 तक स्थापित की जाएगी ।
50.	बैपविवि.एएमएल. बीसी. सं.110/14.01.001/2011-12/ दिनांक 8 जून 2012	अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/धनशोधन निवारण(एएमएल)/ आतंकवाद के वित्तपोषण का	बैंकों को सूचित किया गया है की वे अपने सभी ग्राहकों का जोखिम संवर्गीकरण तथा ग्राहक विवरणों (प्रोफाइल्स) को

		प्रतिरोध (सीएफटी)/ जोखिम संवर्गीकरण और ग्राहक विवरणों (प्रोफाइल्स) को अद्यतन करना	अद्यतन करने की प्रक्रिया मार्च 2013 के अंत तक, पूरी कर लें।
51.	बैंपविवि. एएमएल. बीसी सं. 39/14.01.001/2012-13 दिनांक 7 सितंबर 2012	फिन- नेट (एफआइएन-एनईटी) गेटवे पर 'टेस्ट मोड' में रिपोर्टों का अपलोड किया जाना	एफआइयू-आइएनडी ने सूचित किया है कि सभी बैंक इलेक्ट्रॉनिक रूप में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपनी योग्यता की जांच करने के लिए 31 अगस्त 2012 से फिननेट के टेस्ट मोड में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की शुरुआत करें।
52.	बैंपविवि. एएमएल. बीसी सं. 49/14.01.001/2012-13 दिनांक 11 अक्टूबर 2012	फिननेट गेटवे पर 'टेस्ट मोड' में रिपोर्टों का अपलोड किया जाना	एफआइयू-आइएनडी ने सूचित किया है कि सभी बैंक 20 अक्टूबर 2012 से 'लाइव' हो जाएं तथा बैंक सीडी फॉर्मेट में रिपोर्ट प्रस्तुत करना बंद करें और नए एक्सएमएल रिपोर्टिंग फॉर्मेट में रिपोर्ट अपलोड करने के लिए केवल फिननेट गेटवे का प्रयोग करें।
53.	बैंपविवि.एएमएल.बीसी.सं. 65/14.01.001/2012-13 दिनांक 10 दिसंबर 2012	अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) / धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) / धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अधीन बैंकों के दायित्व	केवाईसी मानदंडों का निम्नलिखित अनुदेश जारी कर के और अधिक सरलीकरण किया गया: (i) पहचान और पते के लिए केवल एक दस्तावेज लेना, यदि पहचान के सबूत के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज में वही पता है, जो खाता खोलने के फॉर्म में घोषित किया है, (ii) जब पहचान और पते संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हों, बैंक के विद्यमान ग्राहक द्वारा परिचय अनिवार्य नहीं है, (iii) यदि खाताधारक द्वारा उपलब्ध कराया गया पता वही है, जो आधार पत्र पर है, तो उसे

			पहचान और पता, दोनों के लिए स्वीकार किया जा सकता है, (iv) खाता खोलने के लिए नरेगा जॉब कार्ड को 'छोटे खातों' के लिए लागू सीमाओं के बिना 'आधिकारिक रूप से वैध' दस्तावेज माना जाएगा।
54.	बैंपविवि.एएमएल.बीसी.सं. 71/14.01.001/2012-13 दिनांक 18 जनवरी 2013	अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) / धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अधीन बैंकों के दायित्व	हिताधिकारी स्वामी की पहचान की प्रक्रिया, जैसा कि सरकार ने सूचित किया है, को विनिर्दिष्ट किया गया।
55.	बैंपविवि.एएमएल.बीसी.सं. 78/14.01.001/2012-13 दिनांक 29 जनवरी 2013	अपने ग्राहक को जानिए मानक/धनशोधन निवारण मानक/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध/ धन-शोधननिवारण अधिनियम, 2002 के अधीन बैंकों के दायित्व	बड़ी संख्या में स्थानांतरणीय जॉब वाले या जॉब के लिए स्थलांतर करने वाले ग्राहक, जो स्थलांतर के तुरंत बाद पते के सबूत के रूप में अपने नाम पर यूटिलिटी बिल या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, की सहायता करने हेतु बैंकों को सूचित किया गया कि वे पते के नये सबूत पर बल दिए बिना तथा अपने पते के संबंध में खाताधारक की स्व-घोषणा के आधार पर उसके अंतरणकर्ता शाखा में विद्यमान खाते का अंतरिती खाते में अंतरण इस शर्त पर कर सकते हैं कि वह छः माह की अवधि के भीतर पते का सबूत प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा, बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे केवाईसी / एएमएल / सीएफटी पर 02 जुलाई 2012 के हमारे मास्टर

			परिपत्र के अनुबंध । में सूचीबद्ध किए गए अन्य दस्तावेजों के अतिरिक्त राज्य सरकार या उसके समान पंजीकरण प्राधिकारी के पास विधिवत् पंजीकृत किराया करार, जिसमें ग्राहक का पता लिखा हो, को पते के सबूत के रूप में स्वीकार कर सकते हैं।
56.	भारिबैंक/2012-13/459 बैंपविवि.एएमएल.बीसी.सं. 87/14.01.001/2012-13 दिनांक 28 मार्च 2013	स्वयं सहायता समूहों के लिए मानदंडों का सरलीकरण	एसएचजी का बचत बैंक खाता खोलते समय एसएचजी के सभी सदस्यों का सत्यापन करना आवश्यक नहीं है तथा सभी पदधारियों का सत्यापन करना पर्याप्त होगा। जहां तक एसएचजी का क्रेडिट लिंकिंग करते समय केवाईसी सत्यापन करने का सवाल है, तो सदस्यों या पदधारियों का अलग से सत्यापन करने की जरूरत नहीं है।
57.	बैंपविवि.एएमएल.बीसी.सं. 101/14.01.001/2012-13 दिनांक 31 मई 2013	भारत में बैंक के ग्राहकों को विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी) के आवंटन के लिए समयावधि बढ़ाना	लागू करने में अनुभव की जा रही कठिनाइयों को देखते हुए विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी) के आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए समयावधि 31 मार्च 2014 तक बढ़ाई गई।
58.	बैंपविवि. एएमएल. बीसी सं. 29/14.01.001/2013-14 दिनांक 12 जुलाई 2013	अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड/ धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) पर विद्यमान दिशानिर्देशों के कड़ाई से पालन के लिए उन्हें दोहराना और मजबूत बनाना	कतिपय बैंकों द्वारा केवाईसी/ / एएमएल दिशानिर्देशों के कथित उल्लंघन को ध्यान में रखकर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की गई जांच से पता चला है कि इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन हुआ है, विशेषतः अकस्मात् ग्राहकों के मामले में। सख्ती से पालन के लिए

			केवाईसी/एएमएल/सीएफटी /संबंधी कुछ मौजूदा दिशानिर्देशों को दोहराने और मजबूत बनाने के लिए यह परिपत्र जारी किया गया।
59.	बैंपविवि. एएमएल. बीसी सं. 34/14.01.001/2013-14 दिनांक 23 जुलाई 2013	केवाईसी को आवधिक रूप से अद्यतन करने के मानदंड को सरल बनाना	कम समय में बार-बार नए केवाईसी दस्तावेज प्राप्त/ प्रस्तुत करने में बैंकों/ ग्राहकों द्वारा व्यक्त की गई व्यावहारिक कठिनाइयों/ बाधाओं को देखते हुए मामले की समीक्षा की गई, क्योंकि अधिकतर खातों के संबंध में, विशेषतः कम जोखिम वाले ग्राहकों द्वारा पहले प्रस्तुत किए गए संबंधित दस्तावेज अपरिवर्तित रहे। तदनुसार, प्राप्त सुझावों के आधार पर संशोधित अनुदेश जारी किए गए।
60.	बैंपविवि. एएमएल. बीसी सं. 44/14.01.001/2013-14 दिनांक 14 सितंबर 2013	पीएमएल नियमों के अंतर्गत भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण - (यूआईडीएआई) की ई-केवाईसी सेवा ऑन-लाइन आधार प्रमाणीकरण (इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन प्रक्रिया) को 'आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज' के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए मान्यता देना	पहचान संबंधी धोखाधड़ी, दस्तावेज संबंधी जालसाजी को कम करने के लिए और कागज रहित केवाईसी सत्यापन के लिए यूआईडीएआई ने अपनी ई-केवाईसी सेवा शुरू की है। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि धनशोधन निवारण (अभिलेखों का रख-रखाव) नियमावली, 2005 के अंतर्गत केवाईसी सत्यापन के लिए वैध प्रक्रिया के रूप में ई-केवाईसी सेवा स्वीकार की जाए।
61.	बैंपविवि. एएमएल. बीसी सं. 45/ 14.01.001/2013-14 दिनांक 2 सितंबर 2013	भारत में अध्ययनरत विदेशी विद्यार्थी - बैंक खाता खोलने के लिए केवाईसी प्रक्रिया	भारत में आने वाले विदेशी विद्यार्थियों को खाता खोलते समय स्थानीय पते का प्रमाण उपलब्ध न होने के कारण केवाईसी मानकों का पालन

			करने में आने वाली कठिनाई को देखते हुए उन्हें स्थानीय पते का प्रमाण एक माह का समय देकर मानदंडों में छूट दी गई है।
62.	बैंपविवि.एएमएल.बीसी.सं. 50/14.01.001/2013-14 दिनांक 3 सितंबर 2013	बैंकों द्वारा ग्राहकों से मांगी जाने वाली जानकारी के संबंध में परिपत्र	बैंकों को सूचित किया गया था कि खाता खोलते समय केवल केवाईसी प्रयोजन से अपेक्षित अनिवार्य सूचना प्राप्त करें तथा अन्य वैकल्पिक ग्राहक संबंधी ब्योरा / अतिरिक्त सूचना, यदि अपेक्षित हो, तो खाता खोलने के बाद ग्राहक की स्पष्ट सहमति से अलग से प्राप्त करें। इसके अलावा, यह दोहराया जाता है कि बैंक यह ध्यान में रखें कि ग्राहक से प्राप्त की गई सूचना (अनिवार्य - खाता खोलते समय ली गई तथा वैकल्पिक-ग्राहक की स्पष्ट सहमति से खाता खोलने के बाद प्राप्त, दोनों) को गोपनीय माना जाएगा तथा प्रति-विक्रय अथवा उसके समान अन्य प्रयोजनों के लिए प्रकट नहीं की जाएगी।
63	बैंपविवि.एएमएल. बीसी. सं. 63 /14.01.001/2013-14 दिनांक 29 अक्टूबर 2013	संपर्ककर्ता (कॉरस्पॉन्डेन्ट) बैंकिंग संबंधों में समुचित सावधानी	कुछ वाणिज्यिक बैंकों ने सहकारी बैंकों के साथ यह व्यवस्था की है, जिसमें सहकारी बैंक वाणिज्यिक बैंकों में चालू खाता खोलते हैं और अपने घटकों और तात्कालिक (वॉक-इन) ग्राहकों के विप्रेषण और भुगतानों की सुविधा हेतु सममूल्य पर चेक जारी करने के लिए चेक बुक सुविधा का इस्तेमाल करते हैं। चूंकि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सहकारी

			<p>बैंकों को प्रस्तावित सममूल्य पर सुविधा संपर्ककर्ता बैंकिंग व्यवस्था के प्रकार की है, इसलिए बैंकों को ऋण जोखिम और प्रतिष्ठा जोखिम सहित इससे उत्पन्न होने वाले जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए ऐसी व्यवस्था की निगरानी और समीक्षा करनी चाहिए। इस प्रयोजन से केवाईसी और एएमएल संबंधी विद्यमान अनुदेशों का अनुपालन करने हेतु बैंकों को ऐसी व्यवस्थाओं के अंतर्गत अपने ग्राहक सहकारी बैंकों/ समितियों द्वारा रखे गए अभिलेखों का सत्यापन करने का अधिकार अपने पास रखना चाहिए।</p>
64	<p>बैंपविवि. एएमएल. बीसी सं. 80/14.01.001/2013-14 दिनांक 31 दिसंबर 2013</p>	<p>पीएमएल अधिनियम की धारा 13(2) में संशोधन</p>	<p>बैंकों को सूचित किया गया है कि वे धनशोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2012 की धारा 13(2) अंतर्गत अपने दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपने बोर्ड में एक निदेशक को "पदनामित निदेशक" के रूप में नामित करें।</p>
65	<p>बैंपविवि. एएमएल. बीसी सं. 100/14.01.001/2013-14 दिनांक 4 मार्च 2014</p>	<p>पीएमएल नियमावली के अंतर्गत ई-आधार को एक 'आधिकारिक वैध दस्तावेज' के रूप में स्वीकार करना।</p>	<p>बैंकों को सूचित किया गया है कि वे यूआईडीएआई की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए ई-आधार को निम्नलिखित के अधीन आधिकारिक वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार कर सकते हैं : क) यदि भावी ग्राहक केवल अपनी आधार संख्या जानता /जानती है, तो बैंक भावी ग्राहक के ई-आधार पत्र को</p>

			<p>बैंक में ही यूआईडीएआई पोर्टल से सीधे मुद्रित कर सकता है; या उपर्युक्त पैरा 2 में दिए गए अनुसार ई-केवाईसी प्रक्रिया अपना सकता है। ख) यदि भावी ग्राहक के पास ई-आधार की कहीं और से डाउनलोड की गयी प्रति है तो बैंक, ई-आधार पत्र को बैंक में ही यूआईडीएआई पोर्टल से सीधे मुद्रित कर सकता है; या उपर्युक्त पैरा 2 में दिए गए अनुसार ई-केवाईसी प्रक्रिया अपना सकता है; या यूआईडीएआई के सरल प्रमाणीकरण सेवा के माध्यम से निवासी की पहचान और पते की पुष्टि कर सकता है।</p>
66	<p>बैंपविवि. एएमएल. सं. 16415/14.01.001/2013-14 दिनांक 28 मार्च 2014</p>	<p>फिननेट गेटवे पर क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट की रिपोर्टिंग करना</p>	<p>एफआईयू-आईएनडी की सूचना के अनुसार क्रॉस-बॉर्डर वायर अंतरणों के लिए एक नया रिपोर्टिंग फॉर्मेट शुरू किया गया है। भारत सरकार द्वारा धनशोधन निवारण (पीएमएल) नियमों में 27 अगस्त 2013 की अधिसूचना सं. 12/2013 द्वारा अधिसूचित संशोधनों के द्वारा इसे आवश्यक बनाया गया है तथा संशोधित नियम 3 के अनुसार रिपोर्ट करने वाली प्रत्येक संस्था से अपेक्षित है कि वह ऐसे मामलों में जहां निधि का मूल अथवा लक्ष्य भारत में हैं वहां 5 लाख या सममूल्य विदेशी मुद्रा के क्रॉस बॉर्डर वायर अंतरणों समेत सभी लेनदेनों के रिकार्ड का रख-रखाव करें।</p>
67	<p>बैंपविवि. एएमएल. बीस</p>	<p>विदेशी संविभाग निवेशकों</p>	<p>एफपीआई द्वारा बैंक खाते</p>

	सं. 103/14.01.001/2013 14 दिनांक 3 अप्रैल 2014	(एफपीआई) के लिए केवाईसी मानदंडों का सामंजस्य	खोलने के मामले में केवाईसी मानदंडों को सेबी द्वारा जारी अनुदेशों के समान तर्कसंगत बनाया गया।
68	बैंपविवि.एमएल. बीसी. सं. 119/14.01.001/2013- 14 9 जून 2014	पते के सबूत पर स्पष्टीकरण	पते का सबूत प्रस्तुत करने के मानदंडों में छूट दी गई है। बैंक में खाता खोलते समय या आवधिक अपडेशन के दौरान किसी एक ही पते (या तो वर्तमान या स्थायी) के दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत करने होंगे। यह भी सूचित किया गया है कि यदि पते के सबूत के रूप में दिए गए पते में कोई परिवर्तन होता है तो पते का नया सबूत छह माह की अवधि के भीतर शाखा को प्रस्तुत करना होगा। यदि ग्राहक द्वारा दिया गया पते का सबूत स्थानीय पता या वह पता नहीं है जहां ग्राहक अभी निवास कर रहा है तो बैंक ऐसे स्थानीय पते के लिए एक घोषणा ले सकता है जिस पर बैंक द्वारा ग्राहक के साथ समस्त पत्राचार किया जा सके। पत्राचार/स्थानीय पते के रूप में दिए गए ऐसे किसी पते के लिए किसी सबूत की आवश्यकता नहीं होगी। बैंक द्वारा इस पते का सत्यापन सकारात्मक पुष्टि जैसे कि (i) पत्र, चेक बुक, एटीएम कार्ड के प्राप्त होने की पावती; (ii) टेलीफोन पर बातचीत (iii) मुआयना आदि द्वारा किया जा सकता है। स्थान परिवर्तन या किसी अन्य कारण से इस पते

			में परिवर्तन होने की दशा में ग्राहकों द्वारा बैंक को पत्र व्यवहार किए जाने हेतु नए पते की सूचना इस परिवर्तन के दो सप्ताह के भीतर देनी होगी।
69	बैंपविवि. एएमएल. बीसी सं. 124/14.01.001/2013-14 दिनांक 26 जून 2014	भारत में बैंक के ग्राहकों के लिए विशिष्ट ग्राहक पहचान कूट (यूसीआईसी)	विद्यमान ग्राहकों को यूसीआईसी आवंटित करने के लिए अधिक समय की अनुमति देने के लिए बैंकों से प्राप्त अनुरोधों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि विद्यमान ग्राहकों को यूसीआईसी आवंटित करने की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए समयावधि 31 दिसंबर 2014 तक बढ़ा दी जाए।
70	बैंपविवि. एएमएल. बीसी सं. 26/14.01.001/2014-15 दिनांक 4 सितंबर 2014	2013 में अधिसूचित धनशोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियमावली में संशोधन	रिपोर्ट करने वाली संस्थाओं के लिए जारी केवाईसी/एएमएल/सीएफ़टी अनुदेशों को 27 अगस्त 2013 को अधिसूचित धनशोधन निवारण नियमावली में संशोधन के मद्देनजर संशोधित किया गया।
71	बैंपविवि. एएमएल. बीसी सं. 39/14.01.001/2014-15 दिनांक 4 सितंबर 2014	केवाईसी/एएमएल/सीएफ़टी ग्राहक के संबंध में उचित सावधानी उपाय	यह निर्णय लिया गया था कि ग्राहक उचित सावधानी उपायों को आवधिक रूप से अपडेट करते समय 'सकारात्मक पुष्टि' की अपेक्षा को समाप्त कर दिया जाए। यह भी सूचित किया गया था कि इस प्रकार आवधिक रूप से अद्यतन के समय ग्राहक की भौतिक रूप से मौजूदगी का आग्रह न किया जाए।
72	बैंपविवि. एएमएल. बीसी सं. 44/14.01.001/2014-15	कम जोखिम वाले ग्राहकों के लिए आवधिक अद्यतनीकरण पर	बैंकों को सूचित किया गया था कि वे 'कम जोखिम' के रूप में वर्गीकृत ग्राहकों आवधिक

	<p>दिनांक 21 अक्टूबर 2014</p>	<p>स्पष्टीकरण एक ही ग्राहक द्वारा नया खाता खोलने पर फिर से केवाईसी किए जाने की आवश्यकता नहीं तथा केवाईसी का अनुपालन नहीं करने वाले खातों के लिए आंशिक फ्रीजिंग</p>	<p>अद्यतनीकरण के समय पहचान और पते के नए प्रमाण न मांगें, पहचान और पते में यदि कोई परिवर्तन न हो तो ग्राहकों से स्वप्रमाणन प्राप्त करें। ऐसे 'कम जोखिम वाले' ग्राहकों के पते में परिवर्तन होने पर वे केवल दस्तावेज (पते का प्रमाण) की सत्यापित प्रति मेल/डाक इत्यादि से भिजवा सकते हैं। बैंक आवधिक अद्यतनीकरण के समय ऐसे 'कम जोखिम वाले' ग्राहकों के व्यक्तिशः उपस्थित होने पर जोर न दें।</p> <p>यदि बैंक का कोई मौजूदा ग्राहक जिसके संबंध में केवाईसी अनुपालन हो चुका है, उसी बैंक में एक और खाता खोलना चाहता है तो इस उद्देश्य के लिए नए सिरे से पहचान का प्रमाण और/ अथवा पते का प्रमाण प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। बैंकों द्वारा बार-बार स्मरण कराए जाने के बावजूद ग्राहकों द्वारा केवाईसी अपेक्षाओं का अनुपालन न करने के संबंध में बैंकों को अनुमति दी गई थी कि वे उचित नोटिस देने के बाद केवाईसी अपेक्षाओं का अनुपालन न करने वाले ऐसे खातों पर 'आंशिक फ्रीजिंग' लागू करें।</p>
73	<p>बैंक वि. एमएल. बीसी सं. 77/14.01.001/2014-15 दिनांक 13 मार्च 2015</p>	<p>अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) दिशानिर्देश - मालिकाना फर्मों के खाते</p>	<p>गतिविधि सबूत के रूप में दो दस्तावेज प्रस्तुत करने के पारंपरिक नियम को कायम रखते हुए मालिकाना फर्मों के बैंक खाते खोलने की प्रक्रिया को</p>

			<p>सहज बनाने की दृष्टि से यह अनुमति दी गई थी कि जहां बैंक इस बात से संतुष्ट हों कि ऐसे दो दस्तावेज प्रस्तुत करना संभव नहीं है, गतिविधि साक्ष्य के रूप में केवल एक दस्तावेज स्वीकार करने का विवेकाधिकार उनके पास होगा। तथापि, ऐसे मामलों में बैंक को संपर्क-स्थल का सत्यापन करना होगा तथा ऐसी जानकारी प्राप्त करनी होगी, जो फर्म के अस्तित्व को स्थापित करने, पुष्टि करने तथा स्वयं को आश्वस्त करने के लिए अपेक्षित हो कि मालिकाना फर्म के पते पर जाकर कारोबारी गतिविधि का सत्यापन किया गया है। यह भी स्पष्ट किया गया था कि मास्टर परिपत्र में दर्शाई गई पंजीकरण प्राधिकारियों की सूची केवल उदाहरण के रूप में है, और इसलिए इसमें किसी संविधि के अंतर्गत शामिल व्यावसायिक निकाय द्वारा मालिकाना फर्म के नाम पर जारी किए गए कारोबारी लाइसेंस/प्रमाणपत्र को मालिकाना फर्म की गतिविधि को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज के रूप में शामिल किया गया है।</p>
74	<p>बैंक वि. एमएल. बीसी सं. 104/14.01.001/2014-15 दिनांक 11 जून 2015</p>	<p>धनशोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव)नियमावली, 2005 में संशोधन -'पते का प्रमाण' के सीमित प्रयोजन के लिए अतिरिक्त दस्तावेज</p>	<p>15 अप्रैल 2015 की भारत सरकार की राजपत्रित अधिसूचना के द्वारा अधिसूचित धनशोधन निवारण नियमावली में संशोधन के आधार पर बैंकों/वित्तीय</p>

			संस्थाओं को सरलीकृत उपायों के अंतर्गत पते के प्रमाण के सीमित प्रयोजन से कतिपय अतिरिक्त दस्तावेजों के बारे में सूचित किया गया था।
--	--	--	--

शहरी सहकारी बैंकों के लिए मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

सं.	परिपत्र सं.	तारीख	विषय
1.	शबैवि.बीपीडी(पीसीबी)परि. सं./69/14.01.062/2013-14	10.06.2014	संपर्ककर्ता (कॉरस्पॉन्डेन्ट) बैंकिंग संबंधों में समुचित सावधानी
2.	शबैवि.बीपीडी(पीसीबी)परि. सं./9/14.01.062/2013-14	26.05.2014	अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड/ धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/ धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व - विदेशी संविभाग निवेशकों (एफपीआई) के लिए केवाईसी मानदंडों का सामंजस्य - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
3.	शबैवि.बीपीडी(पीसीबी)परि. सं./54/14.01.062/2013-14	07.04.2014	फिन नेट गेटवे पर क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट की रिपोर्टिंग - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
4.	शबैवि.बीपीडी(पीसीबी)परि. सं./50/14.01.062/2013-14	06.03.2014	अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/ धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व - धनशोधन निवारण नियमावली के अंतर्गत ई-आधार को आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए मान्यता देना -प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
5.	शबैवि.बीपीडी(पीसीबी)परि. सं./48/14.01.062/2013-14	18.02.2014	अपने ग्राहक को जानिए मानदंड / धनशोधन निवारण मानक/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध / धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व - धारा 13 (2) में संशोधन - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
6.	शबैवि.बीपीडी(पीसीबी)परि. सं./32/14.01.062/2013-	22.10.2013	अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल)

	14		मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) / धनशोधन निवारण अधिनियम (पी एम एल ए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व - अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सहकारी बैंकों को ँसममूल्यट चेक सुविधा प्रदान किया जाना
7.	शर्बेवि.बीपीडी(पीसीबी)परि. सं./15/14.01.062/2013-14	17.09.2013	अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (पी एम एल ए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व - भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण - (यूआईडीएआई) की ई-केवाईसी सेवा - धनशोधन निवारण नियमावली के अंतर्गत ऑन-लाइन आधार प्रमाणीकरण (इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन प्रक्रिया) को ँआधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए मान्यता देना - शहरी सहकारी बैंक
8.	शर्बेवि.बीपीडी(पीसीबी)परि. सं./04/14.01.062/2013-14	10.09.2013	भारत में अध्ययन कर रहे विदेशी छात्र-बैंक खाता खोलने के लिए केवाईसी प्रक्रिया- प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
9.	शर्बेवि.बीपीडी(पीसीबी)परि. सं./11/14.01.062/2013-14	05.09.2013	अपने ग्राहक को जानिए मानदंड / धनशोधन निवारण मानक/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध / धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व - बैंक द्वारा ग्राहकों से मांगी जानी वाली सूचना - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
10.	शर्बेवि.बीपीडी(पीसीबी)परि. सं./2/14.01.062/2013-14	31.07.2013	अपने ग्राहक को जानिए' मानदंड/धनशोधन निवारण मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध / धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व- केवाईसी के अंतर्गत आवधिक रूप से अद्यतन संबंधी मानदंडों का

			सरलीकृत किया जाना
11.	शबैवि.बीपीडी(पीसीबी)परि. सं.54/14.01.062/2012-13	06.06.2013	अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/ धनशोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) संबंधी दिशानिर्देश - भारत में बैंक ग्राहकों के लिए विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी) - प्रथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
12.	शबैवि.बीपीडी(पीसीबी)परि. सं.46/14.01.062/2012-13	03.04.2013	अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड /धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक /आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) /धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के उत्तरदायित्व - स्वयं सहायता समूहों के लिए मानदंडों का सरलीकरण करना- प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक
13.	शबैवि.बीपीडी(पीसीबी)परि. सं.39/14.01.062/2012-13	07.03.2013	अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के उत्तरदायित्व
14.	शबैवि.बीपीडी(पीसीबी)परि. सं.37/14.01.062/2012-13	25.02.2013	अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (पी एम एल ए) 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व
15.	शबैवि.बीपीडी(पीसीबी)परि. सं.34/14.01.062/2012-13	28.01.2013	अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (पी एम एल ए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व
16.	शबैवि.बीपीडी(पीसीबी)परि. सं.28/14.01.062/2012-13	19.12.2012	अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का

			प्रतिरोध (सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के उत्तरदायित्व
17.	शबैवि.बीपीडी(पीसीबी)परि. सं.14/14.01.062/2012-13	09.10.2012	अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) / धनशोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) संबंधी दिशानिर्देश - भारत में बैंक ग्राहकों के लिए विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी) 3 ^० प्रथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
18.	शबैवि.बीपीडी(पीसीबी)परि. सं.8/14.01.062/2012-13	13.09.2012	अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) / धनशोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - जोखिम संवर्गीकरण और ग्राहक विवरणों (प्रोफाइल्स) को अद्यतन करना -प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
19.	शबैवि.केंका. बीपीडी (पीसीबी) परि. सं. 34 / 12.05.001/ 2011-12	11.05.2012	अपने ग्राहक को जानिए संबंधी दिशानिर्देश - स्वामित्व प्रतिष्ठानों के खाते
20.	शबैवि. केंका.बीपीडी सं 24 /12.05.001/ 2011-12	05.03.2012	अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड/धनशोधन निवारण मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध/धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत दायित्व-जोखिम का मूल्यांकन तथा निगरानी
21.	शबैवि..बीपीडी(पीसीबी) सं 20 /14.01.062/ 2011-12	01.03.2012	यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999) तथा 1989(2011) समिति के 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची' को अद्यतन करना
22.	शबैवि.केंका.बीपीडी.परि.सं. 10/12.05.001/2011-12	09.11.2011	धनशोधन निवारण अधिनियम , 2002- इसके अंतर्गत अधिसूचित नियम - एफआईयू इंडिया को सीटीआर,एसटीआर आदि प्रस्तुत करना - फिननेट प्रोजेक्ट के तहत रिपोर्टिंग फार्मेट
23.	शबैवि.बीपीडी (पीसीबी).परि.सं.8	09.11.2011	अपने ग्राहक को जानिए मानदंड - भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

	/12.05.001/2011-12		(युआईडीएआइ)द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम, पता तथा आधार संख्या निहित है
24.	शर्बेवि.बीपीडी(पीसीबी) परिपत्र सं. 17 /14.01.062/10-11	25.10.2010	अपने ग्राहक को जानिए मानदंड/धनशोधन निवारण मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध
25.	शर्बेवि.बीपीडी(पीसीबी) परिपत्र सं. 12 /12.05.001/10-11	15.09.2010	धनशोधन निवारण (लेनदेन के स्वरूप और मूल्य के अभिलेखों का रखरखाव, सूचना प्रस्तुत करने की समय सीमा और उसके रखरखाव की क्रियाविधि और पद्धति तथा बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं और मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और रखरखाव) संशोधन नियमावली, 2010 - बैंकों के दायित्व
26.	शर्बेवि.बीपीडी(पीसीबी) परिपत्र सं. 11 /12.05.001/10-11	25.08.2010	अपने ग्राहक को जानिए मानदंड/धनशोधन निवारण मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध / धनशोधन निवारण अधिनियम (पी एल एम ए) , 2002 के अन्तर्गत बैंकों के दायित्व
27.	शर्बेवि.बीपीडी(पीसीबी) परिपत्र सं. 10/12.05.001/10-11	23.08.2010	अपने ग्राहक को जानिए मानदंड/धनशोधन निवारण मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध
28.	शर्बेवि.बीपीडी(पीसीबी) परिपत्र सं. 9/12.05.001/10-11	23.08.2010	अपने ग्राहक को जानिए मानदंड/धनशोधन निवारण मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध
29.	शर्बेवि.बीपीडी(पीसीबी) परिपत्र सं. 7 /14.01.001/10-11	12.08.2010	अपने ग्राहक को जानिए मानदंड/धनशोधन निवारण मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध
30.	शर्बेवि.बीपीडी(पीसीबी) परिपत्र सं. 71/12.05.001/09-10	15.06.2010	धनशोधन निवारण (लेनदेन के स्वरूप और मूल्य के अभिलेखों का रखरखाव, सूचना प्रस्तुत करने की समय सीमा और

			उसके रखरखाव की क्रियाविधि और पद्धति तथा बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं और मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और रखरखाव) संशोधन नियमावली, 2010-बैंकों /अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के दायित्व
31.	शर्बेवि.बीपीडी.केका 53/14.01.062/09-10	01.04.2010	"अपने ग्राहक को जानिए" मानदंड/धनशोधन निवारण मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध
32.	शर्बेवि.बीपीडी.(पीसीबी) /12.05.001/41.सं.परि. 10-2009	03.02.2010	धनशोधन निवारण (लेनदेन के स्वरूप तथा मूल्य के अभिलेखों का रखरखाव, सूचना प्रस्तुत करने की समयसीमा तथा उसके रखरखाव की क्रियाविधि तथा पद्धति तथा बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं तथा मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन तथा रखरखाव) संशोधन नियमावली, 2009 - बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं के दायित्व
33.	शर्बेवि.बीपीडी.केका.एनएस बी 1/38/12.03.000/09-10	23.12.2009	"अपने ग्राहक को जानिए" मानदंड-स्वामित्व प्रतिष्ठान के खाते
34.	शर्बेवि.(पीसीबी).के का बीपीडी.परिपत्र सं 71/12.05.001/09-10	18.12.2009	"अपने ग्राहक को जानिए" मानदंड/धनशोधन निवारण मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध
35.	शर्बेवि.(पीसीबी).के का बीपीडी.परिपत्र सं 35/14.01.062/09-10	17.12.2009	"अपने ग्राहक को जानिए" मानदंड/धनशोधन निवारण मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध
36.	शर्बेवि.(पीसीबी).के का बीपीडी.परिपत्र सं 33/14.01.062/09-10	17.12.2009	"अपने ग्राहक को जानिए" मानदंड/धनशोधन निवारण मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध
37.	शर्बेवि.के का.बीपीडी. पीसीबी	16.11.2009	'अपने ग्राहक को जानिए' मानदंड/धनशोधन निवारण

	परिपत्र सं 23/12.05.001/09-10		मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध / धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) , 2002 के अन्तर्गत बैंकों के दायित्व- शसबैं
38.	शबैंवि.कें का.बीपीडी. पीसीबी परिपत्र सं 21/12.05.001/09-10	16.11.2009	आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध-विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967-बैंकों के दायित्व-शसबैं
39.	शबैंवि.बीपीडी.केंका. एनएसबी 11/12.03.000 /09-10	29.09.2009	"अपने ग्राहक को जानिए" मानदंड-स्वामित्व प्रतिष्ठान के खाते
40.	शबैंवि.कें का.बीपीडी. पीसीबी परिपत्र सं 9/12.05.001/09-10	16.09.2009	बहुस्तरीय मार्केटींग फर्मों के खाते खोलने तथा उनके परिचालन में केवायसी /एएमएल दिशनिर्देशों का पालन
41.	शबैंवि.कें का.बीपीडी. पीसीबी परिपत्र सं 1/12.05.001/08-09	02.07.2008	धनशोधन निवारण अधिनियम (पी एल एम ए) , 2002 के अन्तर्गत अधिसूचित कानून के अनुसार बैंकों के दायित्व- शसबैं
42.	शबैंवि.कें का.बीपीडी. पीसीबी परिपत्र सं 32/09.39.000/07-08	25.02.2008	अपने ग्राहक को जानिए' मानदंड/धनशोधन निवारण मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध
43.	शबैंवि.कें का.बीपीडी. पीसीबी परिपत्र सं 45/12.05.001/07-08	25.05.2007	अपने ग्राहक को जानिए' मानदंड/धनशोधन निवारण मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध-वायर अंतरण
44.	शबैंवि.बीपीडी. परिपत्र सं 38/09.16.100/05-06	21.03.2006	धनशोधन निवारण अधिनियम (पी एल एम ए) , 2002 के अन्तर्गत अधिसूचित कानून के अनुसार बैंकों के दायित्व- शसबैं
45.	शबैंवि.बीपीडी. पीसीबी परिपत्र सं 11/09.161.00/05-06	23.08.2005	अपने ग्राहक को जानिए मानदंड-दिशानिर्देश -धनशोधन निवारण मानक - शहरी सहकारी बैंक
46.	शबैंवि. पीसीबी परिपत्र सं 6/09.161.00/05-06	03.08.2005	बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए बैंक खाता खोलने हेतु सुसाध्य करना

47.	शबैवि. पीसीबी परिपत्र सं 30/09.161.00/04-05	15.12.2004	अपने ग्राहक को जानिए मानदंड- दिशानिर्देश -धनशोधन निवारण मानक- शहरी सहकारी बैंक
48.	शबैवि.बीपीडी. पीसीबी परिपत्र सं 02/09.161.00/04-05	09.07.2004	अपने ग्राहक को जानिए मानदंड- दिशानिर्देश-अनुपालन
49.	शबैवि.बीपीडी. पीसीबी परिपत्र सं 48/09.161.00/03-04	29.05.2004	अपने ग्राहक को जानिए मानदंड- दिशानिर्देश-अनुपालन
50.	शबैवि.बीपीडी. पीसीबी परिपत्र सं 41/09.161.00/03-04	26.03.2004	अपने ग्राहक को जानिए मानदंड- दिशानिर्देश-अनुपालन
51.	शबैवि.डीएस. पीसीबी परिपत्र सं 17/13.01.00/02-03	18.09.2002	अपने ग्राहक को जानिए मानदंड एवं नकद अंतरण पर दिशानिर्देश

जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों तथा राज्य सहकारी बैंकों के लिए [01 जुलाई 2014 के मास्टर परिपत्र ग्राआक्रवि.आरआरबी.आरसीबी. एएमएल.बीसी.सं.02/07.51.018/2014-15](#) में समेकित परिपत्रों की सूची

क्र म सं.	परिपत्र सं.	दिनांक	विषय
1.	ग्राआक्रवि.आरआरबी.आरसीबी. एएमएल.बीसी.सं.112/07.51.018/2013-14	16.06.2014	विदेशी संविभाग निवेशकों (एफपीआई) के लिए केवाईसी मानदंडों का सामंजस्य
2	ग्राआक्रवि.आरआरबी.आरसीबी. एएमएल.बीसी.सं.111/07.51.018/2013-14	12.06.2014	पते के प्रमाण पर स्पष्टीकरण
3	ग्राआक्रवि.आरआरबी.आरसीबी. एएमएल.बीसी.सं.97/07.51.018/2013-14	25.04.2014	क्रॉस बार्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट की एफआइएननेट गेटवे पर रिपोर्टिंग करना
4	ग्राआक्रवि.आरआरबी.आरसीबी. एएमएल.बीसी.सं.92/07.51.018/2013-14	13.03.2014	ई-आधार (e-Aadhaar) को पीएमएल नियमावली के अंतर्गत "आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज" के रूप में मान्यता देना
5	ग्राआक्रवि.आरआरबी.आरसीबी. एएमएल.बीसी.सं.75/07.51.018/2013-14	09.01.2014	पीएमएलए 2002 के अंतर्गत धारा 13(2) में संशोधन
6	ग्राआक्रवि.केंका.आरआरबी.आरसीबी. एएमएल.बीसी.सं.48/07.51.010/2013-14	29.10.2013	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा सहकारी बैंकों /क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 'सममूल्य पर' चेक सुविधा प्रदान करना
7	ग्राआक्रवि.आरआरबी.आरसीबी. एएमएल.बीसी.सं.37/07.51.018/2013-14	18.09.2013	भारत में अध्ययन करनेवाले विदेशी छात्र
8	ग्राआक्रवि.आरआरबी.आरसीबी. एएमएल.बीसी.सं.31/07.51.018/2013-14	16.09.2013	बैंक द्वारा ग्राहकों से मांगी जानी वाली सूचना
9	ग्राआक्रवि.आरआरबी.आरसीबी. एएमएल.बीसी.सं.32/07.51.018/2013-14	10.09.2013	यूआईडीएआई की ई-केवाईसी सेवा - धनशोधन निवारण नियमावली के अंतर्गत ऑन-लाइन आधार प्रमाणीकरण (इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन

			प्रक्रिया) को 'आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज' के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए मान्यता देना
10	ग्राआक्रवि.आरआरबी.आरसीबी. एएमएल.बीसी.सं.84/07.51.018 /2013-14	25.07.2013	केवाईसी को आवधिक रूप से अद्यतन करने के मानदंड को सरल बनाना
11	ग्राआक्रवि.आरआरबी.आरसीबी. एएमएल.बीसी.सं.76/07.51.018 /2012-13	04.06.2013	भारत में बैंक ग्राहकों के लिए विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी)
12	ग्राआक्रवि.आरआरबी.आरसीबी. एएमएल.बीसी.सं.71/07.51.018 /2012-13	01.04.2013	स्वयं सहायता समूहों के लिए मानदंडों का सरलीकरण
13	ग्राआक्रवि.आरआरबी.आरसीबी.बीसी. सं.63/07.51.018/2012-13	30.01.2013	बैंक खातों का अन्य केंद्र पर अंतरण पते का प्रमाण -
14	ग्राआक्रवि.आरआरबी.आरसीबी..बीसी. सं.59/07.51.018/2012-13	22.01.2013	नेचुरल व्यक्ति की पहचान
15	ग्राआक्रवि.केंका.आरआरबी.आरसीबी. एएमएल.सं.6097/07.51.018/2012-13	13.12.2012	केवाईसी के दस्तावेजों की सरलता
16	ग्राआक्रवि.केंका.आरआरबी.आरसीबी. एएमएल.बीसी.सं.36/03.05.033(E) /2012-13	15.10.2012	एफआइएननेट गेटवे पर रिपोर्टों का अपलोड किया जाना
17	ग्राआक्रवि.केंका.आरआरबी.आरसीबी. एएमएल.बीसी.सं.29/03.05.033(E) /2012-13	18.09.2012	फिन-नेट गेटवे पर 'टेस्ट मोड' में रिपोर्टों का अपलोड किया जाना
18	ग्राआक्रवि.केंका.आरआरबी.आरसीबी. एएमएल.बीसी.सं.82/03.05.033(E) /2011-12	11.06.2012	भारत में बैंक ग्राहकों के लिए विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी)
19	ग्राआक्रवि.केंका.आरआरबी.आरसीबी. एएमएल.बीसी.सं.81/07.40.00 /2011-12	11.06.2012	जोखिम संवर्गीकरण और ग्राहक विवरणों (प्रोफाइल्स) को अद्यतन करना
20	ग्राआक्रवि.केंका.आरआरबी.आरसीबी. एएमएल.बीसी.सं.70/07.40.00 /2011-12	18.04.2012	स्वामित्व प्रतिष्ठानों के खाते
21	ग्राआक्रवि.केंका.आरसीबी.एएमएल.बी सी. सं. 52/07.40.00/2011-12	04.01.2012	अल-कायदा तथा तालिबान से संबद्ध व्यक्तियों एवं संगठनों की

			यूएनएससी 1267 समिति की सूची को विभाजित करना
22	ग्राआक्रवि.केंका.आरआरबी.एमएल.बीसी.सं.51/03.05.033(E)/2011-12	02.01.2012	अल-कायदा तथा तालिबान से संबद्ध व्यक्तियों एवं संगठनों की यूएनएससी 1267 समिति की सूची को विभाजित करना
23	ग्राआक्रवि.केंका.आरसीबी.एमएल.बीसी.सं.50/07.40.00/2011-12	30.12.2011	जोखिम का मूल्यांकन तथा निगरानी
24	ग्राआक्रवि.केंका.आरआरबी.एमएल.बीसी.सं.46/03.05.033(E)/2011-12	21.12.2011	जोखिम का मूल्यांकन तथा निगरानी
25	ग्राआक्रवि.केंका.आरआरबी.एमएल.बीसी.सं.31/03.05.033(E)/2011-12	16.11.2011	चेकों / ड्राफ्टों / भुगतान आदेशों / बैंकर चेकों का भुगतान
26	ग्राआक्रवि.केंका.आरसीबी.एमएल.बीसी.सं.23/07.40.00/2011-12	17.10.2011	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम, पता एवं आधार सं. के ब्यौरे दिए गए हैं
27	ग्राआक्रवि.केंका.आरआरबी.एमएल.बीसी.सं.21/03.05.033(E)/2011-12	13.10.2011	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम, पता एवं आधार सं. के ब्यौरे दिए गए हैं
28	ग्राआक्रवि.केंका.आरआरबी.एमएल.बीसी.सं.15/03.05.033(E)/2011-12	08.08.2011	"अल्प खाता" खोलना
29	ग्राआक्रवि.केंका.आरसीबी.एमएल.बीसी.सं.63/07.40.00/2010-11	26.04.2011	"अल्प खाता" खोलना
30	ग्राआक्रवि.केंका.आरसीबी.एमएल.बीसी.सं.50/07.40.00/2010-11	02.02.2011	बैंकों द्वारा सोने-चाँदी के डीलरों (उप डीलरों सहित) को वृद्धिमान अध्यबवसाय एवं सावधानी की अपेक्षा वाले 'उच्च- जोखिम'
31	ग्राआक्रवि.केंका.आरआरबी.एमएल.बीसी.सं.46/03.05.033(E)/2010-11	12.01.2011	बैंकों द्वारा सोने-चाँदी के डीलरों (उप डीलरों सहित) को वृद्धिमान अध्यबवसाय एवं सावधानी की अपेक्षा वाले 'उच्च- जोखिम'
32	ग्राआक्रवि.केंका.आरसीबी.एमएल.बीसी.सं.39/07.40.00/2010-11	27.12.2010	बैंक खातों का परिचालन तथा धनशोधन के माध्यम बने व्यक्ति
33	ग्राआक्रवि.केंका.आरआरबी.एमएल.बीसी.सं.40/03.05.033(E)/2010-11	24.12.2010	बैंक खातों का परिचालन तथा धनशोधन के माध्यम बने व्यक्ति

34	ग्राआक्रवि.केंका.आरसीबी.एमएल. बीसी.सं.37/07.40.00/2010-11	10.12.2010	बैंक खाते खोलना - वेतनभोगी कर्मचारी
35	ग्राआक्रवि.केंका.आरआरबी.एमएल. बीसी.सं.31/03.05.033(E)/2010-11	06.12.2010	बैंक खाते खोलना - वेतनभोगी कर्मचारी
36	ग्राआक्रवि.केंका.आरएफ.एमएल. बीसी.सं.20/07.40.00/2010-11	13.09.2010	अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) दिशा-निर्देश - मालिकाना प्रतिष्ठानों के खाते
37	ग्राआक्रवि.केंका.आरआरबी.एमएल. बीसी.सं.19/03.05.033(E)/2010-11	09.09.2010	अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) दिशा-निर्देश - मालिकाना प्रतिष्ठानों के खाते
38	ग्राआक्रवि.केंका.आरएफ.एमएल. बीसी.सं.12/07.40.00/2010-11	20.07.2010	धनशोधन निवारण (लेनदेन के स्वरूप और मूल्य के अभिलेखों का रखरखाव,दूसरी संशोधन नियमावली, 2010 - बैंकों के दायित्व
39	ग्राआक्रवि.केंका.आरआरबी.एमएल. बीसी.सं.13/03.05.033(E)/2010-11	22.07.2010	अपने ग्राहक को जानिए मानदंड धनशोधन/निवारण मानक/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध धनशोधन /(सीएफटी) (पीएमएलए) निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व
40	ग्राआक्रवि.केंका.आरएफ.एमएल. बीसी.सं.11/07.40.00/2010-11	20.07.2010	पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व
41	ग्राआक्रवि.केंका.आरएफ.एमएल.बीसी .सं.89/07.40.00/2009-10	25.06.2010	व्यावसायिक मध्यवर्तियों द्वारा खोले गए ग्राहक खाते
42	ग्राआक्रवि.केंका.आरआरबी.एमएल. बीसी.सं.87/03.05.033(E)/2009-10	23.06.2010	अपने ग्राहक को जानिए मानदंड/धनशोधन निवारण मानक/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध धनशोधन /(सीएफटी) (पीएमएलए) निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व
43	ग्राआक्रवि.केंका.आरएफ.एमएल.बीसी .सं.88/07.40.00/2009-10	25.06.2010	अपने ग्राहक को जानिए मानदंड /धन शोधन निवारण मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व

44	ग्राआक्रवि.केंका.आरआरबी.एमएल.बीसी.सं.86/03.05.033(E)/2009-10	21.06.2010	अपने ग्राहक को जानिए मानदंड/धनशोधन निवारण मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) धनशोधन/निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व
45	ग्राआक्रवि.केंका.आरएफ.एमएल.बीसी.सं.84/07.40.00/2009-10	14.05.2010	धनशोधन निवारण (लेनदेन के स्वरूप तथा मूल्य के अभिलेखों का रखरखाव, सूचना प्रस्तुत करने की समयसीमा तथा उसके रखरखाव की क्रियविधि और पद्धति तथा बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं तथा मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन तथा रखरखाव) संशोधन नियमावली, 2010 - बैंकों/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के दायित्व
46	ग्राआक्रवि.केंका.आरएफ.एमएल.बीसी.सं.83/07.40.00/2009-10	12.05.2010	अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) दिशनिर्देश - मलिकाना प्रतिष्ठान के खाते
47	ग्राआक्रवि.केंका.आरआरबी.एमएल.बीसी.सं.67/03.05.033(E)/2009-10	09.04.2010	अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड - मालिकाना प्रतिष्ठान के खाते
48	ग्राआक्रवि.केंका.आरएफ.एमएल.बीसी.सं.83/07.40.00/2009-10	03.03.2010	धनशोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009 - बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के दायित्व
49	ग्राआक्रवि.केंका.आरआरबी.एमएल.बीसी.सं.39/03.05.033(E)/2009-10	05.11.2009	आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध - विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 - बैंकों के दायित्व
50	ग्राआक्रवि.केंका.आरएफ.एमएल.बीसी.सं.34/07.40.00/2009-10	29.10.2009	आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध - विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 - बैंकों के दायित्व

51	ग्राआक्रवि.केंका.आरएफ.एएमएल.बीसी .सं.28/07.40.00/2009-10	30.09.2009	अपने ग्राहक को जलिए' संबंधी मानदंड / धन शोधन निवारण मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध /पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत बैंकों के दयित्व
52	ग्राआक्रवि.केंका.आरआरबी.बीसी.सं.27 /03.05.033(E)/2009-10	29.09.2009	अपने ग्राहक को जलिए' संबंधी मानदंड / धन शोधन निवारण मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध /पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत बैंकों के दयित्व
53	ग्राआक्रवि.केंका.आरसीबी.एएमएल.बी सी. सं.81/07.40.00/2007-08	25.06.2008	धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अधिसूचित नियमों के अनुसार बैंकों का दयित्व
54	ग्राआक्रवि.केंका.आरआरबी.बीसी.सं.77 /03.05.033(E)/2007-08	18.06.2008	धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अधिसूचित नियमों के अनुसार बैंकों का दयित्व
55	ग्राआक्रवि.केंका.आरएफ.एएमएल.बीसी .सं.51/07.40.00/2007-08	28.02.2008	"अपने ग्राहक को जलिए"(केवाइसी) मानदंड / धनशोधन निवारण (एएमएल)मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)
56	ग्राआक्रवि.केंका.आरआरबी.बीसी.सं.50 /03.05.033(E)/2007-08	27.02.2008	"अपने ग्राहक को जलिए" (केवाइसी) मानदंड / धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)
57	ग्राआक्रवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.बी सी. सं.98/03.05.028(ए)/2006-07	21.05.2007	अपने ग्राहक को जलिए (केवाइसी) मानदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का सामना करना (सीएफटी) - वायर अंतरण - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
58	ग्राआक्रवि.केंका.आरएफ.एएमएल.बीसी .सं.96/07.40.00/2006-07	18.05.2007	अपने ग्राहक को जलिए (केवाइसी) मानदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का सामना करना (सीएफटी) - वायर अंतरण - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
59	ग्राआक्रवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.बी	09.03.2006	धन शोधन निवारण अधिनियम,

	सी. सं.68/03.05.033(E)/2005-06		2002 - उसके अन्तर्गत अधिसूचित नियमों के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का दायित्व
60	ग्राआकृवि.केंका.आरएफ.एएमएल.बीसी .सं.65/07.40.00/2005-06	03.03.2006	धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 - उसके अन्तर्गत अधिसूचित नियमों के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का दायित्व
61	ग्राआकृवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.बी सी. सं.33/03.05.033(E)/2005-06	23.08.2005	अनुसूचित जति और जनजतियों के कल्याणार्थ गठित संसदीय समिति की 18 जुलाई 2005 को आयोजित बैठक
62	ग्राआकृवि.आरएफ.एएमएल.बीसी.सं.30/07.40.00/2005-06	23.08.2005	अनुसूचित जति और जनजतियों के कल्याणार्थ गठित संसदीय समिति की 18 जुलाई 2005 को आयोजित बैठक
63	ग्राआकृवि.एएमएल.बीसी.सं.80 /07.40.00/2004-05	18.02.2005	"अपने ग्राहक को जलिए " - दिशानिर्देश धन शोधन निवारण मानदंड
64	ग्राआकृवि.आरआरबी.बीसी.सं.81 /03.05.033(E)/2004-05	18.02.2005	"अपने ग्राहक को जलिए " - दिशानिर्देश धन शोधन निवारण मानदंड

-----*-----*-----*-----*-----